CONTENTS

Sixteenth Series, Vol IV Second Session, 2014/1936 (Saka) No. 23, Friday, August 08, 2014/Shravana 17, 1936 (Saka)

SUBJECT	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER	
72 nd Anniversary of the Quit India Movement	2
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 441 to 445	3-42
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 446 to 460	43-109
Unstarred Question Nos.4279 to 4508	110-585

^{*}The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE		586-597
MES	SAGES FROM RAJYA SABHA	598-599
STAT	TEMENTS BY MINISTERS	600-603
(i)	Status of implementation of the recommendations contained in the 75th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Departments of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment, Ministry of Finance	
	Shri Arun Jaitley	600
(ii)	Status of implementation of the recommendations contained in the 67th to 70th and 75th to 78th Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2013-14), pertaining to Four Departments under the Ministry of Health and Family Welfare	
	Dr. Harsh Vardhan	603
STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 2946 DATED 10.02.2014 REGARDING DEFENCE CONTRACTS ALONG WITH REASONS FOR DELAY Shri Arun Jaitley 601-602		
CT A T	PEMENT CODDECTING DEDLY TO	
STATEMENT CORRECTING REPLY TO STARRED QUESTION NO. 269 DATED 25.07.2014 REGARDING CASES OF MEASLES		
	Dr. Harsh Vardhan	603-607
BUSI	NESS OF THE HOUSE	608-612

	ATTENTION TO THE MATTER T PUBLIC IMPORTANCE	613-626
	to Correct the Price Fixation Mechanism for cane and other Agricultural Products in the C	Country
Dr. Sa	tya Pal Singh	613,614-619
Shrim	ati Krishna Raj	619-620 621-622
Shri R	amvilas Paswan	613-614 622-625 626
DISCUSSIO	N UNDER RULE 193	631-666
	to have stringent legislation to check increasing against women and children in the country	•
Dr. Ra	atna De (Nag)	631-634
Shrim	ati Poonam Mahajan	635-637
Shri P	rem Singh Chandumajra	638-639
Shrim	ati Anju Bala	640-642
Shri E	.T. Mohammad Basheer	643-646
Shri K	Laushalendra Kumar	647-648
Shri D	Oushyant Chautala	649-651
Sadhv	i Savitri Bai Phule	652-654
Shrim	ati P.K. Sreemathi Teacher	655-657
Shri B	adruddin Ajmal	658-660
Shri A	saduddin Owaisi	661-663
Shri B	hagwant Mann	664-665
Shrim	ati Poonamben Maadam	666
PRIVATE N	/IEMBERS' BILLS -Introduced	
(i)	Farmers (Right to Assured Minimum Price for Agricultural Produce) Bill, 2014	

By Shri Devji M. Patel

667

(ii)	Coconut Growers (Welfare) Bill, 2014	
	By Shri M. Raghvan	667
(iii)	Payment of Compensation to Persons Attacked by Wild Animals Bill, 2014	
	By Shri M. Raghvan	668
(iv)	High Court of Kerala (Establishment of a Permanent Bench at Kozhikode) Bill, 2014	
	By Shri M. Raghvan	668
(v)	Payment of Compensation to Victims of Natural Calamities and Snake Bite Bill, 2014	
	By Shri M. Raghvan	669
(vi)	The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2014	
	By Dr. Kirit P. Solanki	669
(vii)	Surrogacy (Regulation) Bill, 2014	
	By Dr. Kirit P. Solanki	670
(viii)	Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Insertion of new article 16A, etc.)	
	By Dr. Kirit P. Solanki	670
(ix)	Acid (Control) Bill, 2014	
	By Dr. Kirit P.Solanki	671
(x)	Government Services (Regulation of Compassionate Appointments) Bill, 2014	
	By Shri A. T. Nana Patil	671
(xi)	National Assets (Protection) Bill, 2014	
	By Shri A. T. Nana Patil	672
(xii)	Agricultural Workers Welfare Bill, 2014	
	By Shri A. T. Nana Patil	672

(xiii)	Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of section 20A, etc.)	
	By Shri A. T. Nana Patil	673
(xiv)	Financial Assistance to the State Governments (For Protection of Water Bodies) Bill, 2014	
	By Shri Mullappally Ramachandran	673
(xv)	Labour Force (Demand and Supply Survey) Bill, 2014	
	By Shri Rajiv Pratap Rudy	674
(xvi)	Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of the Eighth Schedule)	
	By Shri Rajiv Pratap Rudy	674
(xvii)	Electricity (Amendment) Bill, 2014	
	By Shri Rajiv Pratap Rudy	675
(xviii)	Prevention of Cruelty to Cows Bill, 2014	
	By Shri Sunil Kumar Singh	675
(xix)	National Commission for Youth Bill, 2014	
	By Shri Sunil Kumar Singh	676
(xx)	Central Universities (Conditions of Service of Non-Teaching Staff) Bill, 2014	
	By Shri Jagdambika Pal	676
(xxi)	Backward Areas Development Board Bill, 2014	
	By Shri Jagdambika Pal	677
(xxii)	Pre-Examination Coaching Centres Regulatory Authority Bill, 2014	
	By Shri Jagdambika Pal	677
(xxiii)	Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of the Schedule)	
	By Shri Jai Prakash Narayan Yadav	678

(XXIV)	(Amendment) Bill, 2014 (Amendment of the Schedule)	
	By Shri Jai Prakash Narayan Yadav	678
(xxv)	Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of article 243A).	
	By Shri Shailesh Kumar	679
(xxiv)	Constitution (Amendment) Bill , 2014 (Amendment of article 171)	
	By Shri Shailesh Kumar	679
(xxv)	Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of article 39)	
	By Shri P.P. Chaudhary	680
` '	NAL MINIMUM PENSION (GUARANTEE)	
BILL , 2014	ļ	681-720
Motion	n to Consider	681-720
	Shri Jagdambika Pal	681-683
	Shri Ram Kripal Yadav	684-688
	Shri Virendra Kashyap	689-690
	Shri P.P. Chaudhary	691-693
	Dr. Mahendra Nath Pandey	694-695
	Shrimati Rama Devi	696-697
	Shri Anurag Singh Thakur	698-701
	Shri Jai Prakash Narayan Yadav	702-704
	Dr. Mamtaz Sanghamita	705-706
	Shri Hansraj G. Ahir	707-708
	Shri Shankar Prasad Datta	709-710
	Shri Narendra Singh Tomar	711-716
	Shri Nishikant Dubey	717-720
Bill W	ithdrawn	720

(ii) CENTRAL HIMALAYAN STATES DEVELOPMENT	
COUNCIL BILL, 2014	721-723
Motion to Consider	721-723
Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	721-723
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	743
Member-wise Index to Unstarred Questions	
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	748
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	749

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. M. Thambidurai

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Prof. K.V. Thomas

Shri Anandrao Adsul

Shri Prahlad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

SECRETARY GENERAL

Shri P. K. Grover

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, August 08, 2014/Shravana 17, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER 72nd Anniversary of the Quit India Movement

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कल 9 अगस्त है, हमारी छुट्टी है, इसलिए आज ही मैं पढ़ रही हूं। 72 वर्ष पूर्व इसी दिन 9 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' का आह्वान किया था, जिसने पूरे देश में ब्रिटिश राज की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए एकजुट होकर खड़े होने का जोश भर दिया था।

'भारत छोड़ो आंदोलन' हमारे स्वतंत्रता संग्राम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिसने पूर्ण स्वराज्य के हमारे प्रयासों को एक निर्णायक बल प्रदान किया था।

इस अवसर पर हम राष्ट्रिपता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले तथा अपना पूरा जीवन होम करने वाले सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आदर्शों का रमरण करते हुए भारत को शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का अगर आज प्रण करते हैं तो ज्यादा उचित होगा।

अब सभा स्वतंत्रता संग्राम सेना के सभी सेनानियों की स्मृतियों में मौन खड़ी रहेगी।

11.02 hrs

The Members then stood in the silence for short while.

11.02 hrs.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No.441, Dr. Bhola Singh.

(Q.441)

डॉ. भोला सिंह : महोदया, मैं आसन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वित्तीय बजट में और अपने उद्बोधन में एक मिशन की स्थापना का उल्लेख किया है।

मैं जानना चाहता हूं कि बैंकों के द्वारा जो ऋण दिए जा रहे हैं, जो आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं और उस आवेदन पत्र की जो स्वीकृति होती है, उसमें बहुत अंतर है। जो जवाब दिया गया है, उसमें आप देखेंगी कि इलाहाबाद बैंक को 4,388 एप्लीकेशंस प्राप्त हुयीं और उन्होंने लोन सैंक्शन किया 590 को। उसी तरह से आंध्रा बैंक को 4,041 एप्लीकेशंस प्राप्त हुयीं और उन्होंने लोन 634 को किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा को 27,315 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं और लोन 1832 हैं। ये जो आवेदन पत्र हैं, ये अपेक्षाओं को लेकर आवेदन पत्र हैं। जिनकी जिंदगी में खुशबू लाने का आपने कदम उठाया है, लेकिन उसके चलते जो बैंक का एटीट्यूट है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह गैप न रहे और अपेक्षाओं पर तुषारापात न हो। क्या केंद्र सरकार ने और माननीय मंत्री जी ने बैंको को आसान किश्तों में ऋण देने के लिए कोई दिशा निर्देश दिया है?

श्री अरुण जेटली: माननीय अध्यक्ष जी, जिस एनैक्सचर का उत्तर के साथ ज़िक्र हो रहा है, वह जो दोनों आँकड़े माननीय सदस्य ने रखे हैं, उनका संदर्भ अलग-अलग है। जैसे इलाहाबाद बैंक में 4388 जो लिखा है, वह नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड हैं कि इतनी दर्खास्त आईं, और 590 करोड़ है कि रुपयों में कितना ऋण दिया गया। तो 590 का जो संबंध है, वह रुपयों के साथ है। किसी ने पाँच लाख मांगा होगा, किसी ने दस लाख मांगा होगा। इसलिए अगर उसको मल्टीप्लाई कर लें तो एप्लीकेशंस की संख्या काफी बढ़ जाएगी। विभिन्न स्तरों पर शैड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, नेशनल हाउसिंग बैंक जो रीफाइनैंस करता है, जो फाइनैंसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके माध्यम से घर निर्माण के लिए, हाउसिंग के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऋण देने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी जो गाइडलाइंस हैं, इसकी जो ब्याज दर है, वह आर.बी.आई. जो ब्याज दर तय करता है, उसके बाद बैंक्स स्वतंत्र होते हैं अपनी ब्याज दर तय करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर भी ब्याज में इंसैंटिव मिल जाए जिसको सबवैंशन कहते हैं, सरकार उसके लिए विभिन्न माध्यमों से और ग्रांट तथा पैसे की व्यवस्था करवाती है।

डॉ. भोला सिंह : मैं आसन के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि सस्ते मकान निर्माण के लिए जिस मिशन की घोषणा उन्होंने की है और उसका जो जवाब हमारे पास आया हुआ है, क्या सरकार ने सस्ते मकान संबंधी मिशन के बनवाने के अंतर्गत कार्य-योजना में राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किया है? यदि हाँ तो बिहार का आँकड़ा क्या है?

श्री अरुण जेटली: माननीय अध्यक्ष जी, आज सात करोड़ लोग, यानी सात करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके लिए गृह निर्माण पूरे देश का और सरकार का एक लक्ष्य है। ये देश के विभिन्न राज्यों में बँटे हुए हैं। बिहार की संख्या क्या है, अगर माननीय सदस्य मुझे लिखते हैं, तो मैं उनको जानकारी दे दूँगा। इनमें से 31 फीसदी लोग वे हैं जो शहरी हैं। बाकी देहात के लोग हैं और इसलिए दोनों स्तरों पर अलग-अलग स्तरों से लोगों को लोन के माध्यम से पैसा मिल जाए जिससे वे गृह निर्माण कर पाएँ, इसकी पर्याप्त योजना है।

कुँवर हरिवंश सिंह: मैडम स्पीकर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गरीबों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने हेतु रीयल एस्टेट डैवलपर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महोदया, वर्तमान समय में रीयल एस्टेट मंदी के दौर से गुज़र रहा है। ऐसे समय में क्या सरकार रीयल एस्टेट डैवलपर्स को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने, इस सैक्टर को इनफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने, करों में छूट इत्यादि देने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

श्री अरुण जेटली: महोदया, कई प्रकार से रीयल एस्टेट का सैक्टर आगे प्रगित करे, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बार बजट के अंदर जो लोग अपना ऋण वापस करते हैं, जिनको डेढ़ लाख रुपये तक ऋण वापस करना है, उसके ब्याज के ऊपर टैक्स की छूट थी, उसको बढ़ाकर हमने दो लाख रुपये किया है तािक लोगों में उत्साह और इंसैंटिव पैदा हो कि गृह निर्माण के लिए वे अपना पैसा खर्चे। जहाँ तक पैसा उपलब्ध करवाना रीयल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है या डैवलपर्स के लिए है, जो बैंक्स या फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी दर तय करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कीमतें काफी बढ़ रही थीं, मुद्रा स्फीति काफी बढ़ रही थीं, इसलिए रिज़र्व बैंक जो इसका संचालन करता है, उन्होंने एक ब्याज दर तय की हुई थी, जिसके आधार पर असर पड़ता है जो बैंक्स और फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस ऋण देने की अपनी ब्याज दर तय करते हैं। लेकिन अगर वह नियंत्रण में आती है जिसके आसार आजकल कुछ दिखते हैं, तो स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में वह कम भी हो सकता है।

SHRI JAYADEV GALLA: Madam, the slum population in Andhra Pradesh has gone up from 70 lakhs in 2001 to more than 85 lakhs in 2013. The Technical Group of the Planning Commission has estimated a shortage of 1.27 million in Andhra Pradesh during the 12th Plan. To ameliorate their living conditions, shelter or providing house at an affordable price is the need of the hour. I compliment the National Housing Bank for its good efforts in this regard. In 2013-14, the then Finance Minister had proposed the Urban Housing Fund and provided Rs.2000 crore. |The NHB has formulated a full finance scheme to fund and channelise funds into the urban housing sector. My question relates to part 'a' of the main question. Here, the NHB is putting a condition that annual income of individuals should not be more than Rs.4 lakhs and the cost of dwelling unit should be not more than Rs.16 lakh. In no city, anyone can get a house for Rs.16 lakh. So, I would like to know from the hon. Minister as to why we cannot increase the annual income limit to Rs.10 lakh and the dwelling unit limit to Rs.25 lakh.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, these are different schemes under which funds are made available to different people. As far as the National Housing Bank is concerned, it refinances various finance corporations and finance companies which have two different kinds of schemes. One is meant for low cost housing for which the maximum loan amount is of Rs.10 lakh. Therefore, housing is done up to a particular limit. There is a second category where the size of the dwelling unit is also mentioned and the dwelling unit cost has to be Rs.16 lakh. Now, these are schemes which cover only these two categories of affordable housing. Now, there are obviously many other schemes on which from HUDCO, from scheduled commercial banks, one can get loans for housing both in urban and rural areas, if one is going to spend more than this amount.

SHRI K.N. RAMACHANDRAN: Madam Speaker, I am really happy that our hon. Finance Minister has explained in detail the measures that the Government is taking for releasing loans for the purpose of housing for urban poor which is one of the very basic necessities of life. Having said that, I would like to ask the hon. Minister whether the definition of poor as per the Tendulkar Committee Report or the Saxena Committee Report or the latest Rangarajan Committee Report is being made applicable for including urban poor in giving loans from the National Housing Bank and other financial institutions. Apart from that, as we all know, the purpose of the definition of poor, as per those Reports is different. But I want to know the criteria or norms for defining urban poor in this respect. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Only one supplementary is allowed.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, those definitions or the debate with regard to what constitutes the poor in urban and rural areas deals with subject matter in relation to the Right to Food and various other basic amenities that they are entitled to. Now the question relates to urban housing and loans on urban housing. Therefore, those definitions have no applicability as far as this is concerned. This relates to an entirely different category which probably is economically far stronger than the categories, the hon. Member has in mind. As I mentioned, these are houses which the NHB finances where the loan limits are up to Rs.10 lakh and Rs.16 lakh. Those who have been named by the Tendulkar Committee Report or the other Reports probably still have a long distance to go before they can aspire in this direction.

श्री सुधीर गुप्ता : अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि राष्ट्रीय आवास बैंक क्या ग्रामीण अल्प आय सम्बन्धी किसी योजना पर काम कर रहा है या भविष्य में कोई ऐसी योजना पर विचार कर रहा है? दूसरा, ब्याज की न्यूनतम आधार दर का निर्धारण क्या है एवं समय-समय पर घोषित ब्याज सहायता की योजनाएं क्या हैं?

श्री अरुण जेटली: जो रूरल हाउसिंग फण्ड है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के पास आवास नहीं है उनके साथ संबंध रखता है। शहरी क्षेत्रों में अलग योजनाएं हैं, देहात के क्षेत्रों में अलग योजनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जो योजनाएं हैं, उसका इस से अलग से संबंध है।

दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण दिया जाता है, जो रि-फाइनैंस के लिए पैसा दिया जाता है, उसके अपर लिमिट की 2 फीसदी की एक कैप है, उस से अधिक वह नहीं दिया जा सकता है।

(Q. 442)

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA: Madam Speaker, I asked this question in view of the plight of the poor and economically weaker patients who are suffering from deadly diseases like cancer, kidney problems, heart problems, dengue fever, etc. The poor patients who are living in remote villages have to travel hundreds of kilometres to reach district hospitals for treatment of such diseases. In spite of the efforts being made by the respective State Governments, our district hospitals are not fully equipped to treat such patients. These poor patients cannot afford to go to private hospitals. They are not capable of paying even the minimum hospital expenses. The bitter truth, Madam, is that these poor patients prefer death rather than struggling to travel the distances and pay the minimum expenses.

I would like to know from the hon. Minister whether this Government has initiated any action to strengthen the district hospitals and to decentralize the healthcare system. The patients who are suffering from these types of diseases can get treatment in hospitals situated in the capital cities. But the patients from small and remote villages cannot even travel the distances. Even to reach a district hospital, they have to travel more than 100 kilometres. So, I urge upon the hon. Minister to take some initiatives to strengthen the district hospitals. I would actually request him to strengthen the Taluk hospitals also but at least he should begin by enabling the poor patients to access healthcare instead of preferring death by providing some minimum treatment facilities to them.

DR. HARSH VARDHAN: Madam Speaker, I appreciate the concern of the hon. Member. For his information, there are various compartments in which the healthcare delivery system is divided. Starting from a sub-centre, primary health centre, community health centre and district hospital are the various levels provided according to the needs of the society and according to the population. In recent years we have relaxed the norms for the difficult areas where the poor

people have to travel quite a bit. Now somebody has to be within half-an-hour's distance, and even in that there is a further relaxation of norms.

Under the National Health Mission, of which the National Rural Health Mission is a component, there is a scheme for strengthening the district hospitals for its various facilities. Under this scheme, we have in fact laid down specific norms of what is essential at the level of the primary health centre and what is desirable. For the State Governments also we have made a provision whereby those services which should essentially be there and those which are desirable up to that level. They can always upgrade that and they can make their own plans. There is a mechanism called the Programme Implementation Plan under which the respective State Governments give their detailed plans.

We help the State Governments through the National Health Mission for upgradation of their various facilities at various levels starting from the subcentres up to the district hospitals.

I am not elaborating on the various services that are being given at the district hospitals. Apart from that, to ensure that the poor people get the medicines, diagnostic facilities and the basic preventive and promotive aspects of the healthcare delivery system, we are coming out with a National Assurance Mission in which there would be a component of a National Universal Health Insurance. There was a mention about it in the Finance Minister's speech also. You will know about it. In this, we will make sure that every person in this country has access to these health services, plus access to 50 essential drugs which will take care of 95 per cent illnesses, plus basic investigations, plus a package of preventive, promotive and positive health at his or her doorstep.

Apart from this, I have a request to all the Parliamentarians. There are two committees at the level of districts and these hospitals. One is the *Rogi Kalyan Samiti* in which the Member of Parliament is the Chairman of every district hospital's *Rogi Kalyan Samiti*. ... (*Interruptions*) Let me complete. I request you to let me complete. After I complete, if you are not satisfied, you can raise your

queries. I am not objecting to your raising queries but you should have adequate information. ... (*Interruptions*) I am saying that you have to be more vigilant. That is what I am trying to inform you. I am trying to inform all of you that there are two committees of which you are the Chairman. ... (*Interruptions*) Please listen to me. My dear friends, please let me complete. If you are not satisfied, you raise your queries.

There are these committees at two levels – one is at the district level and another at the district hospital level. There is the *Rogi Kalyan Samiti* and at the district level, there is a district-level committee. ... (*Interruptions*) You please let me complete. ... (*Interruptions*) If you are not participating in these committees, ask your District Magistrate. Please go and be in touch with the district hospital, you will come to know about it. ... (*Interruptions*) Since a new Parliament has been constituted, we have already written to the State Governments to make sure that these committees are constituted immediately. They are part of the mechanism. So, at the district level also, the Parliamentarian is the Chairman of the committee. I seek your indulgence in making sure that in your respective districts which you are representing you can go and see how the programme, that is, the National Health Mission is being implemented. You can direct them. You can even give us your feedback.

These are official committees. We have also written to the State Governments to ensure that these committees are part of the institutional mechanism. So, it is not that I am not saying it only here. You please get involved in these committees. You are the Chairman. You have to decide. It has got all the members who are relevant in that situation.

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA: My thrust was, keeping the poor patients into consideration, to strengthen the district hospitals by providing maximum financial assistance.

Secondly, Tumkur in Karnataka is the headquarters of my parliamentary constituency. Four National Highways are running through that district. The

district hospital in Tumkur is over-crowded with poor patients. The hon. Finance Minister was kind enough to announce and propose an industrial small city in Tumkur. Of course, the Government of Karnataka is taking all measures to provide good health care to all of us. In spite of that, for example, in the district hospitals, there is absolutely nothing to diagnose dengue fever. They are sending samples to Bengaluru City. There is no chemotherapy treatment for cancer. Sufficient dialysis machines are not provided to treat kidney patients. My request to the hon. Minister is this. Keeping in view the fact that Tumkur is being announced as industrial small city and keeping the future of that city into consideration, whether any financial assistance or any special package will be given to strengthen the district hospital of Tumkur.

माननीय अध्यक्ष : आप तुमकुर का ध्यान रखिए।

DR. HARSH VARDHAN: In reply to your original question, I have said that every State Government can demand from the Central Government, through the Programme Implementation Plan, known as the PIP, for specific upgradation of all the health facilities, which of course, include the district hospitals and also includes your district hospital too. Since the Members of Parliament are the Chairmen of the districts, they could suggest to the respect State Governments, saying that such facilities should be upgraded and if they are put in the respective Plan, the Central Government will help them to upgrade those facilities.

श्री नाना पटोले : महोदया, मंत्री महोदय ने सविस्तार उत्तर यहाँ पर दिया है। उन्होंने निश्चित रूप से केन्द्र सरकार की पॉलिसी के बारे में बताया है। मैं महाराष्ट्र राज्य से यहाँ पर आता हूं। उन्होंने पीएचसी, ग्रामीण रूग्णालय और जिला रूग्णालय के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। वास्तव में आज भी वहाँ पर टेक्नीशियन नहीं है। जिला रूग्णालय में मशीन्स हैं, लेकिन वहाँ टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं।

महोदया, उसके पीछे का रीजन भी हमने पता किया है। एजुकेशन पर करोड़ों रूपए खर्च करके डॉक्टर बनते हैं, एम.डी. बनते हैं, लेकिन वे न तो जिला रूग्णालय में काम करते हैं, न पीएचसी में काम करते हैं और न ही गाँव में काम करते हैं। जो भी हम डॉक्टर्स निर्माण करते हैं, वे वहां काम नहीं करते हैं। आज सभी हॉस्पीटल्स खाली पड़े हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोग मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना चाहेंगे? जो मशीन्स वहाँ पर पड़ी हैं, वहां टेक्नीशियंस नहीं हैं। केन्द्र सरकार का राज्य सरकार की तरफ जो बार-बार इशारा होता है, उससे आम आदमी को इलाज नहीं मिलता है, यह वास्तविकता है। इसमें सुधार करने के लिए सरकार की क्या भूमिका है?

खाँ. हर्ष वर्धन: महोदया, मैं दो-तीन बातें माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। एक तो उन्होंने मेडिकल मैन पाँवर की शाँठेंज की बात की है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मेडिकल मैन पाँवर की देश में शाँठेंज है, लेकिन इसको फर्दर स्ट्रेंग्थन करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज सरकार के द्वारा प्लान की गयी हैं, जिनका सरकार विभिन्न फेजेज में इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हाँस्पिटल्स को मेडिकल काॅलेजेज में हम परिवर्तित कर सकते हैं। 200 बेड्स के डिस्ट्रिक्ट हाँस्पिटल्स हैं, वहाँ मान लीजिए ऑलरेडी कोई सरकारी या प्राइवेट मेडिकल काॅलेज नहीं हैं, उनको एक बड़े पैमाने पर मेडिकल काॅलेजेज में परिवर्तित करने की योजना है, जिसके तहत मेडिकल मैन पाँवर और फर्दर प्रोडक्शन की दृष्टि से इंप्रूव हो।

एक योजना ऐसी है, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स को, मेडिकल कॉलेजेज को फर्दर हम लोग सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल्स में परिवर्तित करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स मैन पॉवर को हम फर्दर इंग्रूव कर सकते हैं। इसके साथ-साथ देश भर के अंदर हमने कई योजनायें बनायी हैं, जिसमें एक तीन साल के कोर्स के तहत कम्युनिटी सर्विस के अंदर बीएससी होती है। जो कि लगभग तीन साल में नॉलेज से इक्विप हो जाते हैं तािक वे वहां पर उनका मिनिमम रिप्लेसमेंट कर सकें। नेशनल हेल्थ मिशन में हम इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं। हमने प्लान के अंदर स्टेट गवर्नमेन्ट्स को सुविधा दी है कि अगर मैन पावर को साधारण तरीकों से सुविधा उपलब्ध नहीं दे पा रहे हैं, किसी स्पेशियलिस्ट को किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अगर उनको एक्सट्रा पेमेंट भी करना है, उनको एक्सट्रा वेतन भी देना है, जहां पर दूसरे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्थ मिशन के माध्यम से हम लोग सपोर्ट करते हैं।

देश भर में एम्स बनाने की योजना है उसमें भी नए सिरे से मेडिकल मैन पावर का प्रोडक्शन और टर्शिएरी केयर जो हेल्थ सर्विसेज हैं, उन्हें हम सब प्रान्तों में उपलब्ध करा पाएं, इसके लिए व्यापक योजना के तहत मेडिकल मैन पावर, लेकिन बेसिकली यह सारा कुछ, सेन्ट्रल गवर्नमेंट सिर्फ सपोर्ट करती है, फाइनैंशियली सपोर्ट करती है, गाइड करती है, नॉर्म्स बनाती है लेकिन इनको इम्प्लिमेंट करने की जो सारी जिम्मेदारी है, अगर स्टेट गवर्नमेन्ट्स जहां-जहां इनको परस्यू करेंगी, हम उनको पूरी तरह से सहायता देने के लिए कटिबद्ध हैं।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Madam, health is a State subject and so, naturally the Government of India has not enough scope to extend assistance. The Minister has mentioned a few cases; like special new born care units, maternal and child care units, labour rooms, operation theaters, diagnostic labs and such other infrastructure, where the Central Government can extend assistance. The hon. Minister has mentioned that the Central Government provides Rs.10 lakh to district hospitals. I wonder how Rs.10 lakh could be enough and very much helpful to a State Government in terms of a district hospital. I would like to know whether these district hospitals can be thoroughly upgraded throughout the country up to the tertiary or super speciality hospital level. You have already categorized 10 high-focus States of the country. आपने 10 स्टेट्स को फोकस स्टेट कैटेगरी-वन पर प्रिंट किया, यह आपने बताया। And, there are 11 non-high-focus States. I would like to know the criteria behind this categorization. Which States have been considered as high-focus States and which States have been considered as non-high focus States?

DR. HARSH VARDHAN: In answer to the first part of the question, let me clarify that for upgradation of all these facilities, as you have mentioned about the neonatal care units, labour rooms or labs etc., the State Government has to mention what needs to be upgraded. Even if there is construction of 100-bedded new building for maternal and child welfare centre, it has to be mentioned in the Programme Implementation Plan. Rs.10 lakh is given over and above all those routine activities which are at the disposal of the *Rogi Kalyan Samiti*. This is given for small things which you may not need to mention in the PIP. As I said, if you go and take interest in your district hospital's *Rogi Kalyan Samiti*, you can plan in a better way and can give us a better feedback. That is possible.

Secondly, you have mentioned about upgradation of the district hospitals. We are already in the process of upgrading these district hospitals. Wherever we have got 200-bedded district hospital and adequate land is available within 5-10 kms., there is a scheme which is already functioning, that is where we do not have

a medical college or a super speciality tertiary care facility available, we are in the process of converting them into big medical colleges and super speciality hospitals. That is already a part of the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojna, about which I have mentioned earlier also.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि नेशनल हैल्थ मिशन योजना के तहत जिला अस्पतालों में बेहतर फैसीलिटी मुहैया हो, क्या इसके लिए सरकार नए सिरे से कोई ठोस उपाय करने पर विचार रखती है? दवा, बैड, ऑक्सीजन और ब्लड बैंक नहीं होने के कारण मरीजों की असमय मौत हो जाती है। हम खासकर बिहार के बांका में स्वयं देखते रहते हैं। क्या सरकार नए सिरे से कोई ठोस उपाय करने के बारे में विचार करना चाहती है? माननीय मंत्री जी ने जिन बातों की चर्चा की, आपने रोगी और सेवा के लिए जो कमेटी बनाई है, हम उसके चेयरमैन हैं, इसके लिए चिट्ठी दिलवा दीजिए। हम उसमें मेहनत करेंगे।

डॉ. हर्ष वर्धन: आपने अभी पत्र की जो बात की, आपको मेरा पत्र भी मिल जाएगा। आपने जो दूसरी बात कही, नेशनल हैल्थ मिशन के अंदर हम एक-एक चीज को बहुत डिटेल में रिव्यू कर रहे हैं। हमने देशभर में 184 डिस्ट्रिक्ट्स को मार्क आउट किया है जिनमें वास्तव में स्वास्थ्य फैसीलिटीज़, इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैनपावर की दृष्टि से या हैल्थ की डिलीवरी के लिए आवश्यक चीजों की कमी है, हम इन पर एक्सट्रा फोकस कर रहे हैं। हम वहां 30 प्रतिशत फंड्स भी ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल हैल्थ मिशन का जो इम्प्लीमैंटेशन प्रोसेस है, उसकी मौनीटिरंग में भी फर्दर प्रोफेशनल इनपुट्स डालकर स्ट्रैन्दैन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सबसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप सब अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में स्वयं विज़िट कीजिए। आप हमें फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक के आधार पर हम अपनी योजनाओं को इम्प्रूव करेंगे और आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे। इसके लिए हम आपको बहुत जल्दी औपचारिक पत्र भी देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने यहां सिर्फ घोषणा की है। इंस्टीट्यूशनल मकैनिज़्म ऑलरेडी क्रिएटेड है।

श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने जिला अस्पतालों के सुधार के लिए कई योजनाएं रखी हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज सारे जिला रुग्णालय वैंटीलेटर पर हैं। मेरे क्षेत्र रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग में डाक्टर्स नहीं आना चाहते। सिंधुदुर्ग एकमात्र ऐसा जिला है जो टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ है। चंद्रपुर के लिए प्रावधान है कि वहां आने वाले डाक्टर्स को विशेष एलाउंसेज दिए जाते हैं। सिंधुदुर्ग टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से वहां से अस्पताल में डाक्टर्स आने के लिए राज्य सरकार छ: इनक्रीमैंट ज्यादा देती है। क्या इसके साथ ही सरकार उन्हें स्पैशल एलाउंसेज देने की व्यवस्था भी करेगी?

डॉ. हर्ष वर्धन: अध्यक्ष महोदया, मैंने शायद पिछले प्रश्न में आपको यही बात कही है कि जो ऐसे डिफिकल्ट एरियाज हैं, जहां किसी भी कारण से मैडिकल मैनपावर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, स्पैशिलिस्ट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां नेशनल हैल्थ मिशन के तहत हमने राज्य सरकारों को एक्सट्रा तनख्वाह देने के लिए, वे तनख्वाह भी नेगोशिएट कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को सूचित कर सकते हैं। उसके लिए पर्याप्त प्रावधान है। आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या प्राइमरी हैल्थ केयर में जो भी किमयां लगती हैं, प्लान के तहत उन्हें अपग्रेड करने के लिए केन्द्र सरकार को देना है। यहां से प्लान पास करके उन्हें पैसा दिया जाता है। यह सारा कार्य बेसिकली राज्य सरकार को करना है। हैल्थ स्टेट सब्जैक्ट है। हम केवल सहायता कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, नॉर्म्स बता सकते हैं और जहां जरूरत है नॉर्म्स को रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेसिक एक्शन स्टेट गनर्नमैंट को लेना होगा। आप अपनी राज्य सरकार के साथ इस विषय को परस्यु कीजिए। अगर उसमें हमारी कोई स्पैसीफिक सहायता चाहिए तो वह ले सकते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर बहुत चर्चा हो गई है। आप सबको जानकारी भी मिली है। आप अपने-अपने क्षेत्र में जा सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल देख सकते हैं। नहीं तो मुझसे आकर पूछिए।

...(व्यवधान)

(Q. 443)

माननीय अध्यक्ष : श्री विजय कुमार हाँसदाक - उपस्थित नहीं ।

वैसे भी यह विषय डिसकस हो चुका है। इसलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, क्या प्रश्न 443 नहीं लिया जायेगा?

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न स्मॉल इन्वेस्टर्स का है। इस पर पहले बहुत डिसकशन हो चुका है।

प्रश्न ४४४ - डा. शशि थरूर।

(Q.444)

DR. SHASHI THAROOR: Madam Speaker, the relevant Act of Parliament which is the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, gives the forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers the right to own, collect, use and dispose of minor forest produce which they have traditionally collected.

Madam, for example, in a State like Kerala the chief occupation of the Kuttanayakan tribal community has always been the collection of honey and the Cholanayakans need forest for their livelihood. They collect forest goods and sell them through cooperative societies.

Now, Minimum Support Price mechanism will give social safety to these gatherers of minor forest produce. They will be able to procure a good price for their goods and protect themselves from the exploitation of local traders. But Kerala gets no MSP because it is only given to States that have actually got areas under the Fifth Schedule of the Constitution. Now this is absolutely illogical because the Fifth Schedule is about administration not about people and it is not about the well being of the forest dwellers.

So, my question to the hon. Minister is, whether the Government proposes to extend the mechanism for marketing of minor forest produce through Minimum Support Price to States that are excluded from the Fifth Schedule but have significant tribal communities dependent upon forest produce such as Kerala.

श्री जुएल ओराम: अध्यक्ष महोदया, मान्यवर सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, उसे मैं जानता हूं। हमने फिफ्थ शैडयूल में पीसा स्टेट को ही इनक्लूड किया है। यह कैबिनेट का मेनडेट था। अभी हम विचार कर रहे हैं कि नॉन पीसा स्टेट्स में भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में एमएसपी इनक्लूड किया जाये या नहीं। यह मामला विचाराधीन है और इस पर हम विचार कर सकते हैं।

DR. SHASHI THAROOR: I thank the Minister for that constructive response.

The current scheme which provides for marketing of the existing minor forest produce through MSP has certain provisions for creating storage facility, modernization of haats and so on. But currently forestry species taken up for

plantation generally give preference to commercial species and often ignore the real tribal minor forest produce which takes more time to grow and so on rather than the commercial species like eucalyptus.

So, can the Minister and the Government take steps to provide for regeneration of minor forest produce introducing a scheme, for example, for the plantation of tamarind or medicinal trees that we have in Kerala in large quantities in various afforestation programmes to give these tribal people and forest dwellers a decent means of livelihood?

श्री जुएल ओराम : महोदया, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की प्राइसिंग और मार्केटिंग का दायित्व हमारा है, जबिक प्लांटेशन का दायित्व दूसरी मिनिस्ट्री का है। माननीय सदस्य यदि संबंधित मंत्रालय से पूछेंगे, तो ठीक रहेगा।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य की बात आप संबंधित मंत्रालय तक पहुंचा दें।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वन बंधुओं के जीवन के उन्नयन के लिए इन्होंने एमएसपी निर्धारित किया है, तो क्या यह एमएसपी यथेष्ट है? यदि यथेष्ट नहीं है, तो इसे ठीक करने के लिए इनकी क्या योजना है? इसके साथ-साथ वन क्षेत्र, जहां वे निवास करते हैं, उसमें क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई योजना बना सकते हैं जिससे उनको कुछ ऐसे स्थान चिन्हित करके दिये जायें, जहां यह इस तरह के प्रोड्यूस, उत्पादों की खेती को और अधिक बढ़ा सकें और उसके लिए प्रयास करें?

श्री जुएल ओराम: महोदया, भारत सरकार ने दस आइटम्स जिनमें इमली, मधु, ठर्रा, गम कराया, करंज सीड, साल सीड, महआ सीड, साल पत्ता, चिरौंजी आदि ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसमें आंवला भी होगा।

श्री जुएल ओराम: हां। इन दस आइटम्स पर हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइज घोषित किया है। इसमें मार्केट का जो रेट है और हम लोगों ने जो सपोर्ट प्राइस घोषित किया है, यदि उससे कम में बिक्री होती है, तो हम इंटरवेंशन करते हैं। हमने बेटर प्राइस के लिए एमएसपी सिस्टम लागू किया है। इसमें आगे और बेटर क्या स्थिति होगी, यह मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, उसे देखकर हम रेट बताएँगे।

श्री गोडम नगेश : माननीय अध्यक्ष महोदया, हर वर्ष फारेस्ट एरिया कटने के कारण माइनर फारेस्ट प्रोडक्शन कम होती जा रही है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार एमएफपी

बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है और क्या हमारे राज्य में जीसीसी (गिरिजन कॉपरेटिव कॉरपोरेशन) एमएफपी के मार्केटिंग में इंवॉल्वड नहीं है?

श्री जुएल ओराम : यह जो आंध्र प्रदेश का जीसीसी है, यह भी हम लोगों की एजेंसी में शामिल है। ...(व्यवधान) हाँ, अब यह तेलंगाना हो गया।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, अब यह तेलंगाना हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री जुएल ओराम: तो जो तेलंगाना का गिरिजन कोपरेटिव कारपोरेशन है, वह भी हमारे सिस्टम में है, लेकिन वहाँ की एक दिक्कत यह है कि उस स्टेट के माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस की लीज एक संस्था को दी गयी है, जिसके कारण उसमें हम एमएसपी लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में मैं हम बार-बार वहाँ की सरकार को लिख रहे हैं और माननीय सदस्य से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार से उसे फ्री करने के लिए कहा जाए, वह माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस को फ्री करे ताकि हम उसमें एमएसपी लागू कर सकें।

श्री कड़िया मुंडा : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके द्वारा मंत्री से यह पूछना है, लेकिन उसके पहले इन्हें में दो चीजें सुधार करने के लिए बता देता हूँ। यह जो उत्तर में लिस्ट दी गयी है, उसमें 10 आइटम्स हैं। उसमें से साल की पत्ती नहीं बिकती है। उसके जगह पर तेंदू पत्ता या बीड़ी पत्ता होना चाहिए। पता नहीं, इसे किन अफसरों ने बनाया है। दूसरी बात, शहद अब जंगल में नहीं होता है। अब शहद गांव में होता है। उनके अधिकारियों को सुधार करना चाहिए और यदि नहीं जानते हैं, तो इसकी ट्रेडिंग करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, इन्होंने झारखंड के संबंध में कहा कि झारखंड में झारखंड मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसायटी है। लेकिन आज तक कोई भी आइटम झारखंड मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसायटी नहीं खरीदती है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी बताएंगे कि विगत तीन सालों में इस संस्था ने इन दस आइटम्स में से कोई एक आइटम भी खरीदा हो, तो बताइए।

श्री जुएल ओराम : अध्यक्ष महोदया, यह पिछले साल से ही लागू हुआ है। मतलब हम लोगों ने इसी वर्ष से खरीदना शुरू किया है। तीन साल से पहले तो प्रश्न ही नहीं उठता है।...(व्यवधान) दूसरी बात, श्री कड़िया जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं ...(व्यवधान)

श्री कड़िया मुंडा : यह बीस-बाईस वर्षों से चल रहा है।

श्री जुएल ओराम : साल सीड का बड़ा बिजनेस ओडिशा में है, जहाँ यह करोड़ों रुपए में की जाती है, इसलिए साल सीड भी एमएसपी में कवर है।

SHRI RAMCHANDRA HANSDAH: Madam Speaker, I want to thank the Government for having recently launched a scheme called Marketing of Minor Forest Produce for Minimum Support Price and development of value chain for MFP.

But I am disappointed to find that only 12 items have been included in this scheme. But in Odisha, I want to inform the hon. Minister, that there are 62 such non-timber minor forest products which are included in this Minimum Support Price and the Panchayats are given the power to procure them. In some cases even regulated market committees are infringing in this procurement process. So, I would like to know in such cases what steps does the Government proposes to take.

श्री जुएल ओराम : अध्यक्ष महोदया, माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस के बहुत सारे आइटम्स हैं। लेकिन भारत सरकार ने प्रायोगिक तौर पर इन दस आइटम्स को लिया है। जहाँ का ट्रायबल्स के एक्सप्लॉइट होने के चांस हैं, या एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, इसमें हमने एमएसपी की घोषणा की है। अगर उससे कम में बिक्री होगी, तो बहुत सारे सरकारी एजेंसीज द्वारा उसमें इंटरवेंशन किया जाएगा। ओडिशा में पंचायती राज संस्थाओं में भी उसका फ्री मार्केटिंग करने के लिए दिया गया है, वह भी करते हैं, लेकिन उससे कम होने से भारत सरकार की एजेंसी उस पर कार्य करती है।

HON. SPEAKER: Next Question, Shri Anto Antony – Not present. Shrimati Anupriya Patel – Not present.

Now, Shri Dushyant Singh may put his supplementary.

(Q. No. 445)

SHRI DUSHYANT SINGH: Madam Speaker, Chinese imports are rising yearly. In 2008-09, there were imports worth Rs.146,000 crore and it has gone to 52.25 billions in 2012-13. What is the Government doing to ensure protection of small scale industries especially the sector of electronic goods, machinery, organic chemicals, toy industry, cycle industry, paper and plastic products industry. How are we going to safeguard our industry from the imports that are coming into our country from China which are rising on a yearly basis? How can we take care of our small companies based here?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam Speaker, it is a fact that we have removed all the quantitative restrictions on imports since 2001. However, particularly to protect the small and medium size industries and also to safeguard all manufacturers from India, there are several steps which we take periodically from the Ministry of Commerce first of which is the anti-dumping duty which the DG (Anti-Dumping) initiates when there is an issue. Therefore, at the moment, if we are specifically talking about China, I am able to provide this august House the fact that about 166 products involving imports from China out of a total of 690 cases, involving many other countries also, are under the anti-dumping duty investigation and action is being taken on them. Of course, that includes products which come from chemical, petrochemical, pharmaceutical areas, steel and other metals, fibres, yarns and also consumer goods.

Besides that, there are safeguard measures which we take when there is a sudden surge in import and that is also well within and in accordance with the WTO Agreement on Safeguards. That is one of the ways in which we protect our industries.

Thirdly, when we are talking about measures which are taken on account of safeguards on health or standards of production, I would like to say that, in the case of toys, when we found hazardous materials in the toys which were being

imported, they were also, based on the quality and standards, restricted under our Foreign Trade Policy. Similar is the case with milk and milk products.

Since the original Question is related to bicycles, I would also like to say that basic customs duty has been raised from ten per cent in 2011-12 to 30 per cent in 2012-13. So, essentially, we are trying to protect our small and medium manufacturers.

On the hon. Member's specific question on electronics, I would like to say that Government has imposed prohibition on the import of mobile handsets without International Mobile Equipment Identity (IMEI) numbers or with all zeroes IMEI and import of CDMA mobile phones without Electronic Serial Numbers, Mobile Equipment Identifier (MEID) or all zeroes ESN/MEID. So, on particular electronic matters also, action is being taken.

PROF. SUGATA BOSE: Madam, I am surprised to learn from the answer provided on the Table of the House that information about the influx of counterfeit goods is not available with the Ministry. Of course, I understand that the primary responsibility for investigating complaints about manufacturing and trading of counterfeit products rests with the State Police. But if our Ministry is going to promote legitimate trade, surely it needs information about the extent of illegitimate trade being conducted across our borders.

So, will the Minister take steps from now on to gather information from the States about the extent of counterfeit goods being traded across our borders?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The point raised by the hon. Member is very well taken. The difficulty in this is that, when a counterfeit good comes into the country, only when the owner of the brand genuinely feels that his products are being imitated and counterfeit goods are getting generated, it is raised as an issue and becomes a cause for investigation. We are in no position to identify how many such counterfeits are coming. So, the original brand holder is the one who should initiate the process.

However, in the interest of genuine trade about which the hon. Member raised a concern, we will take his advice, and we will try to see how best we can, if at all, initiate some process.

MADAM SPEAKER: Very good.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: It is quite apparent, as my hon. friend also said, that Chinese exports into India are growing. It is a matter of great concern for our SME industries especially. It is also a fact that China has started new strategy of exporting goods into India through third countries, like Sri Lanka and Bangladesh because we have a differential tax import treaty with a lot of these countries.

For example, if you take the case of bicycles, it is cheaper for China to send the goods into India through Bangladesh or Sri Lanka rather than for them to export it directly to India. The differential tax rate of import duty is 6.5 per cent for goods coming in from Sri Lanka verses the 20 per cent directly coming in from China.

Is the Government aware that these strategies are being deployed by China? How we, as a country, going to thwart these strategies to ensure that there is parity and the fact that we can allow domestic industries to grow?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The Member has raised a very important trade-related issue, which leads to distorted practices in trade. I fully appreciate it. Not just bicycles, many other goods also find a route into India through third countries. This is a larger issue on which the Ministry is certainly working. We are seized of the matter. I would not say comprehensively work has been already done. We will certainly initiate every process which is required. ... (Interruptions) I am certainly aware that not just in bicycles but in many other products too such a thing is happening. We are certainly working on understanding how best we can countervail these sort of things. ... (Interruptions) माननीय अध्यक्ष: उन्होंने जनरली बता दिया है। आपको मौका दिया गया था।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : अध्यक्ष महोदया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हिन्दुस्तान की मार्केट में चीन पूरी तरह छाया हुआ है। चीन की हरेक किस्म की आइटम अपने देश में बिक रही है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी कुछ आइटम्स हिन्दुस्तान में अवैध रूप से आयात हो रही हैं, जिसमें लहसुन प्रमुख है। लहसुन की मेडिसनल वेल्यू है। हमारे देश में लहसुन की पैदावार नौ से 10 लाख टन प्रतिवर्ष होती है, जबिक चीन में लगभग 14 लाख से लेकर 15 लाख टन है। चीन के लहसुन में फंगस है इसलिए उसे हमारे देश में बैन किया गया है। लेकिन चीन का लहसुन बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते से हिन्दुस्तान में गलत तरीके से लाया जा रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में जो यह गलत तरीके से लहसुन आ रहा है, क्या इस पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी या नहीं?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The hon. Member and several others have come with delegations giving notes to the Ministry about the concern which he has just expressed, particularly on garlic.

The Ministry is seized of the matter. We will certainly respond to him and to the House about how we are going to handle that issue.

HON. SPEAKER: Shri T. Radhakrishnan.

*SHRI T.RADHAKRISHNAN: Hon. Madam Speaker. In my Virudhunagar constituency, Sivakasi is known for fire works and crackers. Fireworks are manufactured in this place and sent to different parts of the country. This industry provides livelihood for more than 2 lakh workers. Fireworks are being illegally transported from China to India through land and water-ways. They are brought through Nepal also. There is a substantial loss of revenue to the Union Government besides affecting the lives of workers. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Puratchithalaivi* Amma had written several letters to the previous Government. But there was no response.

HON. SPEAKER: Time is over.

SHRI T.RADHAKRISHNAN: Hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Puratchithalaivi* Amma has also written to the Hon. Prime Minster in this regard.

HON. SPEAKER: Time is over. Yes. Minister.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

*SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:: Shall I say in Tamil. Hon. Chief Minister's letter to Hon. Prime Minister has been received. Necessary and rightful action would be taken at an appropriate time.

HON. SPEAKER: Question Hour is over.

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now Papers to be laid.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of Notification Nos. S.O. 1111(E) to S.O. 1116(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 22nd April, 2014, regarding nominations, names mentioned therein, to Institute Body of six new AIIMS issued under sub-section (3) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[Placed in Library. See No. LT 645/16/14]

(2) A copy of the Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. DE-97-2014 in Gazette of India dated 27th June, 2014 under sub-section (4) of Section 20 of the Dentists Act, 1948.

[Placed in Library. See No. LT 646/16/14]

(3) A copy of the Food Safety and Standards (Amendment) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.508(E) in Gazette of India dated 18th July, 2014 under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006.

[Placed in Library. See No. LT 647/16/14]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI RAO INDERJIT SINGH): I beg

to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Outcome Budget of the Ministry of Statistics and Programme Implementation for the year 2014-2015.

[Placed in Library. See No. LT 648/16/14]

(2) Outcome Budget of the National Cadet Corps for the year 2014-2015.

[Placed in Library. See No. LT 649/16/14]

(3) Outcome Budget of the Directorate General Married Accommodation Project for the year 2014-2015.

[Placed in Library. See No. LT 650/16/14]

(4) Outcome Budget of the Ex-Servicemen Contributory Health Scheme for the year 2014-2015.

[Placed in Library. See No. LT 651/16/14]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2013-2014 under sub-section (2) of Section 18 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library. See No. LT 652/16/14]

- (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2012-2013.
 - (ii) Annual Report of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library. See No. LT 653/16/14]

(3) A copy of the 44th Valuation Report (Hindi and English versions) of the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library. See No. LT 654/16/14]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library. See No. LT 655/16/14]

(5) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2012-2013, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library. See No. LT 656/16/14]

(6) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Corporate Affairs for the year 2014-2015.

[Placed in Library. See No. LT 657/16/14]

- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 129(E) in Gazette of India dated 28th February, 2014.
 - (ii) The Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 238(E) in Gazette of India dated 31st March, 2014.
 - (iii) The Companies (Accounts) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 239(E) in Gazette of India dated 31st March, 2014.
 - (iv) The Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 240(E) in Gazette of India dated 31st March, 2014.
 - (v) The Companies (Declaration and Payment of Dividend) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 241(E) in Gazette of India dated 31st March, 2014.
 - (vi) The Nidhi Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 258(E) in Gazette of India dated 2nd April, 2014.

(vii) The Companies (Miscellaneous) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 253(E) in Gazette of India dated 1st April, 2014.

- (viii) The Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 254(E) in Gazette of India dated 1st April, 2014.
- (ix) The Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 251(E) in Gazette of India dated 1st April, 2014.
- (x) The Companies (Issue of Global Depository Receipts) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 252(E) in Gazette of India dated 1st April, 2014.
- (xi) The Companies (Incorporation) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 250(E) in Gazette of India dated 1st April, 2014.
- (xii) The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.
 249(E) in Gazette of India dated 1st April, 2014.
- (xiii) The Companies (Registration of Charges) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 248(E) in Gazette of India dated 1st April, 2014.
- (xiv) The Companies (Inspection, Investigation and Inquiry) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 247(E) in Gazette of India dated 1st April, 2014.
- (xv) The Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 246(E) in Gazette of India dated 1st April, 2014.

(xvi) The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 260(E) in Gazette of India dated 2nd April, 2014.

- (xvii) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules,
 2014 published in Notification No. G.S.R. 259(E) in Gazette of
 India dated 2nd April, 2014.
- (xviii) The Companies (Authorised to Registered) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 257(E) in Gazette of India dated 2nd April, 2014.
- (xix) The Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 256(E) in Gazette of India dated 2nd April, 2014.
- (xx) The Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 266(E) in Gazette of India dated 3rd April, 2014.
- (xxi) The Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 265(E) in Gazette of India dated 3rd April, 2014.
- (xxii) The Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 268(E) in Gazette of India dated 4th April, 2014.
- (xxiii) The Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 297(E) in Gazette of India dated 28th April, 2014.
- (xxiv) The Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 386(E) in Gazette of India dated 6th June, 2014.

(xxv) The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 390(E) in Gazette of India dated 6th June, 2014.

- (xxvi) The Companies (Meetings and Power of Board) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 398(E) in Gazette of India dated 12th June, 2014.
- (xxvii) The Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 413(E) in Gazette of India dated 18th June, 2014.
- (xxviii) The Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 415(E) in Gazette of India dated 23rd June, 2014.
- (xxix) The Companies (Prospectus and Allotment of Securities)

 Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.

 424(E) in Gazette of India dated 1st July, 2014.

[Placed in Library. See No. LT 658/16/14]

- (8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 467 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) G.S.R.130(E) published in Gazette of India dated 28th February, 2014 making certain amendments in Schedule VII of Companies Act, 2013 together with a corrigendum thereto published in Notification No.G.S.R.261(E) dated 2nd April, 2014.
 - (ii) G.S.R.237(E) published in Gazette of India dated 31st March, 2014 making certain amendments in Schedule II of Companies Act, 2013.

[Placed in Library. See No. LT 659/16/14]

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 470 of the Companies Act, 2013:-

- (i) The Companies (Removal of Difficulties) Second Order, 2014 published in Notification No. S.O.1177(E) in Gazette of India dated 30th April, 2014 together with a corrigendum thereto published in Notification No. S.O.1406(E) dated 29th May, 2014.
- (ii) The Companies (Removal of Difficulties) Second Order, 2014 published in Notification No. S.O.1428(E) in Gazette of India dated 3rd June, 2014.
- (iii) The Companies (Removal of Difficulties) Third Order, 2014 published in Notification No. S.O.1429(E) in Gazette of India dated 3rd June, 2014.
- (iv) The Companies (Removal of Difficulties) Fourth Order, 2014 published in Notification No. S.O.1460(E) in Gazette of India dated 6th June, 2014.

[Placed in Library. See No. LT 660/16/14]

- (10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 458 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) S.O.1354(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2014 regarding delegation of powers under Section 153 and 154 of Companies Act, 2013 to Regional Director, Noida.
 - (ii) S.O.1353(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2014 regarding delegation of powers under Section 458 of Companies Act, 2013 to Registrar of Companies, mentioned therein.
 - (iii) S.O.1352(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2014 regarding delegation of powers under Section 458 of Companies Act, 2013 to Regional Directors, mentioned therein.

[Placed in Library. See No. LT 661/16/14]

(11) A copy of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 358(E) in Gazette of India dated 27th May, 2014 under Section 53 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

[Placed in Library. See No. LT 662/16/14]

- (12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-
 - (i) The Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 434(E) in Gazette of India dated 8th July, 2014.
 - (ii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Ninth Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 436(E) in Gazette of India dated 8th July, 2014.
 - (iii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Seventh Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 435(E) in Gazette of India dated 8th July, 2014.
 - (iv) The Foreign Exchange Management (Permissible Capital Accounts Transactions) (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 488(E) in Gazette of India dated 11th July, 2014.

(v) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Second Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. G.S.R. 489(E) in Gazette of India dated 11th July, 2014.

[Placed in Library. See No. LT 663/16/14]

- (13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 25 of the Coinage Act, 2011:-
 - (i) The Coinage of One Hundred Rupees and Five Rupees coins to commemorate the occasion of 175th Birth Anniversary of Jamsetji Nusserwanji Tata Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 73(E) in Gazette of India dated 31st January, 2014.
 - (ii) The Coinage of Twenty Rupees and Five Rupees Coins to commemorate the occasion of 125th Birth Anniversary of Maulana Abdul Kalam Azad Rules, 2013 published in Notification No. G.S.R. 686(E) in Gazette of India dated 14th October, 2013.
 - (iii) The Coinage of Sixty Rupees and Ten Rupees coins to commemorate the occasion of Diamond Jubilee of Coir Board Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 102(E) in Gazette of India dated 21st February, 2014.
 - (iv) The Coinage of Twenty Rupees and Five Rupees Coins to commemorate the occasion of Acharya Tulsi Birth Centenary Rules, 2013 published in Notification No. G.S.R. 782(E) in Gazette of India dated 18th December, 2013.

[Placed in Library. See No. LT 664/16/14]

(14) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-

- (i) G.S.R.525(E) published in Gazette of India dated 23rd July, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty on imports of Front Axle Beam and Steering Knuckle meant for heavy and medium commercial vehicles, originating in, or exported from China PR, for a further period of one year i.e. upto and inclusive of the 14th June, 2015, pending outcome of Sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.
- (ii) G.S.R.526(E) published in Gazette of India dated 23rd July, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty on imports of Carbon Black used in rubber applications, originating in, or exported from People's Republic of China, Russia and Thailand for a further period of one year i.e. upto and inclusive of the 29th July, 2015, pending outcome of Sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.
- (iii) G.S.R.527(E) published in Gazette of India dated 23rd July, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on imports of Phosphoric acid of all grades and all concentration (excluding Agriculture of Fertilizer grade), originating in, or exported from Korea(RP) for a further period of one year i.e. upto and inclusive of the 21st June, 2015, pending outcome of Sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.
- (iv) G.S.R.528(E) published in Gazette of India dated 23rd July, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty on imports of Vitamin C, originating in,

or exported from People's Republic of China for a further period of one year i.e. upto and inclusive of the 15th June, 2015, pending outcome of Sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

[Placed in Library. See No. LT 665/16/14]

- (v) G.S.R.529(E) published in Gazette of India dated 23rd July, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty on imports of Potassium Carbonate, originating in, or exported from European Union, People's Republic of China, Korea RP and Taiwan for a further period of one year i.e. upto and inclusive of the 9th June, 2015, pending outcome of Sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.
- (vi) G.S.R.541(E) published in Gazette of India dated 25th July, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to levy provisional anti-dumping duty on imports of Purified Terephthalic Acid including its variants-Medium Quality Terephthalic Acid and Qualified Terephthalic Acid, originating in, or exported from People's Republic of China, European Union, Korea RP and Thailand for a further period of six months pursuant to the preliminary findings of investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.
- (vii) G.S.R.535(E) published in Gazette of India dated 24th July, 2014 together with an explanatory memorandum seeking to levy antidumping duty on imports of specified Rubber Chemicals, originating in, or exported from People's Republic of China and Korea RP for a further period of five years pursuant to the final

findings in sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

[Placed in Library. See No. LT 666/16/14]

- (15) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 642 of the Companies Act, 1956:-
 - (i) The Investor Education and Protection Fund (awareness and Protection of investors) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 216(E) in Gazette of India dated 27th March, 2014.
 - (ii) The Investor Education and Protection Fund (Uploading of information regarding unpaid and unclaimed amounts lying with companies) Amendment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 217(E) in Gazette of India dated 27th March, 2014.

[Placed in Library. See No. LT 667/16/14]

(16) A copy of Notification No. G.S.R.262(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 2nd April, 2014, grating of Nidhi status to companies under sub-section (3) of Section 620A of the Companies Act, 1956.

[Placed in Library. See No. LT 668/16/14]

(17) A copy of the Customs Baggage Declaration (Amendment) Regulations, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.82(E) in Gazette of India dated 10th February, 2014 under section 159 of the Customs Act, 1962, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library. See No. LT 669/16/14]

12.02 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

(i) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 30th July, 2014 adopted the following Motion in regard to the Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBCs):-

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that a Committee of both the Houses to be called the 'Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBCs)' be constituted for the purposes set out in the Motion adopted by the Lok Sabha at its sitting held on 22nd July, 2014 and communicated to this House, and resolves that this House do join the said Committee and proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, ten Members from amongst the Members of this House to serve on the said Committee."

- 2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:
 - 1. Shri Ram Narain Dudi
 - 2. Shri B.K. Hariprasad
 - 3. Shri Ahamed Hassan
 - 4. Shri Narendra Kumar Kashyap
 - 5. Shri Vishambhar Prasad Nishad
 - 6. Shri V. Hanumantha Rao
 - 7. Shrimati Vijila Sathyananth
 - 8. Shri Ashk Ali Tak
 - 9. Shri Ram Nath Thakur
 - 10. Shri Shankarbhai N. Vegad'.

(ii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Tuesday, the 15th July, 2014 adopted the following Motion in regard to the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:-

"That this House resolves that Rajya Sabha do join the Committee of both the Houses on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term ending on the 30th April, 2015, and do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, ten Members from among the Members of the House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that as a result of the election process initiated pursuant to the above Motion, nine Members of Rajya Sabha were duly elected to the said Committee and their names were communicated to the Lok Sabha through a Message dated 28th July, 2014 from the Rajya Sabha. Now the election process to fill up the remaining one vacancy having been completed, Shri Ambeth Rajan, member, Rajya Sabha has been duly elected to be a member of the Committee.'.

12.02 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 75th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Departments of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment, Ministry of Finance *

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay on the Table of the House a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 75th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Departments of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment, Ministry of Finance.

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 670/16/14.

12.02 ¾ hrs

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 2946 DATED 10.02.2014 REGARDING DEFENCE CONTRACTS ALONG WITH REASONS FOR DELAY*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay on the Table of the House a copy of the Statement (Hindi and English versions) (i) correcting the reply given on 10th February, 2014 to Unstarred Question No.2946 by Shri Kalikesh N. Singh Deo, Member of Parliament regarding 'Defence Contracts' and (ii) the reasons for delay in correcting the reply.

Subsequent to the conclusion of 15th Lok Sabha, it came to notice that in sub-part (a), details of transactions carried out under Life Cycle Cost (LCC) method had been sought. It was observed that one contract, i.e., Basic Trainer Airfract (BTA) has been concluded using Total Cost of Acquisition (TCA) method under the LCC approach. It was therefore proposed to revise the answer and table it in the 2nd Session of 16th Lok Sabha as there were no Question Days in 1st Session of 16th Lok Sabha.

The statement of correcting reply to the Lok Sabha Unstarred Question No.2946 is being tabled in Lok Sabha on the 8th August, 2014.

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 671/16/14]

STATEMENT BY THE MINISTER OF DEFENCE CORRECTING THE REPLY TO PART (A) TO (E) OF THE LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2946 ASKED BY SHRI KALIKESH N. SINGH DEO, M.P. (LOK SABHA) REGARDING "DEFENCE CONTRACTS" ON 10.02.2014

12.03 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS ... Contd.

(ii)Status of implementation of the recommendations contained in the 67th to 70th and 75th to 78th Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2013-14), pertaining to Four Departments under the Ministry of Health and Family Welfare*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN): In pursuance of the provisions of direction 73A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha, I wish to inform the House the Status of Implementation, indicated in the Statement being laid on the Table of the House, of various recommendations contained in the 67th to 70th and 75th to 78th Reports of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on the Demands for Grants for the year 2013-14 in respect of four Departments under the Ministry of Health and Family Welfare.

12.03 ½ hrs

STATEMENT CORRECTING REPLY TO STARRED QUESTION NO. 269 DATED 25.07.2014 REGARDING CASES OF MEASLES**

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN): In reply to the Lok Sabha Starred Question No.269 for 25th July, 2014, regarding Cases of Measles, inadvertently, few figures shown in Annexure-I, appended to the reply, differ in Hindi and English versions.

The correct reply of the question is annexed.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 672/16/14.

^{**} Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 673/16/14.

CORRECTED REPLY

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 269 TO BE ANSWERED ON THE 25TH JULY, 2014 CASES OF MEASLES

*269 SHRI HARISHCHANDRA CHAVAN: SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHWAT:

Will the Minister of Health and family welfare be pleased to state:

- (a) The number of cases of measles, and attributable deaths reported in the country during each of the last three years and current year, State/UT-wise;
- (b) The details of the schemes/ programmes being implemented by the Government to control the aforesaid disease along with the achievements made as a result thereof during the said period;
- (c) The funds earmarked, allocated and utilized for the above purpose during the said period, State/UT-wise; and
- (d) The further measures taken/proposed to be taken by the Government for eradication of measles in the country?

ANSWER THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN)

(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 269* FOR 25TH JULY, 2014

- (a) The total number of cases of measles and attributable deaths reported in the country, State/UTs wise for the past three years and current year as published by Central Bureau of Health Intelligence (CBHI) in placed at Annexure I.
- (b) The Government of India has committed for elimination of measles in the country by 2020. In this regard, under Universal Immunization Programme, two doses of measles vaccine have been introduced in place of single dose of measles vaccine since 2010. This was preceded by a mass measles vaccination campaign covering children in the age group of 9 months to less than 10 years in 14 States. These States were selected as measles evaluated coverage was less than 80%. These states were Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chattisgarh, Haryana, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Tripura, Uttar Pradesh and Rajasthan. A total of 119 lakh children were vaccinated during this campaign. Outbreak laboratory surveillance has been introduced in the country.
- (c) Under the UIP, the states are provided for conducting routine immunization including two doses of measles. The funds are used for cold chain maintenance, vaccine delivery, capacity building, strengthening supportive supervision, involvement of ASHA for social mobilization etc. The State/UTs wise allocation and utilization of funds for the last three years is given at annexure II.
- (d) Laboratory supported measles surveillance has been initiated in the country which is generating epidemiological data to guide further course of action in carrying out measles elimination activities.

अनुलग्नक-। खसरा के सूचित मामलों एवं उसके कारण होने वाली मौतों का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2011		2012		2013		2014*	
		मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु	मामले	मृत्यु
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	49	0	73	0	16	0	20	0
2.	आंध्र प्रदेश	849	2	234	7	701	1	245	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	627	1	172	0	44	0	रिपोर्ट नहीं की गई	रिपोर्ट नहीं की गई
4.	असम	4692	0	1596	0	1516	0	267	0
5.	बिहार	416	0	2772	0	520	1	76	0
6.	चंडीगढ़	16	0	11	0	3	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	98	0	482	0	139	0	70	0
8.	दादरा एवं नागर हवेली	36	0	44	0	58	0	16	0
9.	दमन और दीव	2	0	1	0	1	0	13	0
10.	दिल्ली	1089	10	1485	16	945	4	214	2
11.	गोवा	19	0	59	0	59	0	18	0
12.	गुजरात	683	1	123	0	241	0	556	0
13.	हरियाणा	515	0	422	1	30	0	72	0
14.	हिमाचल प्रदेश	573	0	221	0	155	0	25	0
15.	जम्मू एवं कश्मीर	3269	0	1935	0	1920	0	1011	0
16.	झारखंड	1097	0	270	0	480	0	36	0
17.	कर्नाटक	811	1	1282	0	100	0	253	0
	केरल	1553	1	1094	0	1221	0	613	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	486	0	871	0	249	0	118	0
21.	महाराष्ट्र	2528	2	1260	1	1474	1	994	0
22.	मणिपुर	711	0	257	0	429	0	105	0
23.	मेघालय	485	2	125	0	300	0	24	0
24.	मिजोरम	239	0	165	0	88	0	23	0
25.	नागालैंड	615	0	164	0	304	0	17	0

* स्रोतः सीबीएचआई/राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों से प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य स्थिति की रिपोर्ट।

26.	ओडिशा	1004	1	1085	0	457	0	213	0
27.	पुडुचेरी	32	0	22	0	24	0	10	0
28.	पंजाब	42	0	2	0	1	0	1	0
29.	राजस्थान	326	1	542	0	37	0	89	0
30.	सिक्किम	740	0	136	0	66	0	13	0
31.	तमिलनाडु	2582	3	623	0	323	0	225	0
32.	त्रिपुरा	670	0	256	0	65	0	22	0
33.	उत्तर प्रदेश	370	1	615	0	476	0	152	0
34.		38	0	111	0	90	0	166	0
35.	पश्चिम बंगाल	6372	30	4079	15	3236	0	986	3
	योग	33634	56	22589	40	15768	7	6398	5

12.04 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, आपकी अनुमित से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 11 अगस्त, 2014 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:-

- 1. रेल (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार और पारित करना।
- 2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-
 - (क) शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2014;
 - (ख) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014; और
 - (ग) कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014
- राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात श्रम विधि (विवरणी देने और रिजस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक, 2011 पर विचार और पारित करना।
- **डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) :** अध्यक्ष जी, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सिम्मिलित किया जाए -
- 1. मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में सर्वाधिक तालाब हैं। यह चन्देलकालीन तालाब लगभग 950 थे। किंतु रखरखाव के अभाव में तथा अतिक्रमण के कारण अभी लगभग 450 तालाब बचे हैं। पुरातत्व महत्व के इन सभी तालाबों का जल संरक्षण योजना के अंतर्गत जीर्णोद्धार की आवश्यकता है।
- 2. मध्य प्रदेश के ओरछा धार्मिक एवं पर्यटक केंद्र पर देशी विदेशी पर्यटकों की अपार भीड़ की उपस्थिति देखते हुए यहां से हवाई सेवाएं देश के प्रमुख नगरों से जोड़ने की आवश्यकता है।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): अध्यक्ष जी, कृपया निम्न दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ लिया जाए -

- 1. भागलपुर शहर में यातायात का दबाव बहुत ही ज्यादा है। शहर के यातायात को विकेंद्रित करने तथा शहर के अंदर सामान्य आवागमन बनाए रखने के लिए भागलपुर में कहलगांव से तीन टेंगा तक राष्ट्रीय नदी गंगा पर आवागमन के लिए नए पूल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है।
- 2. भागलपुर सिल्क नगरी के रूप में प्रसिद्ध है तथा बिहार राज्य के पूर्वी भाग का एक प्रमुख शहर है। देश के कोने-कोने से सिल्क के व्यापार के लिए यहां लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन भागलपुर शहर के लिए घरेलू विमान सेवा नहीं होने के चलते स्थानीय नागरिकों तथा अन्य लोगों को दूसरे महानगरों में आवागमन करने में काफी कठिनाई होती है। अतः भागलपुर में विमान सेवा प्रारंभ करने के लिए हवाई अड्डे के निर्माण कराए जाने की आवश्यकता है।
- डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय): अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आगामी सप्ताह के लिए सदन के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है, उसमें मैं निम्नलिखित प्रस्तावों को जोड़ना चाहता हूं -
- 1. बिहार के बेगूसराय जिले में कांवड झील जो 15000 एकड़ में है, उसे किसान विहार घोषित किया जाए।
- 2. बेगूसराय के जयमंगलागढ़ को बुद्ध सर्किट में जोड़ने की सरकार घोषणा करें।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): अध्यक्ष महोदया, वर्तमान सत्र के अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित लोक महत्व के विषय को विचार हेतु सम्मिलित कर सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।

महोदया, देश के विभिन्न स्थानों पर कोल आदिवासी समुदाय के लोग भारी संख्या में रहते हैं जो केवल वनों एवं खेती पर आधारित हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा तथा इलाहाबाद जिले में इनकी बहुतायत है। काफी लम्बे समय से उत्तर प्रदेश में कोल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने की मांग भारत सरकार से की जा रही है किन्तु अभी तक प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाया है।

अतः आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में कोल आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची मे सम्मिलित करने के लिए सदन में चर्चा करायी जाए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित विषयों को सप्ताह के अगले कार्यसूची में शामिल करने की कृपा की जाए -

- 1. हमारे संसदीय क्षेत्र गिरिडीह के अन्तर्गत जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता खराब है, उक्त सड़कों की गुणवत्ता जांच कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा।
- झारखण्ड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क के उन्नयन एवं विकास हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु
 प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। अतः केन्द्र सरकार के द्वारा उक्त प्रस्ताव के आलोक में शीघ्र
 निधि/राशि विमुक्त कर झारखण्ड सरकार को भेजने की अपेक्षा।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़िचरोली-चिमुर): महोदया, आपसे निवेदन है कि सबिमशन के अन्तर्गत निम्नलिखित दो विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किए जाने हेतु अनुमित प्रदान की जाए -

- 1. महाराष्ट्र राज्य के गढ़िचरोली चिमुर आदिवासी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत नागभीड़ से नागपुर छोटी रेलवे लाईन, जो चन्द्रपुर व नागपुर जिलों से होकर गुजरती है, को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित किए जाने के बारे में।
- 2. महाराष्ट्र राज्य के गढ़िचरोली चिमुर संसदीय क्षेत्र जो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, के गढ़िचरोली आदिवासी जिले की लघु, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्र सरकार से वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अब तक स्वीकृति न मिलने से नक्सलवाद से प्रभावित जिले में किसानों को भूमि सिंचन हेतु पानी न उपलब्ध होने से सम्बन्धित विषय।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि निम्लिखित विाय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में समावेश किया जाए।

- 1) अहमदाबाद के नारोल, विशाका सर्कल होते हए जुहापुरा से सरखेल से सौराट्र जाने वाले राट्रीय राजमार्ग नं. 4 पर सीवर्स लेन का फ्लाई ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए।
- 2) बीआरटीएस रूट पर रानी क्रॉस रोड पर डा. अम्बेडकर राट्रीय फाउंडेशन में विकास और सुविधाओं के लिए वित्तीय मदद दी जाए।

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Madam Speaker, I request that the following items may be included in the next week's agenda:

- 1. Need to expedite, coordinate, streamline various Metro Railway Projects across the country and give momentum; and
- 2. Steps to improve power situation in the country and measures to streamline power projects in the country.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam Speaker, I request that the following matters may be included in the Government Business for the coming week:

- 1. Discussion on 49 per cent FDI in Defence and 100 per cent in Railways which are against national interest; and
- 2. The situation in Jute industry due to non-lifting of jute bags by the Government of Punjab that is leading to closure of Jute Mills.

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Madam Speaker, I request that the following items may be included in the next week's agenda:

- 1. Discussion regarding regularization/abolition of toll tax, collected all over the country; and
- 2. Discussion regarding need to nationalize/interlink all the rivers of the country.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं पांच दिन से लगातार निवेदन कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज एक तो लेने दो। आपको भी समय दे देंगे।

श्री अनुराग सिंह टाकुर: मैडम, तब तक यात्रा खत्म हो जाएगी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं होगी।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: एक तो पहले से 25 सालों से वे लोग बेघर हैं।...(व्यवधान) कश्मीरी पंडितों की बात कब सुनी जाएगी? वे तादाद में ज्यादा नहीं होंगे लेकिन उनकी आवाज तो सुनी जानी चाहिए। न सदन के बाहर और न जम्मू-कश्मीर की सरकार उनकी बात सुनती है। क्या सदन के अंदर भी उनकी बात नहीं सुनी जाएगी?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सुनी जाएगी। सदन के अंदर भी सुनी जाएगी। आज जो लिया है, उसको तो पहले करने दीजिए।

श्री अनुराग सिंह टाकुर: मैडम, पिछली बार भी कहा गया कि आज कॉलिंग अटैंशन देंगे। ...(व्यवधान) मैडम, क्या किसी दिन इसका समय तय किया जाएगा?

माननीय अध्यक्ष: दे देंगे। नहीं तो आपको ज़ीरो ऑवर में दे देंगे।

श्री अनुराग सिंह **टाकुर:** मैडम, बीएसी में कॉलिंग अटैंशन में आया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दे देंगे। I am looking into it.

... (Interruptions)

12.14 hrs

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Need to correct price fixation mechanism for sugarcane and other agricultural produces in the country

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Madam Speaker, I call the attention of the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement* thereon:

"Need to correct the price fixation mechanism for sugarcane and other agriculture produces in the country."

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): माननीय अध्यक्ष जी, यदि आपकी अनुमित हो तो मैं पढ़ दूं और यदि सब लोगों को स्टेटमेंट मिल गयी है तो इसको हम लेड-डाउन कर दें?

माननीय अध्यक्ष : हां, यदि सदस्यों को मिल गयी है तो ले कर दीजिए। पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 31.07.2014 की स्थिति के अनुसार देश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर 9252 करोड़ रुपए का बकाया है, जो वर्तमान चीनी मौसम 2013-14 के दौरान देय कुल राशि (57104 करोड़ रुपए) का लगभग 16.20 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश राज्य में निजी और सहकारी चीनी मिलों पर 5741 करोड़ रुपए का बकाया है जो गन्ना मूल्य के कुल बकाया का 29.61 प्रतिशत है। गन्ना मूल्य का बकाया मुख्य रूप से वर्तमान मौसम में गन्ने की आपूर्ति से संबंधित है। पिछले मौसमों का बकाया सामान्यतः मामलों के न्याय-निर्णयाधीन होने, ऋणदाता बैंकों द्वारा मिलों को प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अंतर्गत लिए जाने आदि के कारण है। वर्तमान मौसम में बकाया की स्थिति मुख्य रूप से चीनी की बिक्री से कम राशि प्राप्त होने के कारण उत्पन्न हुई है।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1996 में यह प्रावधान है कि गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाए और ऐसा न हो पाने की स्थिति में 14 दिनों के बाद की विलम्बित अवधि के लिए

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 674/16/14]

बकाया राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा। इस प्रावधान को लागू करने की शक्तियां ऐसी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रदान की गई हैं जिनके पास आवश्यक फील्ड तंत्र उपलब्ध है। केंद्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गन्ना किसानों के बकाया का यथासमय भुगतान सुनिश्चित करने और दोषी चीनी मिलों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सलाह देती है।

- 3. गन्ना किसानों को पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया का निपटान करने तथा उन्हें वर्तमान चीनी मौसम के गन्ना मूल्य का यथासमय भुगतान सुगम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार ने दिनांक 03.01.2014 को चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम (एसईएफएएसयू-2014) अधिसूचित की है, जिसमसें चीनी मिलों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के रूप में बैंकों द्वारा 6600 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण परिकल्पित है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने दिनांक 28.02.2014 को एक अन्य स्कीम अधिसूचित की है जिसमें निर्यात बाजार के लिए लक्षित रॉ चीनी उत्पादन हेतु विपणन एवं संवर्धन सेवाओं के संबंध में प्रोत्साहन राशि की अनुमित प्रदान की गई है। इन स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन राशि का उपयोग चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा।
- 4. उठाया गया अन्य मुद्दा चीनी के मूल्य निर्धारण तंत्र का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घरेलू बाजार में चीनी के मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं तथा वे उपभोक्ता-वार विनियमित नहीं होते। किन्तु मूल्य वृद्धि से गरीबों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने राज्य सरकारों से खुले बाजार से चीनी की खरीद करने तथा सार्वजिनक वितरण प्रणाली के माध्यम से 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बीपीएल लाभभोगियों को इसकी आपूर्ति करने के लिए कहा है। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार 18.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से राज्य सरकारों की प्रतिपूर्ति करेगी। इससे खुला बाजार मूल्य से गरीब लोगों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

डॉ. सत्यपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी का वक्तव्य पूर्ण रूप से समाधानकारक नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार, माननीय मंत्री और इस सम्मानित सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा ही नहीं है बल्कि बहुत ज्वलंत, गंभीर और विस्फोटक परिस्थिति है। जिस प्रकार से माननीय मंत्री ने कहा है कि लगभग 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ना किसानों का पैसा बाकी है। उत्तर प्रदेश में किसानों का 5000 करोड़ से ज्यादा बाकी है और मेरे संसदीय क्षेत्र बागपत में लगभग 650 करोड़ रुपया बाकी है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पिछले सीजनों का पैसा नहीं दे सकते क्योंकि मैटर सब्जुडिस है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। शुगर कंट्रोल आर्डर में कहा गया है 15 परसेंट किसानों का ब्याज मिलना चाहिए अगर भुगतान 14 दिनों के अन्दर नहीं किया जाता। पर यह राज्यों

के अधिकार में है लेकिन राज्य कुछ करते नहीं हैं। मिल मालिकों की बैलेंस शीट में इस बात को कभी दिखाया नहीं जाता है कि उनको किसानों को ब्याज भी देना है।

जहां तक सिफासु (SEFASU) स्कीम की बात है, तीन साल के लिए सरकार ने बैंकों को सॉफ्ट लोन देने के लिए दिखाया है, शुगर मिल मालिकों को यह दिया गया है किंतु किसानों को कुछ भी नहीं। यह हालत ऐसी है जैसे कोई भूखा आदमी रोड पर पड़ा हुआ मिल जाए, उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए और अस्पताल में कहा जाए कि इसके इलाज पर जितना खर्च होगा, दे देंगे और बाद में जब भूखा आदमी अस्पताल से बाहर आ जाएगा तो क्या खाएगा, क्या करेगा, इसके बारे में सरकार कुछ नहीं करती है।

मेरा कहना यह है कि यह केवल मुद्दा नहीं है, परिस्थित बहुत गम्भीर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की हालत बहुत खराब है। केवल मात्र एक विधान सभा क्षेत्र छपरौली के अंदर लगभग 280 लड़कियों की शादी इसलिए कैंसिल हो गई, लोग अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। केवल एक स्कूल के अंदर 27 लाख रुपये फीस बाकी है। लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। लोग अपनी भैसों, गायों के लिए खाने का सामान (फीड)नहीं खरीद पा रहे हैं और हम लोग केवल मात्र यहां पालिसी डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब तक वह इम्पलीमैन्ट नहीं होता, तब तक कोई फायदा नहीं है। हम शुगर मालिकों को पैसा देते हैं और भूल जाते हैं। मैं इस ओर भी सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सबसे गम्भीर बात यह है कि परसों तीन दिन पहले यूपी शुगर मिल एसोसिएशन तथा इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने एक प्रेस कांफ्रैस की और उन्होंने धमकी दी है कि इस बार हम सीजन में गन्ना मिल नहीं चलायेंगे। पहले मिल मालिकों से सरकार यह पूछे कि आप लोगों ने कितना पैसा लगाया था। जब आपने मिल चालू की या आप जो मिल चलाते हो तो आप लोगों ने अपनी जेब से कितना पैसा लगाया। ज्यादातर पैसा जो आया है, वह हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आया है, हमारे बैंकों का पैसा है, जनता का पैसा है और आज वे हमें धमकी देते हैं कि मिल नहीं चलायेंगे।

तीसरी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ बैंकों ने रिट दायर की है, उसमें स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूपी कोऑपरेटिव बैंक हैं और उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार ने जो 32 लाख टन चीनी का स्टाक जमा किया है, उसे बेचा नहीं जा रहा है। अगर उसे बेचा जायेगा तो सबसे पहले जो पैसा दिया जायेगा वह बैंकों को दिया जायेगा और उसके बाद यदि थोड़ा बहुत बचेगा तो उसे मिल मालिक ले लेंगे। किसानों के बारे में कोई सोचने की बात नहीं है। यूपी सरकार कहती है कि हमारे पास जो चीनी का स्टाक है, उसका कोई खरीददार उपलब्ध नहीं है। किसान लोग इस बात के लिए आभारी हैं कि जिस प्रकार भारत सरकार से लोगों में उम्मीद जगी थी कि जो नई सरकार आ रही है, वह

किसानों के हित का संरक्षण करेगी और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम सोफ्ट लोन दे रहे हैं। पिछले साल कांग्रेस सरकार ने 19 हजार करोड़ रुपये किसानों का माफ किया, इस पर सदन में चर्चा भी हुई थी। लेकिन वह 19 हजार करोड़ किसानों को नहीं मिला। यह 19 हजार करोड़ किन लोगों के पास गया, यह बैंकों के पास गया, बैंकों के अंदर जो नॉन-परफार्मिंग असैट्स हैं, उनमें चला गया। लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर लगभग छः करोड़ किसान और मजदूर शुगर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। केवल यूपी में तीस हजार करोड़ रुपये का व्यवसाय है। हमारी सरकार रोजगार के अवसर खोलना चाहती है और मिल मालिक कहते हैं कि हम मिल बंद करना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात इस देश में यह है कि मिल मालिक कोर्ट में जा सकते हैं, उनका पैसा किसानों का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। बैंक्स कोर्ट्स में जा सकते हैं और किसान दो-दो सालों से अपने पैसे के लिए अगर कोर्ट में जाना चाहता है तो उसके पास जाने के लिए पैसा नहीं है।

महोदया, मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, जो इससे संबंधित हैं, आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। क्या कभी सरकार ने कारखानों के उत्पाद जैसे साबुन, कपड़े और जूते के भाव तय किये। फिर हम गन्ने का भाव क्यों तय करते हैं? क्या कभी हमने न्यूनतम मज़दूरी एक्ट, मिनिमम वेजिज एक्ट, मनरेगा जो किसान परिवार खेतों में काम करता है, क्या कभी उसके लिए लागू किया। हर साल बजट बनता है, हर साल बजट बनने से पहले जब सरकार पेश करती है, हम लोग इंडस्ट्रीज ग्रुप को बुलाते हैं, एसोचैम को बुलाते हैं, फिक्की को बुलाते हैं, क्या आज तक पिछले 67 सालों में कभी हमने किसानों को बुलाकर पूछा कि आप लोगों की क्या समस्या है, बजट में क्या किया जाए। हमने उनसे कभी इस बात को नहीं पूछा है। अभी राजू शेट्टी जी यहां नहीं हैं। एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन बनता है। डा. स्वामीनाथन कमेटी के ऊपर यहां चर्चा हुई। डा.रंगराजन कमेटी के ऊपर यहां बात हुई। मेरा सबिमशन सदन में इतना ही है कि इन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन के अंदर ऐसे लोग आये, जो किसानों की समस्याओं को जानते हों और किसानों के घरों में पैदा हुए हों। ऐसे कितने लोग आज तक हुए हैं, जिन्हें किसानों के आयोग में बैठाया गया हो।

हम लोग चीनी रिकवरी की बात करते हैं। यूपी में रिकवरी बहुत कम है। यूपी में 9 परसैन्ट रिकवरी है, महाराष्ट्र में 11 परसैन्ट रिकवरी है, केरल में 7 परसैन्ट रिकवरी है। 67 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने गन्ना रिसर्च पर कितना पैसा खर्च किया है। 6600 करोड़ रुपये बैंकों को बिना ब्याज का पैसा देने के लिए मंत्री जी ने कहा है। हम बिना ब्याज का पैसा पांच साल के लिए देने के लिए तैयार हैं। क्या हम लोगों ने गन्ने की रिसर्च पर 1600 करोड़ रुपये खर्च किया है। हम लोगों ने आज तक गन्ने की नस्ल में सुधार क्यों नहीं किया? क्यों हम लोग उसकी नयी टैक्नोलॉजी नहीं लाए? अगर महाराष्ट्र के अंदर रिकवरी इतनी

ज्यादा है तो यूपी के अंदर क्यों नहीं हो सकती है? सन् 1975 में ब्राजील के अंदर कहा कि वहां पर गन्ने से इथनॉल बनती है। पैट्रोल के अंदर उसकी ब्लेंडिंग (मिलाया जाना) की जाती है या एल्कोहल से वहां गाड़ियां चलाई जाती है। इसको 39 साल हो गए। सन 2001 में तब के माननीय पैट्रोल मंत्री श्री राम नाइक ने कहा था कि इस भारत सरकार ने अभी तक चार कमेटियां बनाई हैं, छह टैक्निकल कमेटियां बनाई हैं। लेकिन आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर पैट्रोल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री का आपस में समन्वय नहीं हो पाया है कि हम कितना इथनॉन पैदा करेंगे। प्रतिवर्ष 144 बिलयन अरब रूपये का हम क्रुड ऑयल इंपोर्ट (आयात)करते हैं। अगर हम इथनॉल को बनाते, इथनॉल से गाड़ियां चलाते, एल्कोहल से गाड़ियां चलाते तो बाहर के देशों पर हमारी जो निर्भरता है, वह खत्म होती और इस देश का स्वाभिमान बढता। गन्ने का सीज़न शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र और यूपी में हर बार धरने होते हैं, हर बार डिमोंस्ट्रेशन होते हैं कि गन्ने का भाव तय करो। सरकार पंचवर्षीय योजना तैयार करती है। क्या हम पांच साल पहले उसका भाव तय नहीं कर सकते हैं कि अगले साल किसानों को क्या भाव मिलेगा। वह गन्ना बोएगा या नहीं बोएगा, यह उसकी इच्छा है। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों एमआरपी, एमआरपी, एसएजी करते हैं? हम इसको 5 साल या 2 साल पहले तय क्यों नहीं करते है? यहां पर माननीय मंत्री जी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हुए हैं। एग्रीकल्चर कमेटी की एक टास्क फोर्स को मुझे अटैंड करने का मौका मिला। उसके अंदर इस देश के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। मैंने वहां पर कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारी कृषि नीति, हमारी कृषि शिक्षा, हमारे रिसर्च, हमारे डिवेल्पमेंट, हमारे फर्टीलाइज़र, सब का सब इस देश के हिसाब से नहीं है। जैसा विदेशी लोगों ने तय किया, वैसा ही हमने किया। आज हमारे किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? आज हमारे लोग भूखे क्यों मरते हैं? जो दूसरों के पेट को भरता है वह भूखे पेट क्यों रहता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश की कृषि नीति इलीट लोगों के लिए बनी हुई है, संभ्रांत लोगों के लिए बनी हुई है। भारतीय कृषि के ऊपर एक किताब आई है कि " How the other half dies" by Sussan George मतलब आधे लोग कैसे भूखे मरते हैं, उसे पढ़ना चाहिए। मैडम, जैसे नमक के बिना भोजन नहीं बनता, वैसे ही चीनी के बिना भी नहीं बन सकता। लेकिन चीनी कोई बल्क आइटम नहीं है। आलू और सब्जी की तरह हम उसको खाते नहीं हैं। हमारे देश के अंदर जितनी चीनी का उत्पादन होता है, उसका लगभग 35 पर्सेंट पीडीएस (Public Distribution System) में जाता है। लेकिन 65 प्रतिशत बल्क में जाती हैं, कमर्शियल कम्पनियों को जाता है जैसे केक बनाने में जाती है, पेस्ट्री बनाने में जाती है, बिस्किट बनाने में जाती है, कोल्ड ड्रिंक बनाने में जाती है। एक गरीब आदमी जिस भाव से चीनी खरीदता है, उसी भाव से ये कम्पनियां हज़ारों क्विंटल चीनी खरीदी जाती है। मेरा कहना यह था कि हम शुगर का डिफरेन्शियल प्राइज़ फिक्सेशन मैकेनिज़म क्यों नहीं कर सकते हैं? जो लोग हज़ारों क्विंटल चीनी खरीदते

हैं, हम उनसे ज्यादा दाम क्यों नहीं चार्ज कर सकते हैं? जैसे एलपीजी के अंदर है कि जो चार सिलेंडर खरीदेगा उसको सब्सिडाइज़ रेट मिलेगा और जो 12 सिलेंडर ज्यादा खरीदेगा उसको ज्यादा देना पड़ेगा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए जो बल्क में चीनी खरीदता है, उसके लिए ज्यादा दाम रखे जाएं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह: मैडम, यह केवल मुद्दा नहीं है, यह बहुत ही विस्फोटक समस्या है। कल को ये भूखे लोग, अगर रोड़ पर आ गए तो बहुत मुश्किल होगी। ये मात्र किसानों की आर्थिक समस्या का प्रश्न नहीं है। यह सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न है। यह कानून व्यवस्था का प्रश्न है। कल को हम इसको काबू नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप मुझे थोड़ा और समय दें। ... (व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि जितनी चीनी होती है, मेरे पास उसका पूरा रिकार्ड है, साल में एक लाख बीस हज़ार करोड़ रूपये का टर्न ओवर है इन कम्पनियों का, क्या हम उनको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से नहीं बेच सकते हैं। मेरा एक सुझाव है, हमने बहुत सी चीज़ों पर सैस (Cess) लगाया है जैसे एजुकेशन सैस है, पैट्रोल सैस है, एनवायरमेंट सैस है, तो क्या हम शुगरकेन के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, चीनी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। हम मात्र पांच पर्सेंट सैस लगा दें तो भारत सरकार को पांच हज़ार करोड़ रूपये का फायदा होगा। हम पांच हज़ार करोड़ रूपये किसानों को दे सकते हैं।

मैडम, आज हम लोग शुगरकेन को केवल शुगर से जोड़ते हैं। हम शुगरकेन का वैल्यू एडिशन क्यों नहीं करते हैं? उससे बगास (खोई) से पावर बनती है, उससे इथिनॉल बनेगा, उससे एल्कोहल बनेगी, उससे दूसरी चीज़ बनेगी। इस तरह से उसको वैल्यु एडिशन मिलेगा। जब उसका वैल्यु एडिशन करेंगे तो किसानों का फायदा होगा, मिल मालिकों को फायदा होगा।

महोदया, मैं मिल मालिकों के खिलाफ नहीं हूं। मेरा उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। मैंने तीस साल से ज्यादा कानून व्यवस्था का काम किया है। मुझे यह डर लगता है कि अगले कुछ दिनों में कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो सकता है तो हम कैसे उसे हल करेंगे?

एक माननीय सदस्य : आप इस चर्चा को नियम 193 के तहत करने की रिक्वेस्ट कीजिए।

माननीय अध्यक्ष: अब इनकी बात कंप्लीट हो गयी है।

डॉ. सत्यपाल सिंह : मै अंत में एक बात बताना चाहता हूं। हमारे बागपत के अंदर मलकपुर में एक मोदी इंडस्ट्रीज है, जिन्होंने इस मिल को लगाया है। जब से मिल लगा है, वर्ष 1998 से हर साल, कभी उसने

किसानों को समय पर पैसा नहीं दिया, एक-दो साल के बाद वह पैसा देता है और मैंने खुद वर्ष 2012 और 2013 की उसकी बैलेंस शीट का अध्ययन किया है। 231 करोड़ रूपए, क्या उन्होंने कंपनी फ्रॉड किया है, मिल से पैसा निकालकर दूसरी कम्पनियों में पैसा लगाया है।

में भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इसमें 420 IPC का मुकदमा दायर होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के अंदर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज बीमार हो जाती है, इंडस्ट्रीज (उद्योग) सिक हो जाती है, इंडस्ट्रियिलस्ट (उद्योगपित) कभी बीमार नहीं होता है, उसके ऐशो-आराम में कभी कोई कमी नहीं आती है। वे बीआईएफआर में जाते हैं, वे सीडीआर के अंदर जाते हैं, किसान बेचारा कहां जाएगा, उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। व्यापारियों के लिए फिक्की है, किसानों के लिए कोई फोरम नहीं है। यह सदन ही किसानों के लिए कुछ कर सकता है। यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि हम लोग इसको एक व्यवस्था का प्रश्न मानें, इसे हम केवल एक आर्थिक प्रश्न न मानें। माननीय मंत्री जी, यह न मानें कि शुगर का प्राइस मार्केट फिक्स करता है या यह सबज्युडिस मैटर है, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। इससे व्यवस्था बिगड़ी जाएगी। इस देश के 65 प्रतिशत लोग अभी खेती पर अवलंबित हैं, अगर उनके बारे में हमारी प्रायोरिटी नहीं है, उनके बारे में हमारी प्राथमिकता नहीं है और गरीबों के लिए प्राथमिकता नहीं है तो फिर हमारी प्राथमिकता कहां है?

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आपका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती कृष्णा राज।

लम्बा भाषण नहीं देना है। केवल एक-एक क्लेरिफिकेशन पूछना है।

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि सम्पूर्ण देश में गन्ने के भुगतान का कुल 10,925.46 करोड़ रूपए बकाया है। हमारे उत्तर प्रदेश में सात हजार करोड़ रूपए का भुगतान बकाया है। वर्ष 2011-12 में 107.26 करोड़, वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 में क्रमशः 31.24 करोड़, 6,737 करोड़ रूपए, इस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश में इतना धन गन्ना किसानों का बकाया है। मैंने यह देखा है कि इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या की और वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। इतनी दयनीय स्थिति को मैंने देखा है।

में आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि सम्पूर्ण देश के साथ-साथ हमारे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए। यह हमारी आपसे अपेक्षा है।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam, I wish to put my questions directly and request the hon. Minister to reply to the same.

The critical issues that plague Indian agriculture, at present, are the knowledge deficit and infrastructure deficit, especially in the rural areas. Problems relating to irrigation infrastructure, market infrastructure and transport infrastructure add significant costs to farmers' operations.

So, I would like to know from the hon. Minister as to how he is planning to address this.

Secondly, the CAG has observed in his Report No. 7 of 2013 that while determining the cost of production for each crop, the Commission for Agriculture Costs and Prices followed a set procedure. No specific norm was however followed for arriving and fixing a Minimum Support Price over the cost of production leading to large year on year variation.

The difference of All India weighted average cost of production and the MSP fixed by the Government of India during the period 2006-07 and 2011-12 varied widely between 29 per cent and 66 per cent in case of wheat and between 14 per cent and 60 per cent in case of paddy.

Cultivation costs vary widely from one region to another. They are usually far higher in States such as Punjab, Haryana and Andhra Pradesh due to higher wages, land value and input costs while they are lower in other States. I would like to know from the hon. Minister as to how he is going to reconcile both of these things in fixing the Minimum Support Price.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरट): अध्यक्ष जी, डॉ. सत्यपाल सिंह जी ने जो विषय उठाया है, मैं उस सारे विषय से अपने को संबद्ध करता हूँ। मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा।

उत्तर प्रदेश में विशेषकर चीनी मिल, सरकार और बैंक अधिकारी - इनका एक ऐसा गठजोड़ बन गया है जो असंगठित किसानों का पूरी तरह से शोषण करता है। मैं मिल का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा। मैं बैंक का नाम ले रहा हूँ - ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। मिल के अधिकारी बैंक के अधिकारियों से मिलीभगत करके फर्जी तरीके से किसानों की ज़मीनों के कागज़ात का उपयोग करके किसानों के नाम पर सस्ते ब्याज पर ऋण ले लेते हैं। यह प्रैक्टिस अनेक वर्षों से चली आ रही है, अखबारों में इसके विषय में छपता रहता है। चार प्रतिशत की जो दर है, उस पर उनको 12 प्रतिशत के स्थान पर ऋण मिल जाता है और यह सौ करोड़, सवा सौ करोड़, डेढ़ सौ करोड़ की ट्यून का होता है। इसमें 100-200 किसानों के नाम तो ठीक होते हैं, बाकी के सब फर्ज़ी नाम होते हैं। बैंक के अधिकारी, चीनी मिल के मालिक और सरकार - तीनों इसमें मिले हुए हैं। जो किसान का भुगतान नहीं कर रहे हैं, किसान की ही ज़मीन का उपयोग करके वे ऋण लेते हैं। इनकी जाँच की जाए और इनको बाध्य किया जाए। मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे किसान का समय से भुगतान करें अन्यथा जैसी आशंका व्यक्त की गई है, विस्फोटक स्थिति है, बहुत तकलीफदेह स्थिति है, इसका समाधान किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : हुक्मदेव नारायण यादव जी, केवल एकाध प्रश्न, लंबा भाषण नहीं देना है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, मैं केवल समस्या के निदान के लिए दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात यह कि किसानों को सूद समेत पैसे का भुगतान मिल वाले नहीं करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करे और सभी मिल मालिकों को जेल में बंद करे जैसे किसानों को बंद करते हैं।

दूसरी बात, खेती के उत्पाद की कीमत सरकार तय कर देती है लेकिन कारखाने के उत्पाद की कीमत तय नहीं करती है। हमारी कीमत कछुए की चाल से चले और उनकी कीमत घोड़े की चाल से दौड़े, तो हम औद्योगिक माल खरीदते समय मरते हैं। इसलिए एक राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण आयोग बनाया जाए जो औद्योगिक माल की कीमत निर्धारित करे और लागत मूल्य से डेढ़ गुना से ज़्यादा पर उद्योग का माल मार्केट में न बिके जिससे किसान बच सकें।

माननीय अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी, इस पर आपको इंटरवीन करना है।

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): महोदय, कृषि जिंसों के लिए सरकार की मूल्य नीति में उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने पर विचार किया जाता है तािक उचित मूल्यों पर आपूर्ति उपबंध कराकर उच्चतर पूँजी निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके और उपभोक्ताओं के

हितों की रक्षा की जा सके। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के विचारों तथा अन्य संबंधित कारकों पर विभिन्न कृषि जिंसों के लिए समर्थन मूल्य का निर्णय करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय अनेक महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है। इसमें शामिल हैं - उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान उत्पादन मूल्य में समानता, बाज़ार मूल्यों में प्रवृत्तियाँ, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, अंतर-फसल मूल्य समानता, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार मूल्य की स्थिति तथा अदा किए गए मूल्य तथा किसानों द्वारा प्राप्त मूल्यों के बीच समानता। खेती उत्पादन की लागत में सभी अदा की गई लागतें शामिल हैं जिसमें किराये पर लिए गए मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम तथा पंपसैटों के संचालन आदि के लिए डीज़ल और विद्युत की लागत सहित बीजों, उर्वरकों, खादों, सिंचाई प्रभारों जैसे सामग्री आदानों के उपयोग पर नकद एवं सामान्य के रूप में व्यय के अतिरिक्त पट्टे पर दी गई भूमि के लिए अदा किया गया किराया भी शामिल है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग को 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की सिफारिश करती है। गन्ना, जिसके लिए खाद्य एवं सार्वजिनक वितरण विभाग द्वारा उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 22 फसलें शामिल की गयी हैं। यह फसलें हैं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, छिल्के सिहत मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास, गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों के बीज, कुसुम्भ, पटसन एवं खोपरा न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसानों के उत्पादन, उत्पाद के लिए उस समय प्रस्तावित न्यूनतम गारण्टी मूल्य के अनुरूप होता है, जब बाजार मूल्य उस स्तर से कम हो जाते हैं। जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में अधिक हो जाता है, तब किसान इस मूल्य पर उत्पाद को कहीं भी बेचने के लिए स्वतन्त्र है।

महोदय, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए इस बार बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने विस्तार से राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने की जो घोषणा की है, राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठता के सम्बन्ध बना कर हम इस काम को करेंगे।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, इनका पहला सवाल किसान के बकाये के बारे में है। इसमें दो मत नहीं है कि किसान का बकाया जब हम आए थे तो 13 हजार करोड़ रुपए था। सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में 7261 करोड़ रुपए बकाया था। 31 जुलाई, 2014 तक यह घट कर 5741 करोड़ रुपया रह गया है। सरकार के द्वारा जो भी प्रयास हो रहा है, हम उसी प्रयास को कर रहे हैं। हमारा काम अलग है और राज्य सरकार का काम अलग है। हम एफआरपी तय करते हैं। हमारा काम है कि

किसान की उपज का दाम तय हो और वह कैसे तय होता है, इस बारे में कृषि मंत्री जी ने बतलाने का काम किया है। हम अपने तमाम सदस्यों से जो किसान रहे हैं और हम शुरू से कहते रहे हैं कि उस समय भी नारा लगता था-

'करखनियां दामों का कीमत आने खर्च से ड्योढ़ा हो। अन्न के दाम की घटती-बढ़ती आने-सेर के भीतर हो।'

यह नीति का विषय है कि यदि कारखाने का मालिक अपना दाम तय करते हैं, तो किसान क्यों नहीं अपनी लागत के अनुसार अपनी उपज का दाम तय कर सकता है। लेकिन केंद्र सरकार का जो दायित्व है, जैसे पिछली बार चीनी का सरकार ने 210 रुपए प्रति क्विंटल तय किया था, इस बार हमने 220 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। राज्य सरकार का काम गन्ने के मूल्य का भुगतान करवाना है। उसके बाद जैसा हमने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि राज्य सरकार को सारे के सारे पावर हैं और 14 दिनों के अंदर मिल मालिक को पैसे का भूगतान करना चाहिए। अगर मिल मालिक ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर 15 परसेंट की दर से सूद लगेगा। अगर इसके बाद भी अगर वह भूगतान नहीं करता है तो राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है। हमारा फैडूल स्ट्रक्चर है। इसमें भारत सरकार से जितना बन पा रहा है, वह भारत सरकार करती है चाहे वह इस पक्ष की हो या उस पक्ष की हो। पीडीएस से लेकर हमारा जो सिस्टम है, उसमें हम यहां से पैसा देते हैं। जैसा अभी एक साथी ने कहा कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो कोका कोला वाले हैं, उनसे आप अधिक दाम क्यों नहीं लेते हैं। चीनी का मूल्य हम तय नहीं करते हैं। चीनी का मूल्य बाजार तय करता है। हम सिर्फ गरीब लोगों के लिए तय करते हैं। जो बीपीएल में हैं, बहुत राज्यों में तो बीपीएल को दिया ही नहीं जाता है। बिहार वगैरह राज्य में तो दिया ही नहीं जाता है, लेकिन जहां-जहां बीपीएल के परिवारों को दिया जाता है, उन्हें 13.50 पैसे की दर से दिया जाता है और उस पर हम सब्सीडी के रूप में 18.50 पैसे देते हैं। लेकिन जो ओपन मार्केट है, वह खुला हुआ है कि किस दाम पर कोका कोला लेता है या किस दाम पर कोई दूसरा लेता है, उस बारे में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है।

इसमें हम लोगों ने अभी तक चार सहूलियतें देने का मन बनाया है और दे भी रहे हैं। एक इम्पोर्ट ड्यूटी के संबंध में है। अभी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, वह अभी 15% है। हम ने विचार किया है कि उसे बढ़ाकर 15% से 40% किया जाए। लेकिन उसमें हमें इस बात का डर है कि ज्यों ही इसे 40% करेंगे, मार्केट में चीनी का दाम चार-पांच रुपये किलो बढ़ जाएगा। हम तो वह किसानों के लिए करेंगे, लेकिन वह हमारे ही खिलाफ़ जाएगा।

उसी तरह से, एक्सपोर्ट इंसेंटिव की बात है। अभी वह 3,300 रुपये है। हमने उसे दो महीने के लिए सितम्बर तक बढ़ाया है और बढ़ाकर उसे 3,370 रुपये करने का काम किया है।

महोदया, अभी हमारे एक साथी इथेनॉल के संबंध में कह रहे थे। यह बात सही है कि विदेशों में, ब्राजील में इथेनॉल 84% तक मिलाया जाता है। हमारे यहां यह दो प्रतिशत था। हमने पेट्रोलियम मिनिस्टर से बातचीत की और वे इस पर राज़ी हो गए हैं। हम लोग इसे 10% तक मिलाने की छूट दे रहे हैं।

चौथी सहूलियत सॉफ्ट लोन के संबंध में है कि ब्याज रहित कर्ज़ दिया जाए। उसमें अभी 6,000 करोड़ रुपये तक सैंक्शन हो गया है। उसमें अभी तक 1,000 करोड़ रुपये बचे हुए हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो अगले और दो सालों के लिए हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन, जरूरत इस बात की है कि पहले यह हो जाए।

जहां तक मिल मालिकों को जेल भेजने का सवाल है, मिल मालिकों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का सवाल है, यह सारा का सारा अधिकार राज्य सरकार को दिया हुआ है। हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि जो-जो राज्य डेवलप्ड हैं, जैसे महाराष्ट्र है, अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहां एक क्विंटल गन्ना में 11 किलो चीनी निकलती है। अगर बिहार में देखेंगे तो यह मात्रा सात-आठ किलो तक भी नहीं होती है। किसी-किसी एरिया में मिल मालिक किसानों से यह तय कर लेते हैं कि यहां आप इस फसल को उपजाइए, हम इसे लेंगे। लेकिन हमारे यहां उत्तर प्रदेश, बिहार में आज क्या है? उत्तर प्रदेश में भी यह देखा जाता है कि मिल मालिकों के सामने, फैक्टरी के सामने बैलगाड़ी पर अपनी फसल लेकर किसान चार-चार दिनों तक खड़े रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उसमें से 25% फसल तो वैसे ही सूख जाता है।

एक मामला वेरायटीज़ के संबंध में भी है। जो बिढ़या वेरायटी था, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अब उस प्रतिबंध को हटाने की कार्रवाई की गयी है। इसिलए हमने कहा कि हमें हर स्तर पर इसे देखने की आवश्यकता है। इस संबंध में हम स्वयं चिंतित हैं। अगर गन्ना किसान सड़क पर उतर जाएं या मिल मालिक ही हड़ताल कर दें और कल यदि पैदावार कम हो जाए तो फिर तो इसका दाम बढ़ ही जाएगा। चीनी के मामले में यही होता है कि हर तीन सालों के बाद जब चीनी की पैदावार ज्यादा हो जाती है और उसका मार्केट में दाम कम हो जाता है तो गन्ना किसान दूसरे क्रॉप की ओर चले जाते हैं। फिर इसके बाद जब चीनी का उत्पादन घट जाता है तो दाम बढ़ जाता है। हम इस को कैसे बैलेंस करें, यह हमारे लिए सब से महत्वपूर्ण सवाल है।

हम तो किसान के परिवार से आते हैं, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते हैं कि मिल-मालिकों की ऐसी स्थिति बन जाए कि वे पैसा न दे सकें। हम गन्ने की न्यूनतम समर्थन मूल्य 210 रुपये प्रति क्विंटल तय करते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तय किया गया कि किसानों को 290 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। यह उन्हें मिलना चाहिए, नहीं तो यह तय ही नहीं होना चाहिए। बिहार में यह कहा गया कि मिल मालिक 265 रुपये

देगा। अगर मिल मालिक देगा तो यह देखना चाहिए कि वह देने की स्थिति में है या नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे सामने ये सारी समस्याएं हैं।

हमारी भावना किसान के प्रति भी है और मिल मालिक के प्रति भी है। हम उन से आग्रह भी करेंगे कि वे जो बार-बार यह धमकी देते हैं कि हम मिल नहीं चलाएंगे, हम इसे बंद कर देंगे तो अंततोगत्वा इस से किसका घाटा होगा? इस से राष्ट्र को घाटा होगा। इसलिए हमारे जो इम्पॉर्टेन्ट मिनिस्टर्स थे, हमने उन से बातचीत की। यहां मेनका जी बैठी हुईं हैं, कृषि मंत्री राधा मोहन बाबू बैठे हुए हैं। इन लोगों के साथ-साथ, गडकरी जी, बालियान जी, कलराज मिश्र जी इत्यादि सभी लोगों को बुला कर हम ने बातचीत की जिस से समस्या का निदान हो सके। उसके तहत जो तीन-चार फॉर्मूला था, हम ने उसे लागू किया, उसकी घोषणा की। हम ने मिल मालिक को कहा कि आप को सुविधा मिलेगी। जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि ये लोग तो पैसा ले लेते हैं, लेकिन वे किसानों को नहीं देते हैं। ऐसी बात इस बार नहीं है। उनको बैंक के माध्यम से पैसा मिलेगा और वह पैसा सीधे किसानों के खाते में ही जाएगा। दूसरी जगह वे इधर-उधर नहीं कर सकते हैं, वह उनको करना पड़ेगा। लेकिन हमने यह भी कहा है कि हम ये सहूलियतें भी पूर्णरूपेण तब देंगे, जब मिल-मालिक आ करके इस बात की गारंटी दे, वह जाकर किसानों की बकाया राशि का भुगतान करेंगे। इसके लिए हमने 14 तारीख को बैठक भी बुलाई है। उसमें मिल-मालिक भी रहेंगे, किसान के प्रतिनिधि रहेंगे, जो एस्मा एवं कोऑपरेटिव के हैं।

हम चाहते हैं कि एक बार बैठ करके इस समस्या का हल किया जाए, लेकिन हम राज्य सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि राज्य सरकार कानून के अंतर्गत अपनी कार्यवाही करे। इस बात को देखें कि जो किसान की बकाया राशि है, उसकी बकाया राशि महीने-दो महीने के अंदर किसान को मिल जाए, यह हम राज्य सरकार से अपील करना चाहेंगे!...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल आपने इस पर बोला था।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरियागंज): मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है।...(व्यवधान) राज्य सरकार का क्या दायित्व है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं होता है, अब यह विषय खत्म हो चुका है।

जीरो ऑवर - श्री रामदास तङ्स।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने बोला है कि इसे देख रहे हैं, आप क्यों चिन्ता करते हो? ...(व्यवधान)

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र के विदर्भ में किसानों द्वारा आत्महत्या करने के संदर्भ की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि विदर्भ के किसान कर्ज से दबे हैं। किसानों को फसल की पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलने एवं कई वर्षों से अतिवृष्टि एवं सूखा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है।...(व्यवधान) जिसकी चिन्ता के कारण एवं कर्ज के बोझ से प्रतिवर्ष एक हजार से भी ज्यादा लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते रहे हैं। वर्ष 2006 में तत्कालीन सरकार ने कर्ज माफी योजना चलाई थी, उस समय जो कर्ज थे, वे आधे-अधूरे माफ हुए, बाकी बची राशि के आठ वर्षों में दुगुने होने के कारण फिर से ब्याज बढ़ गया है।...(व्यवधान) विदर्भ के सामाजिक संस्था, जनसेवक, जनप्रतिनिधि कर्ज माफी हेतु लगातार धरना प्रदर्शन एवं विचार-विमर्श करते रहे, किन्तु अभी तक इस पर कोई न्यायोचित विचार नहीं हुआ है। विदर्भ में मात्र चार प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्था है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि विदर्भ के किसानों के कर्ज माफी हेतु 15सौ करोड़ रुपए का पैकेज दिलाने की कृपा करें, जिससे विदर्भ के छ: जिले क्रमश: वर्धा, यवतमाल, अमरावती, बूलढाणा, अकोला एवं वाशिम के किसानों का कर्ज माफ हो, तािक वे अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): मैडम, आप सोमवार को कॉलिंग अटेंशन लेंगे या नहीं?...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: मैंने बोला है कि अगले हफ्ते इसे देखेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उसे कब लेंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है।

...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं...(व्यवधान) जो मेरे दोनों चम्पारण जिले में नीलगाय का आतंक फैला हुआ है, उसके प्रति मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारे यहां वाल्मीिक नगर टाइगर रिजर्व भी है। दोनों जिलों में किसानों की सैंकड़ों एकड़ की फसलें बर्बाद हो जाती है, क्योंिक इन पर कोई लगाम नहीं है। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि आप इनको मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एसडीएम से परिमशन लेनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि अगर किसी के खेत में नीलगाय आई हुई है तो वह अपने खेत की रक्षा करे या वह एसडीएम से परिमशन लेने जाए। उसके बाद वह आकर उसको भगाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि फोरेस्ट मिनिस्ट्री को कह कर एक विशेष दल बनाया जाए, जोकि इन नीलगायों को जंगल में पहुंचा सके। हमारे यहां बाघों की संख्या भी कम हो रही है। किसानों को पूरे रूप से मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे कि किसानों की आजीविका चल सके।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. संजय जायसवाल जी द्वारा उठाए गए विषय से श्री अश्विनी कुमार चौबे जी अपने को
सम्बद्ध करते हैं।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I would like to place before this House a very serious issue with regard to the States of Kerala and Karnataka. The continuous use of endo-sulphan has caused adverse effects on human beings and also on the environment.

In my own district Kasargod, there are about 11 panchayats which are affected. So far, 500 people have already died and 10,000 people are taking treatment. It is true that the nearby areas of Kasargod like Sullia and adjacent parts of Karnataka have been adversely affected. The Government of Kerala has requested for financial assistance for a special package. It is not possible for the State Government alone to meet the demands because young children, women and others are suffering. The State Government has already made the demand last time. The Central Government has not taken any decision. The Stockholm Convention has already banned endosulfan. The Supreme Court of India has also taken the same decision. Indian Government has also taken the decision. I would like to place before you that in the website it is seen that this poisonous pesticide is included in the list of pesticides. It is highly objectionable. The Government should take note of this. This should not be allowed because it is against the decision taken by the Supreme Court and also the Geneva Convention. With these words, I conclude.

HON. SPEAKER: Shri M.B. Rajesh and Shrimati P.K. Sreemathi Teacher are allowed to associate with the matter raised by Shri P. Karnakaran.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं गुमशुदा एवं अनाथ बच्चों के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुमशुदा एवं अनाथ बच्चे आश्रय एवं संरक्षण के अभाव में या तो तस्करी के कामों में लग जाते हैं या भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं या नक्सलवादियों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। देश के किसी न किसी अखबार में आये दिन बच्चों के लापता होने की खबरें छपती रहती हैं। देश भर में लगभग 800 गिरोह बच्चों की तस्करी के काम में लगे हुए हैं। औसतन लगभग हर घंटे में एक बच्चा देश के किसी न किसी कोने से लापता हो रहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 44 हजार बच्चे हर साल लापता हो जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 11 हजार बच्चों का ही पता चल पाता है। वर्ष 2009 से वर्ष 2011 के बीच में लगभग एक लाख सतहत्तर हजार छः सौ साठ बच्चे लापता हुए, जिनमें से एक लाख बाईस हजार एक सौ नब्बे बच्चों का ही पता चल सका है। अभी भी लगभग 55 हजार बच्चे लापता हैं। इनमें भी लगभग 64 प्रतिशत यानी 35, 615 नाबालिग लड़कियाँ हैं। एक और गंभीर बात है कि अस्पतालों से बच्चों के गायब होने की घटनाओं की संख्या में दिन-ब-दिन वृद्धि होती चली जा रही है। बच्चों की चोरी एवं खरीद-फरोख्त के गैर-कानूनी धंघों के कारण न जाने कितनी माताओं की गोदें सूनी हो जाती है और न जाने कितने बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि इसकी रोकथाम के लिए कानून न बने हों। कानून बने हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। कई बार लोग थाने में रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां जो पदस्थ पुलिस का स्टॉफ होता है, उन पुलिस कर्मचारियों को भी इन कानूनों के बारे में जानकारी नहीं होती है और कई बार पुलिसकर्मियों की उदासीनता के कारण बच्चे बरामद नहीं हो पाते हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे आयोगों की सक्रियता बढ़ाने के साथ इस तरह के जो गुमशुदा और अनाथ बच्चे हैं, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस नीति बनाये जाने की पहल की जाये। माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव, श्री पी.पी.चौधरी अपने आपको डॉ. वीरेन्द्र कुमार जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र छत्तीसगढ़ में जांजगीर चाम्पा पॉवर हब बनने जा रहा है। यहां करीब 29 पॉवर कम्पनियों के साथ एक एम.ओ.यू. किया गया है जिससे उन्तीस

हजार नौ सौ बत्तीस मेगावॉट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त चार हजार मेगावॉट के.एस.के. अकलतरा, एक हजार मेगावॉट तेंद्रभांठा-मड़वा पॉवर प्लांट निर्माणाधीन है।

निर्माणाधीन पॉवर प्लांटों द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि भूमि अधिगृहीत कर जल स्रोतों का दोहन किया जा रहा है। निर्माण कार्य करने के पहले प्रभावित ग्रामीणों से किए गए वायदों से वे मुकर रहे हैं। किसानों को उचित दर से मुआवजा, विस्थापन, रोजगार की सुविधा नहीं दे रहे हैं। क्षेत्र के ग्रामीण, प्रभावित कृषक परेशन हैं। उन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है।

अपनी उचित मांग के लिए धरना-प्रदर्शन के साथ आंदोलन करना पड़ रहा है। कंपनी द्वारा उनके विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज करने से बड़े, बूढ़े, नौजवानों, महिलाओं को जेल जाना पड़ रहा है।

13.00 hrs

सरकार से मेरी मांग है कि प्रदेश में कम सिंचित कृषि रकबा को देखते हुए अत्यधिक सिंचित जिला जांजगीर-चम्पा में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों एवं सिंचित जमीन का उद्योगों के लिए अधिग्रहण प्रतिबंधित किया जाए। निर्माणाधीन प्लांट निर्धारित दर पर मुआवजा पुनर्वास प्रभावित परिवार के सदस्यों को नौकरी की गारंटी के साथ क्षेत्र में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीणों विशेषकर तेंदूभांठा-मड़वा के विरुद्ध दर्ज समस्त पुलिस प्रकरण वापस लेते हुए की गई समझौता को क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल के बचे हुए विषय शाम को लिए जाएंगे। The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

14.02 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(Dr. M. Thambidurai in the Chair)

DISCUSSION UNDER RULE 193

Need to have stringent legislation to check increasing atrocities against women and children in the country—Contd.

HON. CHAIRPERSON: Now, Item No. 12; discussion under Rule 193. Dr. Ratna De may continue.

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Sir, the issue of violence against women has been receiving increasing concern in recent years. There is a growing recognition that nations cannot achieve their full potential as long as women's right to participate fully in their society is denied. Gender based violence not only violates human rights but also restricts economic growth and undermines development. It can only be eliminated by addressing discrimination and promoting women's equality and empowerment.

Here, I would like to mention something about my State, West Bengal. My Chief Minister Kumari Mamata Banerjee is trying to empower women with limited resources. For example, she has introduced *Kanyashree* scheme to help the girl child to study. She has taken steps for establishment of women police stations in different districts, set up hostels for girl children and taken steps for 30 per cent reservation for women candidates in Lok Sabha. After consultation with banks, she was able to increase the loans for self-help groups.

The principle of gender equality and women's rights are enshrined in our Constitution. The Constitution not only grants equality to women but also advocates positive discrimination in their favour.

Women constitute nearly half of the country's total population as per the 2011 census. The Delhi gang rape of December 2012 outraged the nation. What irks me most is the people behind this heinous crime are yet to get punishment. Justice delayed is justice denied. We have to see that fast track courts are really fast in dispensing justice. There is a need to plug all loopholes so that we punish the culprits as early as possible. Since then, unfortunately, more and more atrocities against women were reported from different parts of the country, recent being the Meerut gang rape. What is stopping the Central Government from setting up more special courts or fast track courts to try these atrocities against women? It is of interest to know that the fast track courts were first thought of by the 11th Finance Commission for 2000-05, as an *ad hoc* institution to address the urgent problem of backlog of atrocities.

We cannot take the issue of growing incidents of atrocities against women as a global phenomenon. There is an urgent need to address the problems being faced by women and girls, who are subject to physical and sexual abuse, psychological and economic abuse, and all sorts of assaults also. Widespread and harmful traditional practices including early and forced marriages within the community-setting, feticide and trafficking in women are receiving interesting attention. I say so because these unsavoury developments in their lives at such an early stage would leave an indelible impact as they grow and their attitudes towards life itself changes.

It is disturbing to any right-thinking person to know that in India, every 26 minutes a woman is molested; every 34 minutes, a rape takes place; every 42 minutes, a sexual harassment incident occurs; every 43 minutes, a woman is kidnapped; every 93 minutes, a woman is burnt to death over dowry, but last not least, one-quarter of the reported rapes involve girls under the age of 16 years.

India has the largest young population – 42 per cent are below the age of 18 years. Of late, sexual harassment of school children has come as a great shock. Bangalore school children plight is gruesome. But this is not an isolated incident.

We often come across the exploitation of children in juvenile homes and orphanages. These orphanages and juvenile homes should be monitored with the intention of ensuring safety and security of children. These homes should not become a den for sexual harassment of children. There are no dearth of laws, Acts, procedures, rules and regulations. But the problem is about its implementation. Proper measures should be put in place to see that all the laws and Acts related to women and children should be implemented in letter and spirit and justice is delivered to them in time.

With 62 MPs in this 16th Lok Sabha and with the 73rd and the 74th Amendments to the Constitution of India, women have reservation of seats in the local bodies in Panchayats and Municipalities; and we have been demanding 33 per cent reservation for women. India is surging ahead in every conceivable field and we come across incidents of atrocities against women. This is really a tragedy of the worst kind.

Violence against women and children requires a comprehensive and systemic response by all the stakeholders. Men have a role, especially in preventing violence and this role needs to be further explored and strengthened. Work to end violence against women requires not only a clear demonstration of political commitment but also systemic and sustained action backed by strong, dedicated and permanent institutional mechanism.

The Government should take the responsibility for the systemic collection and publication of data, supporting NGOs, academics or others engaged in such activities. Only legislations and law-enforcement agencies cannot prevent the incidence of violence against women. There is an urgent need for social awakening and changing attitude of the society to give due respect and equal status to women. In this regard, all stakeholders should come forward to forge an alliance to defend the rights of women and children.

At last, I live with the hope of seeing a day and time when women will lead a life of dignity and honour in this great country of ours without having to face any

type of atrocity whatsoever and every child enjoys life to the fullest by playing, learning and living with all the love and affection showered on him. This is not going to be a dream. It would become a reality provided we all strive together and everyone in the society contribute to these cherished goals towards our women and children.

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई): धन्यवाद सभापित महोदय। मैं सबसे पहले यहाँ पर बैठी हुईं सभी महिला सांसदों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने कल से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिल से अपनी बातें कही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद मैं श्री करूनाकरण जी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के विषय में एक पुरुष ने नियम 193 के तहत चर्चा का मुद्दा उठाया, इसलिए उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापित महोदय, हम हर वक्त कहते हैं कि एक स्त्री के बहुत रूप होते हैं। नारी-शक्ति के रूप में हम बात करते हैं। हम यह भी कहते हैं कि नारी जननी है। हमारी संस्कृति भारत माता और गौ माता से शुरू होती है। इस भारतीय संस्कृति में कहीं न कहीं महिलाओं की जो अपेक्षा थी, उसकी उपेक्षा होती जा रही है। भारत में जिस अपेक्षा से महिलाएँ आगे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसकी सुख्या और शिक्षा के लिए उपेक्षा होती जा रही है, उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। जब हम स्त्री को नारी-शक्ति कहते हैं, स्त्री को देवी का रूप कहते हैं, जैसा कि मैं पिछली बार भी कही थी, अलग-अलग रूपों में स्त्री आपके सामने होती है। कभी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पोषक आहार देकर अन्नपूर्ण देवी का रूप बनती है, बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ें इसलिए माँ सरस्वती का रूप लेकर नारी हर वक्त अपने बच्चों को पढ़ाती है जिससे समाज आगे बढ़ सके, इसलिए वह माँ सरस्वती का रूप धारण करती है। जब उस पर या उसके घर पर कोई आँख उठाकर देखे, तो नारी काली और चण्डी का रूप भी धारण करती है। ऐसी नारी की ताकत है।

सभापित महोदय, मैं इस विषय पर इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी बजट हुआ, इसमें मिहलाओं के लिए बहुत सारे प्रावधान किये गये, इसलिए भी मैंने धन्यवाद दिया। मैं मिनिस्टर श्रीमती मेनका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब से उन्होंने मंत्रालय संभाला है, रोज महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचार हों या उनके हक़ के लिए कोई कार्य हो, इन 60 दिनों में उन्होंने उसे किया है। मैं खुशनसीब हूं कि मैं उनके साथ वन्य प्राणियों के विषय पर काम करती आयी हूँ और इस विषय पर भी मुझे बोलने का मौका मिला। मैं इतना ही कहूंगी कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, हम सब जानते हैं। ये अत्याचार मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से होते हैं। हमें हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए, यह भी अपेक्षा होती है, लेकिन कहीं न कहीं इसकी उपेक्षा की जाती है। मैं एक शहर की महिला हूं और खुद भी एक माता हूँ। शहरों में बहुत सारे मुद्दे आते हैं। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि आज मेरठ में कुछ हुआ, लखनऊ में कुछ हुआ, बदायूँ में कुछ हुआ और बंगलोर में कुछ हुआ, लेकिन हम ये कुछ शहरों के बारे में हम कहते हैं, जहाँ पर अखबार पहुंच पाते हैं और लोग पढ़ पाते हैं। आप यह सोचिए कि जब दिलत महिला हो, पीड़ित महिला हो, छोटे समाज से आयी हुई महिला हो, उन पर अत्याचार बहुत होते हैं। जब

माननीया मंत्री जी ने अपना मंत्रालय संभाला, तो उन्होंने कहा था कि उस मंत्रालय में मैं एक ग्रिवांस सेल बनाना चाहती हूँ, इसका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जब महिलाओं पर अत्चार होते हैं, तो एक सामान्य महिला के लिए पुलिस चौकी तक पहुंचने में दिक्कत होती है। यदि पुलिस चौकी से ऊपर के स्तर पर जाना हो, तो वह एक पुरुष पुलिस से कैसे बात करें? आप सोचित कि जब एक महिला का बलात्कार होता है, तो मेडिकल जांच होने के लिए जो अपेक्षाएँ होती हैं, वह उस प्रकार नहीं हो पाती है। मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बजट में 33 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी देश भर में हो, यह प्रावधान किया गया। इस प्रावधान में मैं गुजरात की मुख्यमंत्री श्रीमती आनन्दीबेन पटेल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने 33 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी की मोननीय मंत्री जी ने सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजा है कि हर पुलिस फोर्स में 33 प्रतिशत महिलाएँ आएँ।

हम सभी महिलाएं जानती हैं कि हमारे दिल में क्या होता है, हम क्या करना चाहती हैं, नारी रूप कैसे सशक्त होना चाहिए, बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ, गर्भ से लेकर बेटी आगे बढ़े, पढ़ाई में आगे बढ़े, शादी करने के बाद आगे बढ़े। हम सब यह चाहते हैं और उस पर हर वक्त बात करते आ रहे हैं, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी इंसान पर हमला होता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उनके साथ खड़ा होता है, लेकिन जब किसी महिला पर कोई अत्याचार होता है, तो महिलाओं के लिए जिस प्रकार की अपेक्षा होती है कि राष्ट्रीय महिला आयोग उनके साथ सक्षम रूप से खड़ा रह सके, लेकिन वह खड़ा नहीं रह पा रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को स्वायत्तता एवं ताकत दी गयी है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग के पास ऐसी ताकत नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में मैंने पढ़ा कि हर साल 15 करोड़ रुपये उस पर खर्च होते हैं। सोसाइटी की कुछ महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य होती हैं। साल में पांच से छः बार बैठकें होती हैं, उसमें कुछ ज्यादा नहीं किया जाता है और साल में 15 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। आज अगर मुझ पर कुछ अत्याचार हुआ, तो मैं राष्ट्रीय महिला आयोग तक जा सकती हूं, उनसे बात कर सकती हूं, लेकिन जिसने मुझ पर अत्याचार किया, उस पर कोई पाबन्दी नहीं है कि वह महिला आयोग के प्रश्नों का उत्तर दे। यह बहुत अटपटी चीज है। जब महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया है, तो कहीं न कहीं उस महिला आयोग को ताकत, संरक्षण और स्वायत्तता देने की बहुत जरूरत है। जिस महिला आयोग में अब तक दो लाख केसेज पेंडिंग हैं, विक्टिम को हम मदद करना चाहते हैं लेकिन कल्प्रिट को पकड़ नहीं पाते हैं, 15 करोड़ रुपये महिला आयोग पर हर साल खर्च होते हैं और फिर उनकी बिल्डिंग्स बनाओ, सारे खर्चे करो, इन सब में 30-40 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं, लेकिन महिला आयोग का एक भी मुद्दा सफल नहीं होता है। जब मीडिया में कोई दो-चार मुद्दे सामने आते हैं, तो उन पर चर्चा होती है। मैं इतनी ही अपेक्षा करती हूं कि

सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह सशक्त हो। मुझे लगता ळे कि लॉ मिनिस्टर ने इसकी शुरूआत भी की है, इसकी फाइल लॉ मिनिस्ट्री तक पहुंची है, इसलिए मैं माननीय विधि मंत्री जी से इस देश भर की महिलाओं की ओर से दरखास्त करना चाहती हूं कि इसका कानून जल्द पारित हो और राष्ट्रीय महिला आयोग को उसी प्रकार की स्वायत्तता दें, जिस प्रकार की स्वायत्ता नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मिली है। जब वायएसआर की ओर से गीता जी बोल रही थी, तो वह कह रही थीं कि महिलाओं में जाति-पांति नहीं होती है। मैं यह मानती हूं और जब मैं खुद वोट मांगने जाती थी, तो मैं महिलाओं को नहीं कहती थी कि हिन्दू या मुस्लिम महिला हैं, दिलत महिला या ब्राहम्ण महिला है, मैं इतना ही कहती थी कि महिला की जाति, धर्म सिर्फ महिला है और उसका परिवार है। ऐसी महिला के साथ हम सशक्त रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रावधान करना बहुत जरूरी है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह सशक्त बनाया जाए और राष्ट्रीय रूप से एक ग्रीवांस सेल बनाएं जो तालुका तक, जिलों तक पहुंचाया जाए तािक वहां पर महिलाओं की समस्याओं का निवारण हो।

बहुत सी महिलाओं ने यहां अनेक विषयों पर बातें कही हैं, किसी ने कहा झांसी की रानी मर्दानी खूब लड़ी, तो मैं इसको हर वक्त आक्षेप मानती हूं कि झांसी की रानी महिला था, उसको मर्दानी लड़ने की जरूरत क्या था। उसके बारे में कहा जात है - Why to be a man for a woman? I think to be a man for a woman is a waste of a woman. अपने संस्कार, अपनी सुरक्षा के लिए महिला खुद सक्षम है, उसको मर्दानी बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समानता की जरूरत है। जैसा मेरी दोस्त सुष्मिता जी ने कहा था कि हमें सिर्फ समानता चाहिए, जब समानता मिलेगी, तो हमें सब कुछ मिलेगा। जब राष्ट्रीय महिला आयोग को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह ताकत मिलेगी क्योंकि मैंने सुना है कि फिर उसमें राजनीति हो जाएगी। जाति और धर्म के बहुत सारे कमीशन होते हैं, लेकिन महिला बिना जाति-पांत और धर्म की होती है, जब आप उसे ताकत देंगे, जब अपनी जननी को, अपनी बहन को ताकत देंगे, तो समाज सुधरेगा। जब समाज सुधरेगा, तो ही सबका विकास और सबका साथ लेकर जिस भारत का हमने सपना देखा है, वह भारत आगे बढ़ेगा। इतना ही कहना चाहती हूं। माननीय मंत्री महोदया से मैं अपेक्षा करती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग को भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह ही सशक्त बनाएं।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): सभापित महोदय, मिहलाओं और बच्चों पर देश भर में जो अत्याचार हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाने के लिए इस सदन में चर्चा हो रही है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस चर्चा में शामिल हो रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह देश वह देश है, जहां मिहलाओं की

पूजा होती है, बहन के रूप में, माता के रूप में। यह देश वह देश है जहां माता सीता जी की इज्जत बचाने के लिए खुद भगवान आए थे। यह देश वह देश है जिसके इतिहास में रानी झांसी जैसी वीरांगना हुई और माता साहिब कौर तथा माता भागो जैसी माताएं हुईं। इस देश में ऐसी दादी मां हुई माता गुजरी जी, जिन्होंने अपने छः और आठ साल के पौत्रों को दीवार में चिन जाने की प्रेरणा दी।

जिस देश में औरत की इतनी पूजा हो, जिसे समाज की जननी माना जाता हो, जिसके लिए हमारे गुरुओं और पीर-पैगम्बरों ने कहा हो, गुरु नानक देव जी ने कहा हो — "सो क्यू मंदा आखिए, जित जिनए राजान।" जो हमें जन्म देती है उसे बुरा कैसे कहा जा सकता है। मुझे इस बात का खेद है कि ऐसा मान-सम्मान पाने वाली औरत का आज देश में अपमान हो रहा है, उस पर अत्याचार हो रहे हैं। जिसे लेकर हम सदन में चर्चा कर रहे हैं। हम रोज़ समाचार पत्र पढ़ते हैं कि कहीं रेप हुआ, कहीं किसी दफ्तर में किसी महिला के साथ उसके इम्प्लॉयर द्वारा सेक्सुअल हेरास्मेंट हुआ।

ऐसी जो अपमानजनक स्थिति है, उसे रोकने के लिए आज यहां चर्चा हो रही है। इस चर्चा में काफी सुझाव आए हैं, कानून बनाने की बात, उसे सख्ती से लागू करने की बात, महिला आयोग को और सशक्त बनाने की बात हुई है। मैं समझता हूं कि कानून तो पहले से ही बना हुआ है। लेकिन कानून उनके लिए है जो उसे मानते हैं। जो लोग अत्याचार करते हैं, अपराध करते हैं, उन्हें इस कानून का पता नहीं है, पता है। मैं समझता हूं कि कानून मनाने की जरूरत है, उसके लिए हमें अपने समाज का नजिरया या सोच बदलनी होगी।

इस देश में हमारी संस्कृति और सभ्यता ऐसी मानी जाती थी कि हम किसी की बहन को अपनी बहन और किसी की माता को अपनी माता के रूप में मानते थे। आज जो स्थिति है, वह हमारे सामने है। इसलिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हम अपनी पुस्तकों में और पाठशालाओं में नैतिक शिक्षा को भी शामिल करके उसकी शिक्षा दें। आज हमारे समाज में पश्चिमी सभ्यता का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसे रोकने की जरूरत है। जब तक हम अपने समाज का नजरिया और सोच नहीं बदलेंगे, हमारी जो नई जेनरेशन है, उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ नहीं जोड़ेंग, जो हमारे रिश्ते हैं, उनका अर्थ कोई माता-पिता अपने बच्चों को, कोई बहन अपने भाई को नहीं समझाएगा, मैं समझता हूं कि कोई कानून काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरत है भारत सरकार की ओर से मोरल वेल्यू का पाठ पाठ्य पुस्तकों में शामिल हो। इसके अलावा इस बारे में सेमिनार आयोजित किए जाएं। लोगों को इकट्ठा करके उनकी सोच बदली जाए, उन्हें समझाया जाए।

जहां तक बच्चों की बात है, हमें शर्म आती है इस बात पर कि हमारे देश में बाल श्रमिक बहुत ज्यादा हैं। बच्चों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, छोटी उम्र के बच्चों से काम लिया जाता है, कहीं आर्थिक

स्थिति के चलते या सामाजिक सुरक्षा के कारण, तो उसके लिए मैं समझता हूं कि कानून बने हुए हैं इस बारे में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं न कहीं छूट दी जाती है, इससे अत्याचार को रोका नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उन्हें हमें अगर आगे बढ़ाना है तो उनकी एजुकेशन के लिए, उनके रहन-सहन के लिए, उनकी दवा-दारु के लिए सरकार को प्रबंध करना चाहिए। उनके मां-बाप गरीबी के कारण बच्चों से नौकरी करवाने के लिए मजबूर हैं, उससे भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसे कानून की सख्त जरुरत है।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): सभापित महोदय, मैं आपका ध्यान इस देश और समाज के महत्वपूर्ण विषय महिला और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की ओर दिलाना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि मैं पहली सदस्य नहीं हूं जो इस विषय पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई है। मेरे से पहले काफी सदस्य इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। मुझे सबसे पहले यही कहना है कि अब बहुत हो चुका और इस विषय पर दो पक्तियां कहूंगी कि:-

"मार खाकर चुप रहूं मैं और हंसती भी रहूं जुल्म की यह इंतहां है और तुमसे क्या कहूं रूह तक घायल है मेरी जिस्म की तो छोड़िये सोच कर तुम ही बताओ और मैं कितना सहूं और मैं कितना सहूं, और मैं कितना सहूं।"

चाहे हम छोटी बिच्चियों से शुरु करें या बड़ी बिच्चियों से, बलात्कार आये दिन की घटना हो चुकी है। अभी 17 तारीख की घटना मेरे क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां की है। पांच साल की बिच्चियों को और उनकी मां को अलग बांध दिया गया और उनके पिता के सिर पर बंदूक रख दी गयी, भाइयों को बांध दिया गया और उनके सामने उनकी बिच्चियों के साथ बलात्कार किया गया। यह वह शर्मनाक घटना है जिस पर अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गयी। जिसके लिए मैंने हरदोई के अंदर धरना दिया और जहां पर मुझे यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश शासन का आदेश है कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह की घटना के लिए हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? इस विषय पर मुझे आज बोलने का मौका दिया गया है। मैं अपनी पार्टी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। इस तरह की घटनाएं जब तक नहीं रुकेंगी, तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी।

सभापित जी, महिलाओं को मानसिक, शारीरिक और हर तरह से टॉर्चर किया जाता है। मैं जम्मू-कश्मीर की धरती पर पैदा हुई, वह मेरी जन्मभूमि है और उत्तर प्रदेश में मेरी शादी हुई। आज जब मेरी शादी हो गयी तो जम्मू-कश्मीर की धरती पर मेरा अधिकार खत्म हो गया। हम लोग पांच बहनें हैं। मुझे अपने पिता पर गर्व है जिन्होंने पढ़ा-लिखा कर मुझे यहां तक पहुंचाया। लोग अपने शो-रूम के बोर्ड पर आगे सन्स लिखते हैं, हमारे पापा ने जब शो-रूम खोला तो उन्होंने बोर्ड पर 'रवीन्द्र नाथ एण्ड डॉटर्स' लिखा। हम पांच बहनें हैं तो प्रॉपर्टी तो हमीं लोगों को देंगे। पापा ने कहा कि बेटा तेरे नाम पर मुझे कुछ करना है। लेकिन वहां पर यही हुआ कि इसकी शादी तो उत्तर प्रदेश में हो गयी है इसका अधिकार तो खत्म हो चुका है। यह महिला का अधिकार है। हमें कब अपना अधिकार मिलेगा? जब बेटा और बेटी बराबर हैं तो हमें कब अधिकार मिलेगा? मैं सदन के माध्यम से आज यही कहूंगी कि बेटी हो या बेटा अपने पिता के लिए दोनों बराबर हैं। नाम रोशन तो बेटी भी करती है, पहले कहते थे कि बेटा करता है लेकिन अब तो बेटी भी करती है।

इसीलिए मैं जम्मू-कश्मीर की बात यहां पहुंचाना चाहती थी कि अगर हम वहां से बाहर आ जाती हैं तो क्या हमारा अधिकार अपनी जन्मभूमि से खत्म हो जाता है। हम महिलाओं को कब अधिकार और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा?

महोदय, मैं एक और बात सदन में बताना चाहती हूं। यह बहुत ही शर्मनाक है और केवल दो महीने पहले संडीला क्षेत्र की बात है। आज कल मोबाइल, कम्प्यूटर का चलन है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें नालेज मिलती है, लेकिन इसका जो गलत इस्तेमाल किया जाता है, वह ठीक नहीं है। एक शादीशुदा महिला अपने मायके जाती है। किसी तरह से उसे प्रेमजाल में फंसाया और उसके बाद उसका एमएमएस बना लिया। उसके बाद महिला को कहा कि अगर तुम मुझे फिरौती नहीं दोगी तो यह एमएमएस हर जगह मैं दिखाऊंगा। उसी एमएमएस का डर दिखाकर 32 लाख 50 हजार रुपया ऐंठ लिया। इस बारे में उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर रही है। एफआईआर लिखी गई और उसी व्यक्ति पर आठ केस चल रहे हैं लेकिन चुंकि वह इटावा के हैं इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके पति ने अपनी पत्नी को माफ किया और उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने स्वयं पैरवी की, लेकिन पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया। जैसे आज कल " सावधान इंडिया " सीरियल टीवी पर दिखाया जाता है, लोग जागरुक हो रहे हैं। उन्होंने स्वयं तहकीकात की और उसका पीछा करना शुरू कर दिया कि कैसे पुलिस उसे नहीं पकड़ती है। यह अचम्भे की बात है कि पीछे पीड़ित महिला के पित की गाड़ी है और आगे विरोधी की गाड़ी है और पुलिस की गाड़ी सैंटर में है। उन्होंने पुलिस को कहा कि आप कहते हैं कि यह फरार है, लेकिन यह तो आपकी गाड़ी के आगे ही चल रहा है। क्या पुलिस इस अपराधी की हिफाजत कर रही है? पुलिस ने कहा कि यह अपराधी नहीं है, बल्कि कोई और है। महिला के पित ने अपनी गाड़ी उस विरोधी की गाड़ी के आगे लगाई और उस अपराधी को स्वयं पकड़वाया। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस की कहानी है। इसके बाद भी उस अपराधी को जमानत पर छोड़ दिया और वह खुलेआम घूम रहा है। मैं चाहती हूं कि ऐसा कानून होना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा सख्त कानून हो कि जो बलात्कार करता है उसे छह महीने के अंदर फांसी की सजा देनी चाहिए क्योंकि जितना इनको छूट मिल रही है, उतना ही अपराध बढ़ता जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि इन्हें अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए। हालांकि फांसी से अधिक सजा नहीं है। हम ऐसे लोगों को सजा तो दे रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को आज तक फांसी दी गई है? वे सरेआम बाहर घूम रहे हैं।

एक और घटना बताना चाहूंगी। एक बच्ची कम्प्यूटर सीखने के लिए जा रही थी। जैसे छेड़छाड़ की घटना आम हो गई है, बच्ची ने घर पर बताया कि उसे छेड़ा गया तथा बलात्कार करने की कोशिश की गई। पिता और भाई ने विरोध किया तो उन पर हमला किया गया। मैं शिवराजपुर की घटना बता रही हूं। तीन महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में ये सारी घटनाएं हुई हैं। इससे लगता है कि ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उस भाई और पिता दोनों पर चाकूओं से वार किए गए। दो महीने के बाद जैसे ही वे चलने लायक हुए वे मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं आपसे विनती करना चाहूंगी कि उन लोगों को इंसाफ मिले और ऐसा कानून बने कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे।

महोदय, मैं समझती हूं कि ऐसी घटनाओं के लिए हमारा समाज भी दोषी है। एक ऐसा वर्ग जिसमें रेप जैसे अपराधों को बहुत गंभीर अपराध नहीं माना जाता है और वे इसी जोश और गलतफहमी में ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं। हमें इस सोच के लिए जागरुकता अभियान चलाने होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस क्षेत्र में मिल कर कार्य करने की जरूरत है। राज्य में जो लॉ इनफोर्समेंट मशीनरी है, जो अधिकारी इन मामलों की तहकीकात करते हैं, उन अधिकारियों और विभागों को दुरुस्त करना होगा। मेरी यही विनती है और मैं कहना चाहूंगी कि " जिंदगी काटों भरा सफर है हौंसले उसकी पहचान है, रास्ते पर तो सब चलते हैं जो अपना रास्ता बनाता है वही इंसान है।"

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak. My learned friend, Shri P. Karunakaran is actually, through this discussion under Rule 193, knocking at the door of conscience of this nation. I congratulate him for this noble thing. What we have been witnessing yesterday and today in this House is glimpses of kindness to women and children. The lady Members have been actively participating in this discussion. Similarly, the male Members also participate. The discussion was in different languages: Hindi, English and even in the regional languages.

As far as kindness is concerned, it is a different language. Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can read. That is what we have been witnessing in the House all through this discussion.

Coming to the facts and figures, I would like to say that the hon. Members who participated so far, were narrating it in a big way. I do not want to take much time on that. So, what we have to do is this. We are thinking of preventing all these things. As prayed in the Discussion under rule 193, stringent legislations are very much required. I agree to this view. That is all right. That is very much required. At present also, we are having effective laws. We will have further more to that.

In December, 2011, the Justice Varma Committee was appointed by the Government of India. It submitted a detailed, comprehensive report on this. In the light of that, this Parliament passed the Criminal Law (Amendment) Act, 2013 and the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prohibition, Prevention, and Redressal Act, 2013. There are several other laws also. But what exactly is the real position?

I would like to quote one particular Report from the Human Rights in India – Status Report, 2012 prepared for India. It is second universal periodical review at the UN. This Report says:

"Reports indicate that every 60 minutes two women are raped, and every six hours a young married woman is found beaten to death, burnt or driven to suicide. There were at least 2,13,585 cases of

crimes against women including 22,172 rape cases, 29,795 cases of kidnapping and abduction, and 8,391 cases of dowry deaths in 2010. 359 women are also targeted on account of their caste, sexuality, disability, and other status. Violence against Dalit women is targeted, 360 atrocities committed against them include: verbal abuse and sexual epithets, naked parading, pulling out of teeth, tongue and nails, and violence, including murder."

So, the figures go on like this.

Let us now examine what exactly is the reason, the root cause for this kind of a thing. There may be several reasons. But I would like to say that the influence of intoxicating liquor is very much as one of the root causes. Everywhere it is like that. Whether it is country-made liquor, foreign liquor or Indian-made Foreign Liquor, these are available in plenty. Also, different types of drugs are available in plenty even in front of schools. I would say that the influence of liquor is an integrated cause for domestic violence. When we talk about drunkards, I would like to say that for a drunkard husband, what is the dignity of his wife. He is not bothered about his pretty children. We can see that nothing is like that. For a lady, for a woman who is beaten by her drunkard husband, where will she go? She can only cry. That is her fate.

We are all talking about different Articles of the Constitution. Why are we not talking about prohibition? Prohibition, of course, is there in the Directive Principles of the Constitution. So, I urge upon this House to loudly think about prohibition in the country. Unless and until we take some effective measures to control the spread of this, we may not be able to control this evils.

I wish to raise another point here. This is an era of Information, Communication and Technology. My friends were saying that thousands of channels are now in the air. The electronic media is operating in many ways. Satellite connection is there. Mass Media, print media, internet, social media and everything is there. I wish to say with all humbleness that the misuse of the

communication technology is up to an extent degrading the dignity of the women in our country.

Image of women in media is projected as a sex symbol. Consumerism is using women as a commodity, and sex object. Up to an extent, it is provoking the budding generation for crime. If anybody watch our TV serials, we will have an impression that our ladies are born for crying only – weeping and crying are going on in all the TV serials. Instead of creating a positive image of women, TV serials have created an impression that our ladies have no soul at all. They have created a very bad impression and very bad image and negative image about our ladies. I am of the opinion that the liberation movement - whether it is men or women - they should rise up to the occasion and they must fight against atrocities against women and children. Why should India create diminishing image of women? India has given birth to Rani Laxmi Bai, Sarojini Naidu, Sucheta Kriplani, and Shrimati Indira Gandhi. We are proud of such great leaders. We have to be proud of them. Women should think about this; women's organisations should loudly think about this.

In the end, I would like to say about child labourers. I have with me the news report of *The Hindustan Times* of yesterday while it says: Shocking state of Delhi's child workers. We are having lot of laws to prevent child abuse. Report says, "One day rest is the least that we expect from our jobs but 65 per cent of child labourers in the age of five to 14 years do not get a single day's off from work." The Report says that 47 per cent of the children under the age of 14 work for eight to 10 hours a day. This figures goes up to 70 per cent if we consider the children between 15 and 18. This is the deplorable condition of children. This discussion is very useful and thought provoking. I hope the Government would take remedial measures to stop this deplorable condition of children.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय सभापति जी, आज हम सदन में देश में महिलाओं और बच्चों पर दिनों दिन बढ़ते अत्याचार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सनातन समाज की धारणा रही है कि जन्म से ही परिवार और समाज में शिक्षा मिलती है कि कोई स्त्री मेरी माता, मां लक्ष्मी के रूप में होती है। हम उनका स्वतः सम्मान करते हैं। कुछ माननीय सदस्यों की राय से मैं सहमत हूं कि लड़की के जन्म लेने पर उत्सव नहीं होता है बल्कि शोक मनाया जाता है। मैं तो कहता हूं कि हमारे यहां लड़की के जन्म पर खुशी मनाते हैं, पूजा करते हैं। हां, कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जिनकी गंदी सोच और मानसिकता के कारण पूरा समाज बदनाम हो रहा है। हम सोचते हैं कि लड़की शिक्षित होकर परिवार का नाम रोशन करेगी, साथ ही साथ आगे चलकर अपने ससुराल में अच्छी परंपरा डालेगी। अतः लड़की तो दो-दो घर का नाम रोशन करती है। आज बिहार में हमारी पार्टी की सरकार है। 2005 में हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए पंचायतों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। महिलाएं अगली पंक्ति में जाएं, इसके लिए उन्होंने हर तरह का उपाय किया। ...(व्यवधान) इस तरह से टोकाटाकी न करें। मेरे पास डाटा है। इस देश में जितनी भी जगह हैं, गुजरात को छोड़कर जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है उन्हीं प्रदेशों में सबसे ज्यादा बलात्कार और हत्याएं हुई हैं।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) कृपया मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of Shri Kaushalendra Kumar.

(Interruptions) ... *

श्री कौशलेन्द्र कुमार: मैं उन बिन्दुओं पर ध्यान नहीं देना चाहता हूं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस देश में बिहार पहला राज्य है, जहां महिलाओं को आरक्षण देकर इस देश के लोगों को सिखाने का भी काम किया और उसी के पिरप्रेक्ष्य मे आज पूरे देश में महिलाओं को आरक्षण मिला। आरक्षण ही नहीं, बल्कि बिहार में अब बिच्चियों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ...(व्यवधान) बिहार में साइकिल योजना चली, पोशाक योजना चली, छात्रवृत्ति योजना चली, उन योजनाओं को चलाकर हमारे पूर्व के मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी ने आज पूरे देश में एक मैसेज दिया है कि महिला जब तक शिक्षित नहीं होगी, तब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती है और न बिहार की तरक्की हो सकती है।...(व्यवधान)

* Not recorded.

.

महोदय, मैं बीच में शायद थोड़ा भटक गया था। हर बच्ची के माता-पिता चाहते हैं कि हमारी बच्ची सुरक्षित हो, हमारी बच्ची...(व्यवधान) हम सब लोग साथ में थे, अब इस तरीके से कर रहे हैं। हर माता-पिता तब तक चिंतित रहते हैं, जब तक बच्ची घर वापस नहीं आ जाती है। हमारी बच्ची जब घर से निकलती है, स्कूल जाती है तो वहां छेड़छाड़ होती है, कालेज जाती है तो वहां छेड़छाड़ होती है। यदि हमारी बच्ची, बेटी, बहू आफिस जा रही है तो वहां भी वह सुरक्षित नहीं है। इस तरीके से आज जरूरत कानून को कड़ा करने की है। मैं तो कहता हूं कि माता-पिता की मर्जी से आज भी जो शादी होती है, उसमें चिंता का विषय यह हो गया कि जब माता-पिता बच्ची की शादी कर देते हैं तो शादी करने के बाद भी लड़की ससुराल में सुरक्षित नहीं रह पाती है। लड़की और उसके माता-पिता अपनी बेटी को वहां सुरक्षित महसूस नहीं करते है, क्योंकि ससुराल जाकर भी वहां के लोग कई प्रकार का लांछन लगाते हैं। कभी लड़का कहता है कि हमारी शादी माता-पिता ने की है, हम इस लड़की को नहीं रखेंगे। यह भी कहा जाता है कि हमने लड़की को देखा नहीं था, लड़की कम पढ़ी-लिखी है, इस तरह के लांछन लगाकर बच्चियों को छोड़ दिया जाता है और उन बच्चियों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। वैसे लोगों को भी चिह्नित करना चाहिए, तािक बाद में जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उन्हें भी सुधारने की जरूरत है।

महोदय, अब मैं बच्चों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। हर साल बच्चे गायब हो रहे हैं और उन गायब बच्चों में लड़िकयों की संख्या ज्यादा होती है। 2013 में 7181 बच्चे गायब हुए, जिनमें से 45 परसैन्ट बच्चे मिले। आंकड़ों पर यदि गौर करें तो बच्चों के लापता होने का प्रतिशत बढ़ा ही है। 2011 में 20 प्रतिशत, 2012 में 48 प्रतिशत और 2013 में 45 प्रतिशत बच्चों का कुछ पता नहीं चल पाया। इन सब कारणों से आज बच्चे यौनाचार के शिकार हो रहे हैं। समय की कमी को देखते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): सभापित महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज आपने एट्रोसिटीज अगेन्स्ट वूमैन एंड चाइल्ड विषय पर मुझे मेरी पार्टी की ओर से बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं कि जब हम एट्रोसिटीज एगेन्स्ट वूमैन की बात करें, चाइल्ड की बात करें, इस देश के जो हालात हैं, वे दिन-प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं।

अगर हम एनसीआरबी के सन् 2013 के डाटा की बात करें तो हमारे देश में 30 प्रतिशत क्राइम महिलाओं और बच्चों के लिए बढ़ा है। हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, मगर जब हम बिल्कुल नीचे ले कर जाएं, प्राइमरी शिक्षा की बात करें तो आज भी हमारे देश के अंदर छह प्रतिशत लड़कियां पांचवी कक्षा से पहले स्कूल छोड़ने का काम करती हैं। जहां हम सैकेंड्री एजुकेशन की बात करें तो 14 प्रतिशत लड़कियां शिक्षा छोड़ने का काम करती हैं और कॉलेज की बात करें तो सिक्योरिटी कंसर्न्स कह लीजिए, परिवार की चिंता कह लीजिए, लगभग 40 प्रतिशत लड़कियां कॉलेज में जाना छोड़ देती हैं। आज हम इंवेस्ट कहां कर रहे हैं? जहां यूनेस्को कहता है कि हमें अपनी जीडीपी का 20 प्रतिशत हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। आज हमारे देश की जीडीपी का केवल 3.3 प्रतिशत हिस्सा ही शिक्षा पर खर्च होता है। हमारे पड़ोस के राष्ट्र चाहे वह नेपाल हो, भूटान हो या फिर श्रीलंका हो, आज उनका डाटा उठा कर देखें तो वे देश लगभग 4-5 प्रतिशत शिक्षा पर इंवेस्ट करते हैं। अगर ब्रिक्स नेशंस की बात करें तो उसमें से ब्राज़ील अपनी जीडीपी का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है। रशिया की बात करें तो वह साढ़े छह प्रतिशत इंवेस्ट करता है। हमें इंवेस्ट करना होगा। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान में 200 करोड़ रूपये देने का प्रावधान किया गया है। हम महिलाओं को हमारी सोसाइटी का बैटर हाफ कहते हैं। जब बैटर हाफ की बात करते हैं तो वहां 200 करोड़ रूपये से काम नहीं चलेगा। हमें उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और ज्यादा इंवेस्ट करना पड़ेगा। हमारी पार्टी के मुखिया चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी का यह कहना है कि बेटी पढ़ेगी, जब बेटी बढ़ेगी। उस मुहिम के साथ उन्होंने हरियाणा प्रदेश में एक योजना शुरू की लाडली योजना। अगर किसी के घर के अंदर एक बेटी पैदा होती थी, तो उसको साढ़ सात सौ रूपये दिए जाते थे और दूसरी बेटी पैदा होती थी तो पांच सौ रूपये पेंशन के तौर पर दिए जाते थे। माता-पिता उस बेटी का कत्ल करने का काम न करें। आज अगर आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश में फीमेल फीटिसाइड के केस दिन प्रति दिन इतने बढते जा रहे हैं। डाक्टरों के पीछे पुलिस लगा-लगा कर अल्ट्रासाउंड की मशीनें पकड़नी पड़ रही हैं। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा। सोसाइटी के इस तरह के जो इल्स हैं, उनको कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा। मैं तो सरकार से यही निवेदन

करता हूँ कि जिस तरह की मुहिम चौधरी देवी लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में चलाई थी, बच्चे पढ़ा नहीं करते थे कि उनको एक रूपये का लालच दिया गया था कि आप एक रूपये लो और स्कूल में आओ। उस तरह का कहीं न कहीं हमें हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी, जिसके तहत 40 प्रतिशत हमारी बहनें हैं, जो कॉलेज जाने से पहले शिक्षा छोड़ देती हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं सोसाइटी के अंदर इंक्लूड कर उनको शिक्षित कर इस समाज में बराबरी पर लाने का काम करना होगा।

अगर हम बच्चों के अगेंस्ट क्राइम्स की बात करें तो इस देश के अंदर सन 2012-13 में 10 प्रतिशत हत्याओं में वृद्धि हुई है। इंफेंटिसाइडस के केसेज़ 28 प्रतिशत इंक्रीज़ हुए हैं। बच्चों के रेप के केसेज़ 20 प्रतिशत इंक्रीज़ हुए, बच्चों की किडनैपिंग में 20 प्रतिशत इंक्रीज़ हुई है। आज अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर सीसीटीवी कैमरों में देखा जाता है कि सोते हुए बच्चों को उठा लिया जाता है। मॉलस के अंदर से बच्चे किडनैप कर लिए जाते हैं। सरकार को इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और बच्चों को बैगर्स बना कर आज स्ट्रीट पर उतारा जाता है, उसके खिलाफ भी सख्त कानून बना कर उनकी सुरक्षा के लिए कदम बढाने होंगे। जहां हमारी माताओं-बहनों की बात आती है आज वॉयलेंट क्राइम्स के केसेज़ 11 प्रतिशत इंक्रीज़ हुए हैं। क्राइम अगेंस्ट विमन के 41 प्रतिशत केसेज़ इंक्रीज़ हुए हैं। ह्युमैन ट्रैफिकिंग के केसेज़, अगर पिछले साल की बात करें तो उससे पिछले साल सिर्फ 3450 केसेज़ इंक्रीज़ हुए। हमारे प्रदेश की बात करें तो सन् 2004 के अंदर साढ़ तीन सौ रेप के मामले दर्ज हुए थे और इस साल बात करें तो 971 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। फिर भी हमारे मुख्य मंत्री यही कहते हैं कि हरियाणा नंबर वन है। हरियाणा के अंदर एक अपना घर जैसा कांड हुआ था, जो इस सदन के अंदर भी गूंजा था। जहां हरियाणा के तीन विधायकों का नाम आया था और वहां 12 साल की, 15 साल की और 17 साल बच्चियों के साथ यौन शोषण करने का काम उन लोगों ने किया था। आज उसको ढाई साल का समय हो चुका है। सरकार की आंखें बंद पड़ी हैं। सीबीआई इंक्वायरी तक मार्क हुई। मगर आज तक सरकार ने उस संज्ञान में एक कदम आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक वाकया आपके सामने लाना चाहूंगा। बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, उसके अन्दर पिछले से पिछले साल एक शिक्षिका थी,... * उनके ऊपर उनके प्रिंसिपल ने छेड़छाड़ की। प्रिंसिपल का नाम मैं आपके बीच में नहीं लेना चाहूंगा।

HON. CHAIRPERSON: Individual's name will not go on record.

श्री दुष्यंत चौटाला : मगर उस शिक्षिका ने दिल्ली प्रदेश के कोने-कोने के अंदर जाकर अपनी लड़ाई को लड़ने का काम किया, मगर 29 सितंबर, 2013 को जब वह पूरी तरह हार मान चुकी थी, इस दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ऑफिस के आगे उसने सुसाइड करने का काम किया। हड़बड़ाहट में

_

^{*} Not recorded.

कांग्रेस सरकार ने इंक्वायरी मार्क की, मगर आज तक पिछले एक साल से उस इंक्वायरी को यह सरकार खत्म नहीं कर पायी।

मैं इस सरकार से यही निवेदन करूंगा कि उस बहन को इंसाफ दिलाने का काम यह सरकार करे। मैं दोबारा इस सरकार से यही कहूंगा कि हमारी माताओं और बहनों के लिए और इस देश के आने वाले भविष्य यानी हमारे बच्चों के लिए सख्त कानून बनाकर उनकी सुरक्षा के कदम उठाने का काम करें।

साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। सदन में सम्मानित हमारे सभी मंत्रीगण, सदन में उपस्थित हमारे सभी सदस्यगण का सम्मान करते हुए कहना चाहूंगी कि मैं बहराइच (उत्तर प्रदेश) से पहली बार चुनाव जीतकर आयी हूं। मैं उन महापुरूषों को प्रणाम करती हूं, जिन्होंने गुलाम भारत को आजाद भारत के रूप में लाकर खड़ा किया है। मैं उन महापुरूषों के कृत्यों को नमन करती हूं, जिन्होंने समता, स्वातंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिसकी बदौलत कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के माध्यम से देश का संचालन हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जन-गण-मन अधिनायक जय हे, वन्दे मातरम के माध्यम से सदन की कार्यवाही की शुरूआत होती है।

महोदय, मुझे बहुत खुशी होती है कि देश की आजादी में पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी अपना बिलदान देकर देश को आजाद कराया। महारानी लक्ष्मी बाई, झलकारीबाई, उदा देवी, विरंगना बाई, यही नहीं खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देश की आजादी में जिस तरह से महिलाओं ने अपने को बिलदान होकर देश को आजाद कराने का काम किया, आज उन महिलाओं को गिरी निगाहों से देखा जाता है। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहती हूं कि जब-जब गुलशन में खूं की जरूरत पड़ी तो पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं की भी गर्दन कटी, बावजूद इसके कहते अहेले चमन, यह चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। जब देश में चुनाव की बात आती है तो चुनाव में ग्राम पंचायत से लेकर और भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं की बराबर की भागीदारी होती है। सरकार बनाने में भी महिलाओं की भागीदारी होती है, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है तो लोगों की मानसिकता साफ नहीं होती है। ऐसी स्थिति में में कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से मातृशक्ति के साथ घटनायें हो रही हैं, चार साल की, छह साल की, आठ साल की, दस साल की बच्चियों से लेकर चालीस साल, पंतालिस साल, पचास साल तक महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है और सरकार मुकदर्शक बनकर देखती रहती है।

मैं उत्तर प्रदेश में घटित मात्र एक माह की घटनाओं को बताना चाहती हूं, जो रिकार्ड में हैं, 2 जून को बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में युवती की सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला घोटकर हत्या। 3 जून - सीतापुर के मिश्रिख में 15 साल की बालिका के साथ दुराचार कर शव पेड़ से लटकाया गया। 5 जून - महाराजगंज के अड्डा बाजार में किशोरी से दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाने की कोशिश की गयी। 5 जून - एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों के साथ दुराचार किया गया। 6 जून - फिरोजाबाद के फरिहा थाना क्षेत्र में पांच साल की बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया। 8 जून - बागपत जिले के बड़ौत में विवाहिता को

नशीला पदार्थ सुंघाकर दुराचार का मामला सामने आया। 8 जून - आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना, छोटे लाल यादव की पुत्री पप्पी यादव के साथ परवानी गौढी थाना मोतीपुर जनपद बहराइच की लड़की का अपहरण। 12 जून - मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में युवती की दुराचार के बाद हत्या कर शव पेड से लटकाया गया।

15.00 hrs

12 जून को बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र के गोरिया गांव में महिला को सामुहिक दुराचार के बाद पेड़ से लटकाया गया। 14 जून को बदायूँ के बसौली में विवाहित महिला के साथ सामुहिक दुराचार किया गया। 14 जून सम्भल में पिता द्वारा नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की घटना। 14 जून को कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ दुराचार किया गया। 14 जून को वाराणसी में फ्रांस की पर्यटक के साथ दुष्कर्म किया गया। 15 जून को अलीगढ़ के ताजपुर रसूलपुर गांव में दुष्कर्म के बाद युवती को पेड़ से लटकाया गया। यही नहीं अभी-अभी मेरठ की घटना है। मेरठ में लड़की का अपहरण करके, उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसका धर्म परिवर्तन कराने का काम किया गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार के रहते हुए हमारी बहनों के साथ, छः साल, आठ साल और दस साल की लड़कियों के साथ दुराचार करके उनकी हत्या कर दी जाती है और सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। उस पर लीपापोती करने का प्रयास करती है।

15.01 hrs (Shri Hukum Singh *in the Chair*)

में कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में तन बिक रहा है, वतन बिक रहा है, उत्तर प्रदेश में, यहां के उपस्थित सदस्य बुरा न मानें तो खुल कर कहती हूं कि हमारी मां बहनों का कफ़न बिक रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, उसका जीता-जागता प्रमाण है। उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लगातार महिलाओं के साथ घटनाएं होती थीं। चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या और अत्याचार बड़े पैमाने पर होता था। जनता ने विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी की सरकार को चुना और जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आयी है, तब से लगातार घटनाएं निरन्तर होती रहती हैं और सरकार मूकदर्शक बनकर के देखती रहती है। यही नहीं ... * ने कहा है- यदि लड़कों से गलती हो गयी है तो उनको सज़ा नहीं देनी चाहिए, उनको फांसी नहीं देनी चाहिए। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता का हाल है। जो व्यक्ति इस तरीके से मनोबल बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश में कर रहा है, उस सरकार को वहां रहने का अधिकार नहीं है।

-

^{*} Not recorded.

महोदय, मैं मांग करती हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए। गरीबों की महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, वह तब तक नहीं रुक सकता है, जब तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार और ... * मुख्यमंत्री पद से जाएंगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी नहीं, तब तक मां-बहनों की रक्षा और सुरक्षा नहीं हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : जितने भी नाम लिए गए हैं, वह नाम नहीं आने चाहिए थे। वह रिकॉर्ड से निकाल दिए जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग बैठ जाएं। सदन में शांति बनाए रखिए।

...(व्यवधान)

^{*} Not recorded.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Hon. Chairman, Sir, India is the biggest democratic country in the world. Men and women are equal by Constitution, by laws and rules. But, Sir, do the women in India get equal rights or democratic rights in the right way? The answer is, 'no'.

Sir, yesterday we were very much shocked at an anti-women and insensitive statement from a Member of Parliament when he made his speech in this House blaming women by referring their dress code. It is surprising as to how dare a Member of Parliament make such a speech in this House. Does it mean that the victim is responsible for that sexual crime? Can we say that the three-year old with her dress code was responsible for the crime? It is shameful. It is highly condemnable and objectionable. He should apologise in this House and withdraw his comments. That is my request to you.

But this is not the only example. Yes, crimes are increasing. But utterly insensitive and objectionable public pronouncements are also coming from a few male leaders holding important positions including MPs and even Ministers. Can we keep silent on this? That is my humble question.

On July 23rd, in Haryana, when a delegation of teachers met the Principal Secretary and spoke about a demand to include six months maternity leave as part of the mandatory rural area deputation of teachers, what did he say? He said: "Do they conceive with my permission?" Do we not have to condemn this? A remark made by the Minister is this. "Rape is a social crime, which depends on the man and the woman. It is sometimes right and sometimes wrong." He further added: "It is not possible for any Government to ensure that rape is not committed." How can a Minister make a statement like this? I do not want to mention any name.... (*Interruptions*) He is a Minister from Madhya Pradesh.

Another point, which I want to make here is this. Sometimes these types of comments come from even the hon. Judges and courts also. It is very shameful. An elected representative is openly making threats of rape and murders against the women, those who are his political opponents. This is also happening. We are hearing: "You go and rape that woman." What is happening in our country? We cannot imagine this. We are shocked that such audacious and anti-women statements are coming from an elected Member of your House. If such statements and behaviour come from an elected representative, his punishment including expulsion from Parliament has to be considered, for which we need to adopt a code of conduct for MPs.

Sir, with your permission, I want to speak a few words in Malayalam.

* Even today, in many parts of India, women are lagging behind men in all respects. Be it any Government who is in power, what are they doing for women? Statements are made by those in power, but in reality nothing happens. Sir, we have had women as President, as Prime Minister, as Speaker, including the present Speaker Smt. Sumitra Mahajanji. The two women ministers who are sitting in front of me, Smt. Manekaji and Smt. Nirmala Sita Ramanji, they do excel their male counterparts in terms of proficiency and professionalism. There are several other women who do not get any chance to prove their ability. Sir, we have to change this mindset. The mindset of seeing women as a domestic slave, still exists in several parts of our country. Whether it be the administrators, or men in society as a whole, this mindset should change. I want to put two or three demands.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Fast track women court should be started in every State. In Tamil Nadu Amma Jayalalithaa has already implemented it by setting up Vanitha Women Court. I demand that the Government should pass legislation in Parliament--and I would request the hon. Minister, Maneka Ji also in this regard—to provide for 33 per cent reservation for women in Parliament.

 * English translation of the speech originally delivered in Malayam.

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Badruddin Ajmal to speak.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Another thing is that legislation has to be passed against honour killing. Verma Commission Report should be implemented immediately.

HON. CHAIRPERSON: I have called the next speaker. Please conclude.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Nirbhaya scheme should also be implemented immediately.

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सभापित महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सबसे पहले पूरे हाउस का ध्यान एक बात की तरफ दिलाते हुए एक शेर कहना चाहता हूं:-

"वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, फरिश्ते भी आंसू बहाने लगेंगे, अगर भीड़ में खो गई आदिमयत, उसे ढूंढने में ज़माने लगेंगे।"

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं, चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के हों। यहां इस वक्त जो विषय लाया गया है, वह हमारी मां, बहनों और बेटियों से संबंधित है। बेटी हमारी शान है, मां हमारी जान है, उसकी इज्जत, एहतराम हर घर में जरूरी है, हर मज़हब उसको इज्जत देता है। हमारे मज़हब में कहा गया कि मां के पैर के नीचे जन्नत है और बेटी जब पैदा होती है तो अल्लाह की तरफ से उसको सलाम आता है। उसको यह पेगाम आता है कि तुझे जन्नत में जगह मिल गई।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि यहां पार्टियों का सवाल नहीं आना चाहिए। यहां हमारी महिला बहनें बैठी हैं, यह एक ऐसा विषय है, जिस पर बात करते हुए सही मायनों में हमें शर्म आनी चाहिए। पार्टियों का बेरियर नहीं आना चाहिए, नहीं तो यह होगा कि इस पार्टी को गिराना है तो इस इलाके में इतने ज्यादा रेप करा दो, तो यह पार्टी गिर जाएगी। यह पोलिटीकल इन्फ्लुएन्स वेपन भी नहीं बनना चाहिए। हमारी मां-बहनें आज घरों एवं ऑफिसों में सुरक्षित नहीं हैं। कल हमारी एक महिला एमपी ने बड़े दुख के साथ अपनी घटना सुनाई। ये घर-घर की कहानी हो गई है। बच्ची को जब मां स्कूल में भेजती है, वह बड़ी मेहनत से अपनी जिन्दगी का पसीना बहा कर, खर्च करके अपनी बेटी को जब अच्छी नौकरी दिलाती है, बच्ची को जब उठा कर भेजती है तो उसको यकीन नहीं होता कि शाम को उसकी बच्ची घर आएगी और आएगी तो इज्जत के साथ आएगी, जिन्दा आएगी या मुर्दा आएगी।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को, आज मिहलाओं का यह बिल है, कल जब इस पर चर्चा हो रही थी तो मैं सुन रहा था। 21 मिहलाओं ने इस पर बोला, जब कि पूरी की पूरा 62 मिहलाओं को इसके खिलाफ आवाज उठाने की सख्त जरूरत है। 35 परसैंट की डिमांड हो रही है, सब लोग इलैक्शनों में बड़े-बड़े भाषण देते हैं, लेकिन हाउस में आकर कोई उसको ईमानदारी से पास नहीं करता। जब तक हमारी मां-बहनों को, मिहलाओं को हर जगह संरक्षण नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, पुलिस फोर्स एवं आर्मी में उन्हें जगह नहीं मिलेगी, अगर हम उनको दिल से इज्जत देना नहीं चाहेंगे, तो कभी उनकी इज्जत, हिफाज़त नहीं हो सकती। इस मामले में हम सबको गंभीर होना पड़ेगा। हमें

यह सोचना है कि यह बेटी किसी ओर की नहीं, मेरे अपने घर में भी बेटी, बहन, मां एवं महिला है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही - "कि बदनज़र पड़ने ही वाली थी किसी पर, लेकिन अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया।" ये दिल कांपना पड़ेगा, हमको इस दिल को धड़काना पड़ेगा। हमको उन लॉयरों से, यहां हमारे बहुत से मित्र लॉयर बैठे होंगे, मैं उनसे भी माफी के साथ यह कहूंगा कि सर, ऐसा कुछ कानून लाइए कि रेप के केस का जल्दी निपटारा हो। पहले सिर्फ रेप की बात होती थी, अब गेंग रेप की बातें आ रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं लड़कों के अंदर एक डर पैदा हो गया है कि अकेले हम एक लड़की को काबू नहीं कर सकते, सब मिल कर गेंग रेप करो। अकेला रेप कर लो, उसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं होती है, गेंग रेप होता है तो पूरी दुनिया में टेलीविजनों के द्वारा खबर पहुंच जाती है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई, निर्भया का जो केस हुआ था, उसके बाद से दिल्ली के अंदर 30 परसैंट टूरिस्ट कम हो गए। इसलिए कि लोग डरते हैं, फॉरेनर्स डरते हैं कि वहां उनकी मां-बेटियां महफूज नहीं हैं, हम अपनी मां-बेटियों को कैसे महफूज रखेंगे, किस भरोसे पर उनको भेजें? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन महिलाओं के केस के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक बनाया जाए। वहां सिर्फ महिला मजिस्ट्रेट रखे जाएं। हमारी पार्टी का कहना है कि उन केसेज को महिला वकील लड़ें और उसके खिलाफ जो लड़ने वाले वकील हैं, अगर वह गिल्टी पाया जाता है तो उनका लाइसेंस कैंसल किया जाए। यह मां-बहन की इज्जत का मसला है। यह घर का ईश्यू है। यह प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन के बाद भी हम इन्सान हैं। हमारे अंदर एक धड़कता हुआ दिल है। हमारी बेटी के ऊपर या किसी और की बेटी के ऊपर अगर अत्याचार होता है, तब मेरी आंख से आंसू निकलते हैं तो मैं इन्सान नहीं हं।

महोदय, इस मुल्क के अंदर जो एजुकेशन का सिलेबस है, मेरी पार्टी की डिमांड है कि उसके अंदर मॉरल चीजों को लाइए। उसको शुरू से सिखाइये कि हमारे हिन्दुस्तान की तहजीब क्या है? हमारे पुरखों के समय से हमारे हिन्दू धर्म में देवी-देवताओं के नाम से उनकी पूजा होती है। उनकी इज्जत लूटी जाती है और हम पार्टी की बात करते हैं तो हमारी पार्टी की यह भी डिमांड है कि इस किस्म की चीजों को सीरियसली लिया जाये। उनके सिलेबस में इसको दाखिल किया जाये।

हिन्दू, मुस्लिम और जो भी धर्म पूरे इंडिया में पाये जाते हैं, उसमें मां-बहनों की जो इज्जत है, उसको उनको सिखाया जाये। ये चीजें जब तक नहीं आयेंगी, हम जब तक अमेरिका की तरफ भागेंगे, इस मुल्क में हमारी मां-बहनें कभी भी महफूज नहीं हैं। इसी के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, we are discussing under Rule 193 the need to have stringent legislation to check increasing atrocities against women and children in the country. The National Crime Record Bureau's data of 2013 says that every 22 minute a rape case is registered in our country. 33,707 rape cases were registered in 2013 while the conviction rate was only 27.1 per cent. These are registered cases only. I mean, there are many women, who do not come forward to register a case. In our great nation, the cases of crime against women are 3,09,546 whereas the conviction rate is 22.4 per cent only. The crimes against women from 9.2 per cent in 2009 have increased to 11.20 per cent.

Sir, we have passed the Nirbhaya Act. What is needed to be done in this regard? I have a few suggestions. Through you, Sir, I would like to draw the attention of the Government towards two Sections of the Code of Criminal Procedure, namely, 374 and 389 regarding Appeal from Conviction and Suspension of Conviction, respectively. What happens is that after a conviction is given by a trial court, the accused appeals in the Appellate court. My request to the Government is to bring in a suitable amendment to Sections 374 and 389 that unless and until the High Court decides the appeal – the appeal should be decided in a reasonable period of time – the accused should neither be given bail nor his conviction be suspended. This is an important step.

What is happening at present? I request the hon. Minister to find out from the fast track courts, which have been created in Delhi after the Nirbhaya Act, that 90 per cent of the accused have been exonerated. The remaining 10 per cent have appealed in the High Court and are out on bail. My request, through you, to the Government is that this suitable amendment to Sections 374 and 389 be brought as early as possible. Section 309 of CrPC clearly says that chargesheet has to be filed within two months.

I would like to bring to the notice of the Government a classic example of a woman, who had gone to the police, said, I was gang-raped by three people and when I was dying, those criminals were laughing at me. There is another woman, who is 55 year old, who said that she was raped and afterwards the rapists were telling her, they could rape her because she could not bear a child.

The third case is about a woman, who had filed a complaint against a tailor and a person who sold grocery in her village. When she made a complaint, she was brought on the road by the father of the accused, a gun was pointed at her temple and warned. He warned, withdraw your complaint otherwise I would shoot you - तेरी यह हिमाकत, तेरी यह हिम्मत।

These are all cases which have been reported and in these cases, you know very well, that the Supreme Court has given a security guard each to these seven women. I want the hon. Minister to take cognizance of these cases of seven women which have been widely reported in the *Outlook* magazine. Will the hon. Minister be kind enough to please take notice of this and ensure that the culprits in the cases of these seven women, who have come forward very bravely and boldly, get convicted?

We had heard yesterday the Uttar Pradesh ruling party people talking very loudly about what they have done, but in ten months, neither a single arrest has been made in respect of Muzaffarnagar cases nor has a single chargesheet been filed. I want to know this from the Treasury Benches. They talk very loudly. I am not doubting their intentions. But their intentions and loud claims should be followed by practical actions. I would request them to please take cognizance of those seven cases which the *Outlook* magazine has reported about the Muzaffarnagar riot cases.

Before concluding, I would like to bring to the notice of the Government that education needs to be widely imported. More than the women the men should change. We cannot call ourselves a civilised society when for 50 per cent of the population, these are the numbers and these are the adversities. We cannot call

ourselves a great nation, we cannot call ourselves a great civilisation if 50 per cent of our population are feeling insecure and are subjected to crimes like rape.

Lastly, Sir, my request to the Government, through you, is that please control organisations which have affiliations to you and who are using this festival like *rakhi* to promote religious animosity. What is this? You are in the ruling party. You can come to power, but at what cost? This is what the Government has to do. They have to control organisations which in the name of holy festivals are creating divisions, are sending wrong messages.

Sir, NCRB data – I have heard speakers over here – clearly says that in the 51 mega cities, 92 per cent of the rape victims knew the criminals. So, please do not attribute criminal motives to it. I request you once again that the hon. Minister should take cognizance of it. Even the National Commission for Women has not gone and visited these seven women whose cases have been widely reported in the *Outlook* magazine and the Supreme Court has given them protection. I hope that the Government will rise up to the occasion.

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर बोलना चाहता हूं। वैसे तो, देश में बहुत-सी घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पंजाब में 500 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बाथरूम्स ही नहीं हैं। वहां कोई शौचालय नहीं है जिनके कारण लड़िकयों को बहुत दिक्कतें आती हैं। मैट्रिक और हायर सेकेण्डरी स्कूल्स 10-10 किलोमीटर्स की रेंज में हैं। वहां पर स्कूल जाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से शटल सेवा या बस सेवा जैसा कोई प्रबंध नहीं है। लड़िकयां बसों के पीछे लटक कर स्कूल जाती हैं या वे स्कूल पैदल जाती हैं। वे अजनिबयों से राइड लेती हैं जिससे उनके साथ छेड़-छाड़ की घटनाओं में वृद्धि होती है। इसके कारण, इंटैलिजेंट लड़कियों को उनके माता-पिता स्कूल से निकाल लेते हैं। वह कहते हैं कि हमें स्कूल में लड़कियों को नहीं पढ़ाना है। हमारे लिए इज्जत ज्यादा बड़ी है। इन्हें पढ़ कर क्या करना हैं? ये तो पराई हैं। दिक्कत यह है कि माता-पिता के घर पर भी कहा जाता है कि तू बेगानी है। जब ये ससुराल जाती हैं तो वे कहते हैं कि तू पराई है। महिलाओं का तो धरती में कोई हिस्सा ही नहीं है। मानननीय सांसद कह रहे थे कि क्या जम्मू-कश्मीर की धरती में आपका हिस्सा नहीं है? पंजाब में लड़िकयों की लोहड़ी मनाने का एक पॉजिटिव साइन है। गुरुनानक देव ने अपनी वाणी में लिखा है - 'सो क्यों मंदा आखिए जीत जम्मे राजान'। जो राजाओं को पैदा करती हैं उनको आप कैसे मंदी भाषा में बोल सकते हैं? वाणी में यह भी लिखा है कि 'एति मार पई कुर्लाने तै कि दर्द न आया'। औरत कुरला रही है और राजाओं को दर्द नहीं हो रहा है, उनको दया नहीं आ रही है। ऐसे में एक तरफ तो हमारे देश के रॉकेट मंगल ग्रह पर गए हैं। दूसरी तरफ, हमारे यहां दहेज उत्पीड़न और कोख में कत्ल हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती है कि हम कौन-सी सदी की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो पूरे देश में ऐसा होता है। जब भी नर्सेंज हड़ताल करती हैं, डॉक्टर्स या बेरोजगार लोग हड़ताल करते हैं तो मेल पुलिसमैन लड़कियों की पिटाई करते हैं। तीन-चार दिन पहले पंजाब में ऐसी घटना हुई जिससे एक लड़की की आंख चली गई, उसे 24 स्टिचेज लगे। अगर करना हो तो बहुत कुछ हो सकता है।

हमारे वहां एक डिस्ट्रिक्ट शहीद भगतिसंह नगर है। वहां एक डिप्टी किमश्नर आए। उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला। वहां लड़िकयों की गिनती लड़कों से कम थी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के सभी डाक्टर्स को कहा कि आपके पास जो भी प्रैगनैंसी के केस आएंगे, वे हमें थाने में एड्रैस के साथ देकर जाइए। जब केस थाने में जाने लगे तो पुलिस उनके घर में जाने लगी कि आपका केस हमारे पास आया है। अगर कोई दिक्कत आए तो बताइए। नौ महीने बाद उन्होंने चैक किया कि कितने बच्चे पैदा हुए हैं। जो बच्चे पैदा नहीं हुए थे, उनसे पता किया गया कि आपने कहां से एबॉर्शन करवाया है। अमृतसर, गुरदासपुर से दो-तीन डाक्टर पकड़कर लाए गए। उसके बाद वहां इतना डर पैदा हो गया कि अब शहीद भगतिसंह नगर में

लड़िकयों की गिनती लड़कों से ज्यादा है। अगर कुछ करना चाहें तो एक डिप्टी किमश्नर भी कर सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए। मैं इन बातों के जिए आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मेरी पंजाबी में एक छोटी सी कविता है। लड़की अपनी मां के साथ बात कर रही है जो अभी पैदा भी नहीं हुई है। वह कह रही है --

> आजा बैठ के माए गल्लां करिए काम दियां आजा बैठ के माए गल्लां करिए काम दियां राजगुरु, सुखदेव, भगतिसंह मांवां ही ने जमदियां की पता मैं जम देवां कोई अगम्बड़ा मर्द नी माए पेट विच न कत्ल कराईं एही मेरी अर्ज नी माए।

यानी लड़की कह रही है कि शहीद भगतिसंह, राजगुरू जैसे योद्धा भी मां के पेट से पैदा हुए थे। क्या पता मैं भी कोई ऐसा योद्धा पैदा कर दूं। इसिलए मुझे पेट में कत्ल न करवाओ। मुझे भी दुनिया में आने का हक है। दुनिया में आकर भी हम कोई एहसान नहीं करते। लड़की पैदा कर दी तो कोई एहसान नहीं किया कि हमने लड़की मारी नहीं है, पैदा कर दी। उसे जीने का माहौल भी मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लड़की जब 20-21 साल की हो जाती है तो हम उसे दहेज के लालिचयों को पकड़ा देते हैं। भाई साहब हमसे तो मरी नहीं तुम मार दो। ऐसी घटनाएं होती हैं। इसिलए उन्हें जीने का माहौल भी मिलना चाहिए।

जब हम मैट्रिक, हायर सैकंडरी, बीए, एमए के रिजल्ट देखते हैं तो अखबार में आता है कि लड़िक्यों ने इस बार फिर बाजी मारी। इसमें एक बहुत बड़ा प्वाइंट है कि जो लड़िक्यां प्लस टू, बीए, एमए में फर्स्ट आती हैं, वे बाद में कहां जाती हैं। उनकी किसी अनपढ़ या जमीन वाले के साथ शादी हो जाती है। उनकी पढ़ाई बेकार हो जाती है। फर्स्ट आकर भी वे वही जीवन व्यतीत करती हैं। इसलिए महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए। अब महिलाओं को कुड़ियां, चिड़ियां या ये बेचारी गऊ जैसी है कहना, यह चिड़ियां, गऊ का जमाना नहीं है, अब शेरनियां बनने का टाइम आ गया है।

श्रीमती पूनमबेन माडम (जामनगर): सभापित महोदय, मैं आपके साथ-साथ सरकार का भी आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने इस विषय की गंभीरता समझकर इस सदन में इसकी चर्चा की अनुमित दी। पिछले दो दिनों से हम इस विषय पर चर्चा सुन रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विषय की गंभीरता को समझकर बहुत अच्छे सुझाव और चिन्ता इस सदन में व्यक्त की गई है। इस विषय पर महिला सदस्य तो बोली हैं लेकिन पुरुष सदस्यों ने भी बहुत अच्छा बोला है। पुरुष सदस्यों की महिला सदस्यों के विचारों से सहमित बन रही है। जब हम उन सदस्यों से बाहर मिलते हैं तो उनका यही कहना है कि बहुत अच्छा विषय है। हम चाहते हैं कि आप महिलाएं बोलें। ऐसा नहीं है कि हम इस विषय पर बोलना नहीं चाहते या इस विषय की गंभीरता से परिचित नहीं हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यह महिलाओं का विषय है, इसलिए इस पर बहनें, महिलाएं ज्यादा बोलें। इस सदन में यह बहुत अच्छी बात हुई है जहां महिलाओं के साथ-साथ पुरुष भी इस विषय को उतनी ही गंभीरता से लेकर भाग ले रहे हैं। महोदय, इस विषय पर बहुत चर्चा हुई। पिछले दो दिनों से सदन में अनुभवी और नये सदस्यों ने इस विषय पर बहुत अच्छी बातें रखीं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Poonamben Maadam, please continue your speech next time because it is 3.30 p.m. now, and we have to take up Private Members' Business.

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM: Thank you, Sir. I will continue my speech on Monday.

15.30 hrs

PRIVATE MEMBERS' BILLS -Introduced

(i) FARMERS (RIGHT TO ASSURED MINIMUM PRICE FOR AGRICULTURAL PRODUCE) BILL, 2014*

श्री देवजी एम. पटेल (जालोर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर कृषक आयोगों की स्थापना करके कृषकों को कृषि उपज का न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य उपलब्ध कराने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाये।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide assured minimum price of agricultural produce to farmers by establishing Farmers' Commissions at national and state levels and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री देवजी एम. पटेल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूं।

15.30 ½ hrs

(ii) COCONUT GROWERS (WELFARE) BILL, 2014*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for certain welfare measures and other facilities for coconut growers and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for certain welfare measures and other facilities for coconut growers and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN: Sir, I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II. Section 2 dated 08.08.2014

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15.31 hrs

(iii) PAYMENT OF COMPENSATION TO PERSONS ATTACKED BY WILD ANIMALS BILL, 2014*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of compensation to persons attacked by wild animals and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of compensation to persons attacked by wild animals and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN: Sir, I introduce the Bill.

15.31 ½ hrs

(iv)HIGH COURT OF KERALA (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT KOZHIKODE) BILL, 2014*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Kerala at Kozhikode.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Kerala at Kozhikode."

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN: Sir, I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II. Section 2 dated 08.08.2014

15.32 hrs

(v) PAYMENT OF COMPENSATION TO VICTIMS OF NATURAL CALAMITIES AND SNAKE BITE BILL, 2014*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of compensation to victims of natural calamities and snake bite and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of compensation to victims of natural calamities and snake bite and for matters connected therewith.

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN: Sir, I introduce** the Bill.

15.33 hrs

(vi) THE SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) AMENDMENT BILL, 2014*

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II. Section 2 dated 08.08.2014

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989."

The motion was adopted.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.34 hrs

(vii) SURROGACY (REGULATION), 2014 *

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): महोयद, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि किराए पर कोख देने को विनियमित करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON :: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for regulation of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.35 hrs

(viii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2014 (Insertion of new article 16A, etc.)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 2 dated 08.08.2014

15.36 hrs

(ix) ACID (CONTROL) BILL, 2014*

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मानव, विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं पर एसिड हमले को रोकने तथा एसिड के विक्रय और वितरण पर नियंत्रण रखने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for control of sale and distribution of acids in order to prevent the acid attacks on human beings particularly women and girls and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.37 hrs

(x) GOVERNMENT SERVICES (REGULATION OF COMPASSIONATE APPOINTMENTS) BILL, 2014

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव): माननीय सभापित महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों का विनियमन और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 2 dated 08.08.2014

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the regulation of appointments on compassionate grounds in offices under the control of Central Government and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री ए.टी.नाना पाटील : मैं विधेयक पुरःस्थापित^{*} करता हूँ।

^{*} Introduced in the recommendation of the President

15.38 hrs

(xi) NATIONAL ASSETS (PROTECTION) BILL, 2014*

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय आस्तियों की घोषणा करने और मान्यता देने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the declaration and recognition of national assets and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री ए.टी.नाना पाटील : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.38 ½ hrs

(xii) AGRICULTURAL WORKERS WELFARE BILL, 2014*

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कृषि कर्मकारों के कल्याण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare of agricultural workers and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री ए.टी.नाना पाटील : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 2 dated 08.08.2014

15.39 hrs

(xiii) ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (AMENDMENT) BILL, 2014 *

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958."

The motion was adopted.

श्री ए.टी.नाना पाटील: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.40 hrs

(xiv) FINANCIAL ASSISTANCE TO THE STATE GOVERNMENTS (FOR PROTECTION OF WATER BODIES) BILL, 2014*

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide financial assistance to the State Governments for protection of water bodies.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide financial assistance to the State Governments for protection of water bodies."

The motion was adopted.

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 08.08.2014

15.41 hrs

(xv) LABOUR FORCE (DEMAND AND SUPPLY SURVEY) BILL, 2014*

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अर्थव्यवस्था के प्रभावी कार्य-निष्पादन के लिए नियोजन की मांग और आपूर्ति प्राक्कलन प्रदान करने तथा श्रम बल की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में श्रम बल की मांग और आपूर्ति का वार्षिक सर्वेक्षण करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for conducting yearly demand and supply survey of labour force across various sectors of economy in order to provide demand and supply estimates of employment and bridge the gap between demand and supply of labour force for effective performance of the economy."

The motion was adopted.

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

15.41 ½ hrs

(xvi) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2014* (AMENDMENT OF THE EIGHTH SCHEDULE)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

_

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 08.08.2014

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

5 42 hwa

15.42 hrs

(xvii) ELECTRICITY (AMENDMENT) BILL, 2014*

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Electricity Act, 2003."

The motion was adopted.

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.42 ½ hrs

(xviii) PREVENTION OF CRUELTY TO COWS BILL, 2014*

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गायों के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए प्रभावी उपाय करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for effective measures for the prevention of cruelty to cows and for matters connected therewith."

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 08.08.2014

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.43 hrs

(xix) NATIONAL COMMISSION FOR YOUTH BILL, 2014*

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि युवाओं के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for constitution of a National Commission for Youth for their overall development and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.44 hrs

(xx) CENTRAL UNIVERSITIES (CONDITIONS OF SERVICE OF NON-TEACHING STAFF) BILL, 2014*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापनेत्तर स्टाफ की सेवा की समान शर्तें और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 08.08.2014

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for uniform conditions of service for the non-teaching staff of the Central Universities and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री जगदम्बिका पाल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.45 hrs

(xxi) BACKWARD AREAS DEVELOPMENT BOARD BILL, 2014*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरियागंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु एक स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted introduce a Bill to provide for the establishment of an autonomous Board for the overall development of economically backward areas of the country."

The motion was adopted.

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित^{**} करता हूं।

15.46 hrs

(xxii) PRE-EXAMINATION COACHING CENTRES REGULATORY AUTHORITY BILL, 2014*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरियागंज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परीक्षा-पूर्व कोचिंग सेंटरों के विनियमन हेतु एक विनियामक प्राधिकरण का गठन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Regulatory Authority for regulation of Pre-Examination Coaching Centres and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 08.08.2014

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15.47 hrs

(xxiii)CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT)BILL, 2014 *

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950."

The motion was adopted.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.47 ½ hrs

(xxiv)CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2014 *

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950."

The motion was adopted.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 08.08.2014

15.48 hrs

(xxv) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2014* (AMENDMENT OF ARTICLE 243A).

श्री शैलेश कुमार (भागलुपर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री शेलेश कुमार : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.49 hrs

(xxvi) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2014 * (AMENDMENT OF ARTICLE 171)

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री शैलेश कुमार: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 08.08.2014

15.50 hrs

(xxvii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL * (Amendment of article 39)

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI P.P. CHAUDHARY: I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Next, item No. 39. Shri Feroze Varun Gandhi – not present. Item No. 41, Shri Baijayant Panda – not present. Item Nos. 42 and 43, Shri Baijayant Panda – not present.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 08.08.2014

15.52 hrs

PRIVATE MEMBERS' BILLS Under consideration

(i) NATIONAL MINIMUM PENSION (GUARANTEE) BILL, 2014

HON. CHAIRPERSON: Now, the House will take up item No. 44 – further consideration of the National Minimum Pension (Guarantee) Bill. Shri Arjun Ram Meghwal – not present. Shri Jagdambika Pal.

श्री जगदिष्विका पाल (डुमिरेयागंज): सभापित जी, मैं आपका आभारी हूं कि आदरणीय निशिकांत दुबे जी द्वारा 25 जुलाई को जो एक प्राइवेट मैम्बर बिल प्रस्तुत किया गया, उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का समय दिया है। किसी भी वैलफेयर स्टेट की अवधारणा एक सामान्य सिद्धांत के तहत यह होती है कि जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में किसी भी स्वरूप में, किसी भी परिस्थिति में समाज में योगदान दिया है, चाहे वह संगठित क्षेत्र हो, असंगठित क्षेत्र हो, प्राइवेट क्षेत्र हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उस व्यक्ति ने समाज के लिए, देश के लिए अपना पूरा योगदान जीवन-पर्यन्त दिया है। लेकिन रिटायर होने के बाद जब आदमी पेंशन पर जाता है तो आप सामान्य परिस्थिति में देखें कि प्रायः आज पेंशन पाने वाले लोगों की स्थिति एक विपन्नता की स्थिति है। जिस चुनौतीपूर्ण और कठिनाई की जिंदगी समाज में ये लोग जीते हैं, मैं समझता हूं कि उसको एड्रेस करने वाली दिशा में निशिकांत जी ने एक बहुत अच्छा विधेयक पेश किया है, जिसका पूरा सदन समर्थन करेगा। जिसने अपने जीवन में समाज के लिए योगदान दिया है वह आज रिटायर हो गया तो हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि उन्हें हम सम्मानपूर्ण जीने के लिए, या समाज के लिए उनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में उन्हें भी सम्मानपूर्ण जीने के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उनकी रिटायरमेंट के बाद की जो जिंदगी है उसमें वह सम्मान महसूस कर सकें कि जिस समाज में हमने योगदान दिया था उस समाज में उनका स्थान है।

आज जिस तरीके से इसे लेकर आये हैं, मैं समझता हूं कि आज उन परिस्थितियों में एकरूपता नहीं है। आप देखते हैं कि जो ओल्ड-ऐज पेंशन है, विडो-पेंशन है, विकलांग के लिए पेंशन है, इसमें भी राज्यों में भिन्नता है। किसी राज्य में 200 रुपये, किसी राज्य में 500 रुपये, दिल्ली में 1500 रुपये पेंशन है। मैं समझता हूं कि सदन में इस प्राइवेट मैम्बर बिल पर हम विचार करें कि पूरे देश में रिटायरमेंट के बाद कम से कम जो पेंशन है उसमें एक रूपता हो और उसी दिशा का उन्होंने उल्लेख भी किया है और आज की परिस्थिति में 5000 रुपये उन्होंने रिटायर पेंशन भोगियों के लिए रखा है। मैं समझता हूं कि आज भी पेंशनभोगियों के ऊपर भी आश्रित लोग हैं। उनका बच्चा अपंग हो गया या ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां हो गयी कि घर में किसी के पास नौकरी नहीं हैं तो ऐसे परिवार उसी पेंशन पर आश्रित रहते हैं।

सभापित जी, आज जो प्राइस इंडेक्सिंग है उसके हिसाब से पांच हजार रुपए रखा है, लेकिन मैं निशिकान्त जी को सुझाव दूंगा कि भविष्य में इस राशि को प्राइस इंडेक्सिंग के साथ जोड़ें। समय-समय पर महंगाई बढ़ती जाए, ऐसी परिस्थिति में आज नहीं तो दस साल बाद यह राशि बहुत कम लगने लग जाएगी। जब हमने पेंशन की योजना शुरू की थी, उस समय दो सौ रुपया वृद्धावस्था पेंशन देते थे, उसके बाद यह राशि पांच सौ रुपए हुई लेकिन आज लगता है कि यह राशि बहुत कम है। यह बहुत अच्छा क़दम है और इसमें बार-बार संशोधन की बात करें या कोई नया प्राइवेट मेम्बर बिल आए इससे अच्छा है कि अभी से इसमें एकरूपता हो और समय-समय पर प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ दिया जाए तो यह समाज के पेंशन भोगियों के लिए कारगर क़दम सिद्ध होगा।

महोदय, 1 मई, 2009 को स्वाबलंबन का आधार बना कर नेशनल पेंशन स्कीम बनाई गई। आज जो नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुई, उसमें जो पेंशन फंड रेग्यूलेटरी डेवलपमेंट आथोरिटी है, वह आज भी पंशन सेक्टर को रेग्युलेट करने की बात है। उसमें यह भी जोड़ना है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, चाहे अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हों, जैसे कोई व्यक्ति रिटायर हो गया तो वह चाहे किसी भी सेक्टर से रिटायर हुआ हो, सभी अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। प्राइवेट और असंगठित सेक्टर में उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। यह एक बड़ा क़दम है कि कम से कम सभी को इसके अंतर्गत लाने की बात करें कि प्राइवेट सेक्टर में और असंगठित क्षेत्र के लोगों की सेवानिवृति के बाद कैसे उनके भविष्य की चिंता कर सकते हैं, कैसे वे अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं और परिवार के उत्तरदायित्व को कैसे उठा सकते हैं। अगर हम उनके लिए कोई सुरक्षा या अधिकार नहीं देंगे या इसके अंतर्गत लाने का प्रयास नहीं करेंगे तो में समझता हूं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। यह किसी भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विपरीत होगा। हमारा दायित्व केवल तभी तक के लिए नहीं है जब तक कि वह नौकरी कर रहा है। एक सभ्य समाज में जिस व्यक्ति ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और अपनी उपयोगिता समाज में दी, जिसने अपनी सार्थकता समाज के लिए दी और समाज के लोगों के प्रति योगदान दिया और वह योगदान केवल उसकी सर्विस के लिए नहीं है बल्कि वह देश की जीडीपी को बढाने का योगदान है, देश के विकास में योगदान है। उसे रिटायरमेंट के बाद लगता है कि उसे पेंशन नहीं मिल रही है तो वह समझता है कि वह देश पर या समाज पर लायबिलिटी हो गए हैं, अपने ही समाज में जिसमें उसकी कल तक यह उपयोगिता थी, आज रिटायरमेंट के बाद वे समाज पर बोझ हैं, ऐसी परिस्थितियों में यह जो बिल लाया गया है, बहुत सुधारवादी कदम है और इस दिशा में पूरा सदन विचार करेगा। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर

इसके साथ जोड़ा जाए, जैसा निशिकांत जी ने कहा है कि नेशनल फंड कारपस बनाया जाए। यह जो अवधारणा है कि जो असंगठित या प्राइवेट सेक्टर है या दूसरे सेक्टर्स हैं, उनमें हमें एकरूपता लानी होगी।

16.00 hrs

निश्चित तौर से एक कॉरपस फंड नेशनल पेंशन फंड के लिए लोगों को सुरक्षा दे और लोगों के भविष्य के लिए कम से कम मिनिमम पेंशन की जो गारंटी है, वह हम दे सकें। इस बिल का उद्देश्य यही है कि समाज के हर व्यक्ति को जो समाज में अपना योगदान दे चुका है, उसे एक एज के बाद जब वह रिटायरमेंट की श्रेणी में आता है तो समाज उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, समाज उसकी देखभाल करे। समाज उसके प्रति अपनी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करे। इसलिए स्वाभाविक है कि वह संवेदनशीलता केवल हम शब्दों से या केवल अपनी भावनाओं से व्यक्त नहीं कर सकते हैं बिल्क उसको हम एक पेंशन देकर उसको हम सहारा दे सकते हैं जिससे उसकी अपनी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हो सके।

इसलिए जो विधेयक है, इस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता और इस पर आज जो उन्होंने बात कही कि आज इस विधेयक के दायरे में हम सरकारी सैक्टर हो या और सैक्टर हों, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी भी है कि रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन मिलेगी लेकिन बहुत से ऐसे सैक्टर्स हैं जो कोई गारंटी नहीं देते। आज जो सोशल सैक्टर में है, आखिर इस बिल का जो उद्देश्य है, वह लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी देने का है। उस सोशल सिक्योरिटी को प्रदान करने के लिए ऐसे लोग जिनको हम वैल्फेयर स्टेट में समाज कल्याण से और तमाम भारत सरकार की हमारी योजनाओं के आधार पर हम लोगों को पेंशन दे रहे हैं। पेंशन चाहे वह एक 60 साल की उम्र के बाद ओल्ड एज पेंशन हो या चाहे जो विधवाएं हैं, जिनको हम विडोज पेंशन देते हैं या हम डिसएबिल लोगों को पेंशन देते हैं लेकिन इसमें भी जो भारत सरकार देती है, उसमें राज्य सरकार का अपने राज्यों में अलग अलग योगदान होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि केन्द्र सरकार के उस पैसे में पूरे देश में, पूरे केन्द्र में एक गाइडलाइन हो कि असम के ओल्डएज में जो पैसा मिलता हो, वही एमाउंट चाहे नॉर्थ-ईस्ट हो या साउथ वैस्ट हो, यानी देश के किसी भी हिस्से में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर में रहने वाले किसी भी समाज के उस पेंशनभोगी को चाहे वह प्राइवेट सैक्टर का हो या चाहे भारत सरकार की उन योजनाओं में वह आच्छादित हो, जिनमें हम सामाजिक स्रक्षा के अन्तर्गत पेंशन देने की योजना बना रहे हों या चाहे वह दूसरे सैक्टर का हो। इस सैक्टर में सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उस नेशनल पेंशन सिस्टम में जो हमने वर्ष 2003 में इंट्रोड्यूस किया है, उसके बावजूद भी अगर आज यह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं कि शायद इस विधेयक के आने के बाद इस पर चर्चा करें, अगर इस पर सरकार विचार करेगी तो निश्चत तौर से पेंशनभोगियों के लिए एक भविष्य में नया अध्याय जुड़ेगा और हम फख से कह सकते हैं कि इस सदन से हमने देश के उन तमाम बुजुर्गों के

स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके सामाजिक सम्मान के लिए हमने उनको एक हक देने का काम किया है।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): माननीय सभापित जी, आपने एक अहम बिल जो माननीय निशिकांत दुबे जी द्वारा प्रस्तावित विधेयक है, उस पर बोलने की मुझे अनुमित प्रदान की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

16.04 hrs (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

देश में संगठित और असंगठित मजदूर हैं। संगठित मजदूरों को तो कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। सरकारी स्तर पर मैं समझता हूं कि जब वे काम करके सेवानिवृत्त होते हैं तो इनके जीवन-यापन के लिए पेंशन की उपलब्धता होती है। लेकिन हमारा देश जो किसानों और मजदूरों का देश है, आम तौर पर उनको सुरक्षा का गारंटी नहीं मिल पाती।

इस देश में गरीबों की संख्या बहुत है जो खेत खिलहान में काम करते हैं। करोड़ों की संख्या में मजदूर हैं, मकान बनाते हैं, जूता-चप्पल सीते हैं, घरों में काम करते हैं, रिक्शा-ठेला चलाते हैं, जिनके श्रम पर हमें गौरव भी होता है और देश का विकास भी होता है। मैं समझता हूं कि कुछ ही संख्या में सरकारी तौर पर संगठित मजदूर हैं, उनको लाभ मिल जाता है। लेकिन इतने सारे लोगों के लिए अभी तक कोई व्यवस्था या प्रावधान नहीं किया गया है। इनके लिए कोई ऐसा बिल नहीं है, कानून नहीं है जिससे वे सेवानिवृत्त होने के बाद जीवन यापन कर सकें। यह बिल बहुत अहम है। मैं चौथी बार लोकसभा में आया हूं, एक बार राज्य सभा में रह चुका हूं, इस तरह से पांचवीं बार आया हूं। मैं समझता हूं कि ऐसे विषयों पर चर्चा होती रही है। 2004 से 2009 तक मैं लोकसभा का मैम्बर था, उस समय भी इसी तरह से सदन में चर्चा हुई थी। उस समय यूपीए सरकार ने कुछ आश्वासन जरूर दिया था, कुछ बिल लाने की बात कही गई थी और मजदूरों के लिए योजना भी लाई थी। लेकिन अभी भी मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

महोदय, आप किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं। सबने देखा है कि खेत खिलहान में काम करने वाले मजदूर अपनी पूरी मेहनत से हमें खिलाते हैं। हमारे देश में 80 से 85 परसेंट लोग किसान हैं। किसान और मजदूरों के बल पर देश जीवित है लेकिन इनके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। आप उनके घरों में जाकर देखिए, एक समय तक वे काम कर लेते हैं, रोजी रोटी परिवार में चल जाती है लेकिन एक समय के बाद जब उनकी जवानी गिरती है, बुढ़ापा आता है उनकी स्थिति देखी नहीं जाती है। मैं यह बात बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं क्योंकि उनकी स्थिति बहुत दर्दनाक हो जाती है। वे गरीब परिवार से होते हैं, उनके बेटे भी उनका बोझ लेने को तैयार नहीं होते हैं और वे दर-दर की ठोकरें खाते हैं। अब ज्वाइंट फैमिली का कन्सेप्ट धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। जिन्होंने इस देश को इतना बड़ा श्रम दिया, अपनी मेहनत की कमाई से

देश की व्यवस्था बनाई, आजकल बेटा मां-बाप को निकाल बाहर कर देता है और वे भिखारी की तरह जिंदगी व्यतीत करते हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है यह उस देश के किसानों पर निर्भर करती है। अगर एक दिन मजदूर काम न करे तो पूरा देश ठप्प हो जाएगा। इनका ख्याल कीजिए। माननीय मंत्री जी इस पीड़ा का अहसास करते होंगे, वे इसी पीड़ा को देखकर यहां तक पहुंचे हैं। बेचारा मजदूर जो ठेला, रिक्शा, टैम्पो चलाता है, दिन, दोपहर, रात, सुबह मेहनत करता है और थक कर कहीं सड़क के किनारे, झोंपड़ी या खुले आकाश के नीचे सो जाता है। जब तक उसकी जवानी रहती है ठेला, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है। मजदूर बड़े आलीशान मकान बनाता है। इस देश की व्यवस्था यही है कि जो मकान बनाता है उसके अपने रहने के लिए घर नहीं है। जब वह बूढ़ा हो जाता है, जवानी चली जाती है, उसकी क्या दुर्दशा क्या होती है आपने देखा होगा। माननीय सदस्य जो सदन में आए हैं, बहुत संघर्ष के बाद सदन में आए हैं, उन्होंने गरीबी और फटेहाली को देखा होगा। मजदूर ठेला खींचता है, पसीना बहाता है लेकिन जब वह बुढ़ापे में आता है तब उसकी कोई पूछ नहीं होती है। इनके लिए न तो अस्पताल में कोई उपयुक्त व्यवस्था है, न रहने की उपयुक्त व्यवस्था है और न ही पहनने की उपयुक्त व्यवस्था है। वह दर-दर की ठोकरें खाता है।

क्या वैसे लोग जिनके मेहनत और पसीने पर हमारा देश विकास कर रहा है, उन फैक्टिरियों में काम करने वाले लोग के श्रम पर हमारा देश विकास कर रहा है। आज कांट्रैक्ट बेसिस पर मजदूरों की बहाली हो रही है। आजकल आउटसोर्सिंग हो रही है, यह एक नया फैशन हो रहा है। आउटसोर्स ठेकेदारों के माध्यम से आज मजदूर सरकारी महकमों और सरकारी उपक्रमों में लिये जा रहे हैं। हम लोग विभिन्न कमेटियों के माध्यम से जाते हैं, पूछते हैं कि क्या आपके यहां वेकेन्सी हैं, वे कहते हैं, हां हमारे यहां वेकेन्सी है, फिर आप कैसे काम चलाते हैं, वे कहते हैं कि आउटसोर्स से काम चलाते हैं। आज इसी दिल्ली शहर में मजदूरों का शोषण ठेकेदारों के द्वारा होता है। यूपी और बिहार के मजदूर यहां काम करते हैं। यह जो दिल्ली की रोशनी है, जो चमक है, बड़े-बड़े शहरों की जो चमक है, आप बिहार से आते हैं, अधिकांशतः यहां बिहारी मजदूरों का खून-पसीना लगा हुआ है। उनके दर्द को आपने देखा होगा, आप लम्बे अरसे से मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, आपको लम्बा अनुभव है। क्या उनकी जिंदगी है, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले वे कीन लोग हैं। हिंदुस्तान के इतिहास के 67 सालों के बाद अगर कोई व्यक्ति जो भारतीय है, उसको रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, उसके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। क्या इसी दिन के लिए हमने आजादी ली थी। हम सब लोगों को शर्म आती है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका, मजदूर तबका, किसान तबका, असंगठित तबके में काम करने वाले लोग, जिनका केवल शोषण और दोहन हो रहा है, उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। क्या

हमारी सरकार उनकी जिंदगी का कोई ख्याल नहीं रखेगी, जिनकी ताकत के बल पर हम सब लोग यहां हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है, सदन की जिम्मेदारी नहीं बनती है। क्या हमने उनके लिए कुछ सोचा, क्या कोई ऐसा कोई कानून बनाया, हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। जो घरेलू नौकर या दाई होती है, उनका शोषण हो रहा है, जो घरों में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या है। चाइल्ड लेबर को देख लीजिए, गरीबों के बच्चे काम करते हैं। पेट की मार बर्दाश्त नहीं होती, पीठ की मार बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन पेट की मार बर्दाश्त नहीं हो सकती है। इस पेट के लिए गरीब मां-बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, तािक दो वक्त की रोटी मिल सके।

आप उत्तर प्रदेश में चले जाइये, जहां से जगदिमबिका पाल जी आते हैं। हमारे बिहार में चले जाइये, वहां इन बच्चों की भरमार लगी होगी। छोटे कारखानों में काम करने वाले बच्चे, कालीन बनाने वाले मजदूर बच्चे, क्या उनकी कोई गारंटी नहीं है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। क्या उनके पढ़ने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जो देश का भविष्य हैं। देश के भविष्य के निर्माण में लगे गरीब बच्चों के लिए कानून तो बहुत हैं, लेकिन उन कानूनो का अनुपालन जमीन पर कहां हो रहा है। क्या हो रहा है, गरीबों के बच्चे आज भी काम पर जा रहे हैं। अगर किसी की नजर में आता है तो सरकार उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करती है और बच्चों को पुनः अपने घरों में वापस भेजती है। मगर वही बच्चे बेसहारा होकर फिर मजबूरी में इस कारखाने में नहीं तो दूसरे कारखाने में चले जाते हैं। हमने उनकी पीड़ा को नहीं देखा, नहीं समझा। अगर उनके पास दो वक्त की रोटी होती, पढ़ने का साधन होता, वे मजदूर के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं। अगर उनके पास रहने को घर होता तो शायद कोई मां-बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मजदूरी करे, दर-दर की ठोकरें खाये। जो उसके खेलने-खाने का समय था, उस समय वह मजदूरी कर रहा है, ईंटें ढो रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बिहार में ऐसा हो रहा है और देश में भी ऐसा हो रहा होगा। सरकारी महकमों में चाइल्ड लेबर मंत्री के सामने, मुख्य मंत्री के घर में काम कर रहा है। आंखें बंद हैं, क्या कानून है। हमारी क्या जिंम्मेदारी है। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें जनता ने चुनकर भेजा है तो निश्चित तौर पर करोड़ों लोग जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, टैम्पो वाले हैं। उनके लिए पीने का पानी नहीं है। महोदय, उत्तर भारत के लोग बड़े पैमाने पर संगठन को चलाते हैं। यही गरीब मज़दूर लोग, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, समय-समय पर प्रदर्शन करते रहते हैं। उनकी दुर्दशा, यह दो तरह की व्यवस्था है, फाइव स्टार होटलों में चले जाइए। पाव भर पेशाब बहाने के लिए तीन किलो पानी बहाया जाता है। उन बच्चों को, गरीब मज़दूरों को पीने के लिए पानी नहीं हैं। वाह रे!

आज़ाद हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान के हम लोग नागरिक हैं, सांसद हैं। क्या हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हम उसके भविष्य की गारंटी नहीं दे सकते हैं? उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं? उनके जीने

के लिए हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? इसलिए भी इस तरह के कानून जरूरी हैं। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार के माननीय प्रधान मंत्री जी ने गरीबी और फटहाली को देखा है। हम गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि गरीब का बेटा हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री बना है। एक पिछड़े परिवार का बेटा प्रधान मंत्री बना है। 66 साल के इतिहास में शायद पहली दफा एक गरीब चाय वाले का बेटा, जिसने दर्द को देखा है, जिसने परेशानी को देखा है, मुझे भरोसा है इस प्रधान मंत्री से और देश के उन गरीबों को जो फटहाली में हैं, गरीबी में हैं, ठेलेवाला है, रिक्शेवाला है, टैंपोवाला है, उन सब लोगों ने मैंडेट दिया है कि इस देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनें। मुझे गौरव है कि देश के करोड़ों लोगों के अरमानों को पूरा करने के लिए ही एनडीए की सरकार कमिटिड है। माननीय मंत्री जी, मुझे भरोसा है कि जब आपका उत्तर आएगा तो निश्चित तौर पर सकारात्मक उत्तर आएगा। इस कानून को बनाने के लिए आप सोचेंगे और करेंगे। वे लोग, जिन्होंने 66 साल की आजादी के बाद सही आजादी नहीं देखी, वह वृद्धा, वे असहाय लोगा, जिनको दद-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, वे मज़दूर किसान, जिनको यह लगे कि रिटायरमेंट के बाद भी मुझे भी सहारा मिल सकता है। सरकार फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को तो राशि देती है, पैसा देती है, पेंशन दे रही है। उसी तरह का कोई हैंडसम अमाउंट दे दे तो उसके बाल-बच्चे उसको अगर नहीं भी देखेंगे तो बाप अपने सहारे अपनी पत्नी और अपना गुजारा कर लेगा। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं उस गरीब की पीड़ा बता रहा हूँ, जिससे आप खुद ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : समय की सीमा भी है।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : सर, समय की सीमा तो है लेकिन यह निजी विधेयक है और करोड़ों लोगों की पीड़ा है। उनकी आवाज मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ। अगर आप उन लोगों को संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा?

महोदय, मैं जल्द ही अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने उस गरीब की आवाज आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाई है। सरकार के माननीय मंत्री भी उसी गरीबी और फटहाली से निकल कर यहां आए हैं। संघर्ष कर के आए हैं। वर्तमान सरकार पर मुझे भरोसा है। पूर्वर्ती सरकार ने तो केवल भाषण दिया। काम कुछ नहीं किया। 66 साल की आजादी के बाद अधिकाश तौर पर कांग्रेस पार्टी का शासन था, अगर थोड़ा भी ध्यान देने का काम किया होता तो हिंदुस्तान के मज़दूर की स्थिति दयनीय नहीं होती। परंतु मुझे भरोसा

नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो वर्तमान सरकार चल रही है, वह कुछ ठोस करेगी, ताकि किसान, मज़दूर, ठेलेवाला, रिक्शावाला, टैंपोवाला, घर में काम करने वाली दाई, छोटे-छोटे बच्चे, उनको जाना नहीं पड़ेगा। शोषण नहीं होगा। बहादुरी के साथ, सम्मान के साथ उनका इलाज होगा। उनके लिए घर होगा, उनके लिए कपड़ा होगा, उनके लिए राशि होगी, यह मुझे विश्वास है। इसी भरोसे के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और पुनः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि आप निश्चित रूप से कोई कार्रवाई कीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन गारंटी विधेयक, 2014 जो हमारे बहुत ही सिक्रिय सांसद श्री निशिकान्त दुबे जी द्वारा पेश किया गया है पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अहम विधेयक श्री निशिकान्त दुबे जी के द्वारा पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि हम सब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आज सारे देश में जो हमारे बुजुर्ग हैं या जिन लोगों ने इस देश में काम किया और उसके बाद अपने बुढ़ापे में उनके पास सहायता के लिए कोई पैसा नहीं रहता है, उनके लिए पेंशन एक गारंटी के रूप में, उनकी सोशल सिक्योरिटी के रूप में सरकार इस विधेयक के माध्यम से उनकी सिक्योरिटी तय करे, मैं समझता हूं कि ऐसी इस विधेयक की मंशा है।

देश में सभी पेंशन भोगियों, जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्होंने असंगठित और निजी क्षेत्र में कार्य किया है, को प्रत्याभूत न्यूनतम पेंशन का संदाय करने और उसमें उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए यह विधेयक है। मैं यह मानता हूँ और हम सब लोग, जो यहाँ जनता के प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर आए हैं कि आज इस बात की बहुत जरूरत है कि जो लोग 60 वर्ष की आयु से ऊपर हो जाते हैं, जिनके शरीर में शिथिलता आ जाती है और जिन्होंने लगातार इतने वर्षों तक समाज की सेवा की है, उनको अवश्य ही सोशल सिक्योरिटी उनके बुढ़ापे में मिलनी चाहिए। परन्तु आज हो उलटा रहा है, आज समस्या इस बात की है कि जिन लोगों पर बुढ़ापा आ जाता है, खासकर जो आजकल का नौजवान है, मां-बाप को जब बुढ़ापे में उनकी जरूरत होती है, तो वे उनसे दूर हट जाते हैं। माँ-बाप किस तरह से अपने बच्चों को पालते हैं, गरीब माँ-बाप अपने बच्चों को किस तरह से पालते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उनको उनकी सहायता नहीं मिल पाती है। पहले संयुक्त परिवार का प्रचलन था और संयुक्त परिवार में सुख-दुख में सब एक साथ रहते थे। आज समाज में उसकी कमी आ गयी है। इसिलए भी मैं समझता हूं कि अगर सरकार इस प्रकार की कोशिश करे कि 60 वर्ष की आयु के सभी लोगों को ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक मिनट रूक जाइये और उसके बाद बोलिएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि इस विधेयक पर पहले ही तीन घंटे का समय ले लिया गया है। इस प्रकार इस विधेयक पर चर्चा के लिए आबंटित समय लगभग समाप्त हो गया है। चूंकि विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए अभी पांच और सदस्य हैं। सभा को विधेयक पर आगे भी चर्चा के लिए समय बढ़ाना होगा। यदि सभा सहमत हो तो विधेयक पर चर्चा के लिए एक घंटा बढ़ाया जाय।

अनेक माननीय सदस्य : महोदय, ठीक है।

माननीय सभापति : धन्यवाद, एक घंटा बढाया जाता है।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : महोदय, मैं यह कह रहा था कि पहले हमारे संयुक्त परिवार में जो सोशल सिक्योरिटी होती थी और खासकर बुढ़ापे में या दुःख-सूख में परिवार के हर सदस्य का दुःख-सूख देखा जाता था, वह आज समाप्त हो गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे ताकि वे बुढ़ापे में या खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को, सारे देश में जो भी हमारे 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, उनके लिए अगर पेंशन का प्रावधान होगा तो वह ज्यादा बेहतर होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि निशिकान्त जी के द्वारा यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन बोर्ड के गठन के बारे में कहा है, यह बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसा कोई बोर्ड गठित हो जाता है तो उसमें ये सारे प्रावधान उस बोर्ड के माध्यम से किये जा सकते हैं। इसमें सभी लोगों को, जो पात्र हैं, जिनको इस तरह की सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इस बोर्ड के माध्यम से सरोकार किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र या निजी क्षेत्र के नियोजन से सेवानिवृत्त हुए हैं और 60 वर्ष की आय् प्राप्त कर ली है, इस अधिनियम के अधीन न्यूनतम पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी इसके तहत लाया जाना चाहिए। ऐसे पेंशनभोगी जिनको पांच हजार रुपये से कम मासिक प्राप्त हो रहे हैं, उनको इस बोर्ड के माध्यम से उस अंतर की राशि का संदाय किया जाना उचित होगा। हमारे देश में जिस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से ज्यादा है, वह भी चाहता है कि मेरे जो नाती-पोते हैं, उनके साथ प्यार-मोहब्बत बनी रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि बुढ़ापे में जिस व्यक्ति के पास जेब में चार पैसे नहीं हैं, उसके बच्चे, जिनको मां-बाप ने पाला है, उनको बुढ़ापे में छोड़ देते हैं और अलग रहना पसंद करते हैं। अपने मां-बाप को बुढ़ापे में सहायता नहीं देते हैं। आज उनकी जो दयनीय और निराशाजनक स्थिति है, उनको इससे लाभ मिल सकता है। हमारे मंत्री जी यहां बैठे हैं, जो कि इस बारे में बहुत ही संवेदनशील हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को, जिसको निशिकांत दूबे जी लाए हैं, उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी नयी सरकार ग़रीब और दलितों के लिए और खास कर के मज़दूरों और वंचितों के लिए काम करेगी। निशिकांत दुबे जी द्वारा लाए गए इस विधेयक को यह सदन पारित करेगा और आने वाले दिन में हमारे बुजुर्ग और बुढ़े लोग हैं, जिनको पेंशन की ज़रूरत है, वह आने वाले दिनों में इसका लाभ उठाएंगे। इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हं।

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Mr. Chairman, Sir, I would thank you for affording me an opportunity to participate in the consideration of the important National Minimum Pension (Guarantee) Bill, 2014. I extend my thanks to Shri Nishikant Dubey for his foresightedness for bringing forward this important Bill before this august House.

We know that in our country the 90 per cent sector is unorganized and only the 10 per cent sector is organized sector where the pension scheme is available. Most of the developing countries have introduced the pension system through "pay-as-you-go" pension plans which are usually not funded. But with the passage of time, a lot of adverse trends have been noticed worldwide in the functioning of pension system. In India too, the developments indicate that the employment systems are becoming informal and the organized sector is shrinking. The number of employees are being gradually reduced. The unorganized sectors having smaller establishment and the neglected pensionable population are deprived of pension protection. Hence, an urgent need of introducing pension reforms in India. The potential in our country is so huge. As I have already stated, only 11 per cent of the working population has been covered under one pension scheme or the other. According to 1991 census, the Indian labour force comprised 314 million workers of which 15.2 per cent were regular salaried employees, 53 per cent were selfemployed and 31.8 per cent were casual/contract labour. Sir, 53 per cent were selfemployed; and 31.8 per cent were casual/contract labour. In absolute numbers, as per the same Census, 11.13 million constituted 23 per cent of the total salaried employees and they were employed in Government jobs. Besides this group, there is a segment of employees in the organised, public and private sectors, who are covered by the Employees Pension Scheme, 1995. This leaves a large labour force in the unorganised sector, and a part of the employees in the organised, public and private sectors, outside the scope of any statutory/mandated pension scheme.

I would like to submit that as of now in our country, 70 per cent population are residing in the rural area. In the rural areas, there is no industrialisation and the entire population is working in the unorganised sector and they don't have the benefit of any pension scheme.

As far as urban population is concerned, we see that there are a large number of poor who are doing various works but they don't enjoy the benefit of pension scheme. Now, pension is compared so far as insurance scheme is concerned but it is not helping a lot. Hence, reforms in the sector are required. In our country, pension is compared with the short term investments of banks and other financial institutions by those who have retired with sufficient funds to invest. So far, in our country the interest rates moved upward for the past so many decades. People therefore expected an era of ever increasing interest rates and preferred short term investments. Only recently, interest rates have experienced a downward trend.

The Report of the Malhotra Committee on Reforms in Insurance Sector, submitted in January, 1994 to the Government of India, has also given the reasons for inadequate development of pension provision in our country. My submission is that the Report of the Malhotra Committee is to be taken into consideration and this important Bill is also required to be looked into.

So far as the proposed pension model in India is concerned, the recent initiative of the Government of India appears to indicate that we may follow the World Bank model for pension reforms in India.

As is well known, most individuals are outside the pension scope in India. Unorganised sector workers have no structured social security system. The Insurance Regulatory and Development Authority has submitted a Report on 31st October, 2001 to the Government of India making some timely recommendations for the pension reforms in the unorganised sector. After a prolonged debate on the above mentioned OASIS Report, a lot of thought have emerged on the pension sector reforms.

The desired progress in India could not be achieved in the matter of retirement schemes despite the fact that tax benefits are available for the premiums/contributions paid. Reforms in the pension area are therefore the need of the hour. In a country where approximately 11 per cent of the working population has so far been covered under different pension schemes and where population growth from 1991 to 2016 is estimated to be at 49 per cent, a socioeconomic transformation is absolutely needed. It is also expected that the aged population growth during the period may be 107 per cent. The existing system is under a serious pressure for reform measures. Reforms of the existing formal schemes are also necessary and inevitable due to the rising costs, their poor performance, etc.

At present, in India, the vast majority of the population does not enjoy the benefit of the old age pension. As far as the Government employees are concerned, their pensions are charged on the Consolidated Fund of India.

In view of the above, I fully support the present Bill and I request that this Bill may be passed by this august House. Thank you very much for affording me an opportunity to speak.

खाँ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली): महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। श्री निशिकान्त दुबे जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। मैं तो इसे मात्र एक विधेयक ही नहीं, इसे एक पवित्र विधेयक की संज्ञा दूंगा, क्योंकि यह ऐसे लोगों की कठिनाइयों के लिए है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है।

महोदय, हम जब इन्टरमीडिएट में पढ़ते थे तो नागरिक शास्त्र में बताया जाता था कि सरकार क्या है, सरकार की अवधारणा क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मतलब ही सरकार होता है। वास्तव में कल्याणकारी राज्य का सही प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करने वाला यह विधेयक है। मैं इस नाते इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं आपको एक दृश्य बताना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश में जब पंचायत मंत्री था, मैंने अनेक जगह देखा कि पेंशन होल्डर्स की क्या किठनाइयां हैं तो मैंने उनका एक सम्मेलन बुलाया। उसमें ऐसे परेशान तरीके के लोग आये कि उनके दृश्य को देखकर हम सबकी आंखों में आंसू आ गये। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज जो समाज की स्थिति है, मैं किसी की निन्दा या आलोचना के भाव से नहीं कह रहा हूं। समाज में बहुत से ऐसे तबके हैं, जिनके घरों में अगर पेंशन मिलती है, कोई विधवा, विकलांग या वृद्धा पेंशन हो, इन पेंशनों का भी तो आज ऐसा दुर्भाग्य है कि पूरी की पूरी राशि समय से पहुंचती ही नहीं है। उसमें भी नीचे इतने प्रकार का रैकेट है कि कभी-कभी यह दुखद बात है कि 6 महीने व्यक्ति मृतक हो जाता है, फिर 6 महीने जिन्दा हो जाता है। आपको लगेगा कि यह मैं क्या बोल रहा हूं? 6 महीने मृतक का मतलब है कि 6 महीने पेंशन रोककर के दूसरे को जिन्दा करके पेंशन जारी की जाती है। अर 6 महीने उसको जारी की जाती है। यह एक खराब परिदृश्य है।

दूसरा जो परिदृश्य आता है, मैंने ऐसा सामाजिक जीवन में अनेक बार देखा कि अगर किसी के घर में थोड़ी सी कोई पेंशन आती है, शाम को उसकी बहू उसे रोटी जरूर दे देती है क्योंकि उसके मन पर यह असर रहता है कि इस रोटी में उसकी पेंशन का योगदान है। मैंने कई जगह देखा है कि जिसकी साठ-सत्तर की उम्र हो गयी, जिसकी आय का कोई स्रोत नहीं है, तो अनेक दिन-रात उसकी भूखे पेट रहने और सोने की जिंदगी हो जाती है। इस नाते यह असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसको इस सदन से पारित करने की अपील करते हुए एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा।

मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। मैं हिंदी का विद्यार्था हूं। मैं नया सदस्य हूं, हो सकता है मेरी बात किसी को अन्यथा लगे तो उसे क्षमा करेंगे। हमारे यहां पुनरूक्त दोष साहित्य में कहा जाता है। एक ही बात को बार-बार दोहराना पुनरूक्त दोष काव्य शास्त्र में कहा जाता है। मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा हूं। आज क्या हो रहा है? तमाम कंपनियों को कहीं न कहीं यह व्यवस्था दी गयी कि वे अपनी आय का दो-तीन

परसेंट विकास मद में लगायें। इसी तरह से ये तमाम फाइव स्टार होटल्स में जितने की झूठन फेंक दी जाती है, जितने का अवशिष्ट खाना फेंक दिया जाता है, उस अपव्यय को रोक दिया जाए।

मेरा दूसरा सुझाव है कि उन पर भी यह दो परसेंट लगा दिया जाए कि इस तरह के असंगठित लोगों के लिए भी आपको सोचना है। इसके साथ ही केंद्र से प्रायोजित बहुत सी ऐसी योजनायें विभिन्न स्तरों की हैं, जिनमें बहुत फिजूलखर्ची होती है, उसको रोक दिया जाए, तो इसके लिए फंड कहीं न कहीं सृजित किया जा सकता है। इस नाते इस विधेयक का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।

हम सबका सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वह गरीबी, वह परेशानी खुद देखी है और जीवन भर उन क्षेत्रों में काम किया है, जहां इस तरह के परिदृश्य होते हैं। हम सबका दूसरा सौभाग्य है कि माननीय श्रम मंत्री जी जो इन चीजों का संज्ञान ले रहे हैं, वह स्वयं एक जमीनी नेता हैं और इन सारी किठनाइयों को उन्होंने जीवन भर झेला है। इस नाते जो यह विधेयक श्री निशीकांत दुबे जी लाए हैं, इस पर गंभीरता से मनन हो। इसे औपचारिक रूप से लेकर कि यह प्राइवेट मेंबर बिल है, इसे बहस कर दिया और इस विषय को दूसरी दिशा में ले जाने की जगह इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसे कानून की शक्ल देने की जरूरत है। मैं कहूंगा कि इस देश में आधुनिक भारत के सबसे बड़े विचारकों में से एक पंडित दीन दयाल उपाध्याय रहे हैं, जिनका मूल दर्शन ही यही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरी बातों पर ध्यान दें। जिनका मूल दर्शन ही रहा है - दिरद्र नारायण की सेवा। आज असंगठित लोगों को पेंशन के माध्यम से रोटी का सहारा देना दिरद्र नारायण की सच्ची सेवा है और दीन दयाल उपाध्याय जी को सच्ची श्रद्धांजिल भी होगी। इस नाते मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सदन यह पेंशन योजना 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय दिरद्र नारायण सेवा पेंशन योजना' के नाम से पास करे तािक इसके माध्यम से समाज के असंगठित लोगों की बेहतर सेवा हो और सही कल्याणकारी राज्य की स्थापना माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के राज्य में स्थापित हो। मैं यह बात कहते हुए, पुनः दुबे जी के इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति महोदय, आज हमारे माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी ने राष्ट्रीय न्युनतम पेंशन, विधेयक लाया है, समझिए कि पारदर्शिता समझ में आ रही है। जिस तरह की स्थिति समाज में पनप रही है, जिस तरह से गरीब जीने पर बाध्य हैं, अगर उनको पेंशन के माध्यम से कोई स्थान मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग गांवों में जाते हैं। वृद्धों की परिस्थिति यह है कि उनके बाल-बच्चे बड़े हो गए हैं। वे बाहर कमाने लगे हैं तो उनको कोई पूछता नहीं है। बुढ़ापे में उन्हें खाना देने के लिए उनके घर के लोग तैयार नहीं होते हैं। वे जब अपनी स्थिति बताते हैं तो लगता है कि उनमें बहुत दर्द भरा हुआ है। इस चीज को हम लोग समझते हैं। पेंशन में समरूपता न रहने के कारण, आज बिहार में उनको 200 रूपए पेंशन मिलती है। कहीं उनको 500 रूपए मिलती है और मध्यप्रदेश में शायद उनको 1000 रुपए मिलती है। हम लोग आशा किए हुए थे कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, वह गरीबों का दुःख दूर करेंगे। उन्होंने गरीबों को बहुत नजदीक से देखा है तो उनकी पेंशन बढ़ायी जाएगी। हम उन्हें तसल्ली भी देते थे। आज जो परिस्थितयां हैं, जिस तरह से गरीब जी रहे हैं, आजादी के बाद इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अनाज का जो वितरण होता है, वह गरीबों को नहीं मिल पाता है। उसे अच्छे-अच्छे लोग ले लेते हैं। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने गरीबों की परिस्थिति को देखा है कि वे समाज में कैसे जी रहे हैं? उनका जीवन-यापन कैसा है? वे दवा के लिए तरस रहे हैं। उनकी सेवा के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी तो उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कमजोर लोग, किसान जो खेती करते हैं, मजदूर जो मजदूरी करते हैं या मकान और बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत-सारे काम उन लोगों के माध्यम से हुए हैं लेकिन बुढ़ापे में उनको देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि बूढ़ों की जो स्थिति है, इन्हें देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि कैसे इनके लिए कुछ व्यवस्था करा दें। ये पेंशन के लिए फार्म्स भरते हैं तो ये अधिकारी फॉर्म्स कहीं गायब कर देते हैं। हम लोग कई बार साइन कर के उनके फार्म्स को देते हैं। लेकिन वे उनको सुचारू रूप से नहीं चलाते हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जो स्थिति है, उसे देख कर हम लोगों को बहुत पीड़ा होती है। ऐसा लगता है कि उन्हें जीलाने के लिए हम लोगों को कैसे और क्या-क्या करने होंगे? कभी-कभी तो ऐसा महसूस होता है कि सरकार द्वारा इन्हें पौधा लगाने का जो काम दिया गया है, उसका भी इन्हें पेमेंट नहीं किया है। इन गरीब लोगों का पैसा मारने वाले भी बहुत लोग हैं। मैं बिहार से चुन कर आई हूं। बिहार की स्थिति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हर जगह ऐसी स्थिति है। आजादी के बाद भी इन पर ध्यान नहीं दिया गया है। वोट के समय लल्लू-पच्चू करके इनसे वोट ले लेते हैं।

उसके बाद कोई उन्हें पूछने के लिए तैयार नहीं होता। पैंशन के समय अधिकारी उनका हक, हिस्सा काट लेते हैं। उनकी पैंशन में समरूपता होनी चाहिए, गरीब लोगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर उन्हें पैसा मिलता है तो उनके परिवार के लोग भी आदर से दो रोटी खिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस परिस्थिति को हम अपनी आंखों से देखकर आए हैं, उसे बदलने के लिए हमारे माननीय सदस्य बिल लाए हैं। यह बहुत अच्छी चीज है। हम इसके लिए बहुत सोचते हैं, हमारी रातों की नीद उजड़ जाती है। ऐसा कहा गया है - जिसके पैर न फटी बिवाई वह क्या जाने पीड़ पराई। मैं गरीब लोगों की जो स्थिति देखती हुं, ऐसा महसूस होता है कि उन्हें कैसे खिलाया जाए, कैसे उन्हें दवा मिले, अस्पताल में सेवा कैसे मिले। अस्पतालों में भी बैड नहीं मिलता। हम उनके इलाज के लिए चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन उन्हें डेट पर डेट मिलती रहती है। यहां हैल्थ मिनिस्टर बैठे हुए हैं। हम कहना चाहेंगे कि अस्पतालों में बैड्स में वृद्धि करना सबसे ज्यादा जरूरी है। गरीब व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर आता है, लेकिन उसे अस्पताल में जगह नहीं मिलती। बुढा व्यक्ति सबसे ज्यादा कमजोर और बीमार हो जाता है। इस परिस्थिति को सुधारने के लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे। हमारी जो सरकार बनी है, वह गरीब लोगों के लिए ज्यादा चिंतित है। इस आशा और उम्मीद से हम चाहते हैं कि उन लोगों को कम से कम एक हजार रुपये महीना पैंशन मिले जिससे वे अपना जीवन अच्छी तरह चला सकें। उन्हें यह नहीं लगेगा कि हम बूढ़े हो गए हैं। उनके बाल-बच्चे भी उनकी सेवा करेंगे। आजकल जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो वे केवल अपने बच्चों के भरण-पोषण में लग जाते हैं, बूढ़े व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। जब हम गांव जाते हैं तो देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत करके बच्चों को बढ़ा किया है, आज उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। उन्हें इस परिस्थिति से उबारने के लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे।

माननीय सदस्य जो बिल लाए हैं, ऐसा लगता है कि यह बहुत जरूरी था। उसे पूरा करने के लिए हम खड़े होकर आज आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्हें इस परिस्थिति से उबारना हमारा धर्म है। हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं तो आवाज उठाना भी हमारा कर्म बनता है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापति महोदय, मेरे सहयोगी और मित्र निशिकांत दूबे जी नेशनल मिनिमम पैंशन गारंटी बिल लेकर आए हैं। पिछले सप्ताह भी इस सदन में उस पर चर्चा हुई और बड़ी गंभीरता के साथ माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार दिए। हर वक्ता ने उसकी सराहना भी की। उसके पीछे छिपी भावना ऐसी है जिससे देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिल सकता है। जो पिछले 67 वर्षों में नहीं हो पाया, आने वाले समय में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों के लिए एक अच्छी सोच, भावना के साथ वे इसे लाए हैं। सबसे पहले में अपनी ओर से उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कम से कम इस देश के बुजुर्ग और गरीब लोगों के बारे में किसी ने सोचा। प्रसन्नता इस बात की है कि जिस डिपार्टमैंट के माध्यम से यह होना है, उस डिपार्टमैंट के आदरणीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी यहां मौजूद हैं। वे स्वयं जमीनी स्तर से आते हैं। एक बड़े नेता हैं और गरीब लोगों की समस्याओं को जानते हैं। उन्हीं के माध्यम से हम अपनी आवाज देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जिन्हें करोड़ों लोगों ने चुनकर एक मजबूत सरकार देकर 16वीं लोक सभा में दुनियाभर में संदेश देने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि यहां जितने भी विचार दिए जाएंगे, माननीय मंत्री जी के माध्यम से प्रधान मंत्री जी तक पहुंचेंगे और इस विषय पर कोई न कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा। आखिर नेशनल मिनिमम पैंशन गारंटी बिल क्यों लाया गया। पिछले 67 वर्षों में देश में जितनी भी नीतियां बनती रहीं, वे कभी धर्म, कभी जाति, गरीब, पिछड़े के नाम पर बनती रहीं।

लेकिन इस पैंशन बिल में जो एक महत्वपूर्ण बात कही गयी, वह यह है कि आप किसी जाति, धर्म से हो, अमीर हों या गरीब हो, अगर आप 60 वर्ष से ज्यादा होंगे, तो 5 हजार रूपये प्रति महीने आपको पैंशन मिलेगी। यह इस बिल की सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए मैंने कहा कि धर्म, जाति आदि सबसे ऊपर ऊठकर सोचा गया है। यहां पर यूनीवर्सल पैंशन स्कीम की बात की गयी। आखिर भारत में यह लागू क्यों हो? पिछले 67 वर्षों में कांग्रेस के कारण हिन्दुस्तान में जो कुछ घटा है, उससे आज समाज में बहुत बड़ा गैप आ गया है। अमीर अमीर होता चला गया और गरीब गरीब होता चला गया। एक बड़ी खाई पैदा हो गयी। आज अगर आप दिल्ली के किसी पॉश इलाके में जाकर देखिये तो एक-एक घर के बाहर चार-चार सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हैं। अमीर व्यक्ति की रक्षा करने के लिए चार सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए पैंशन सिक्योरटी बिल लाने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। इसे हमारे सहयोगी निशिकांत दूबे जी ने सोचा, इसलिए मैं उनका भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कम से कम अपने आपको बारे में सोचा।, उनकी पैंशन के बारे में सोचा। यह एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कम से कम अपने आपको

एक हजार रुपये तक न रोक कर पांच हजार रुपये तक सोचा, ताकि गरीब आदमी खुद भी दो वक्त की रोटी खा सके और अपने परिवार को भी दो वक्त की रोटी खिला सके।

सभापित जी, पिछले कई वर्षों से रोटी, कपड़ा और मकान का डायलॉग फिल्मों में तो आता था, लेकिन पार्लियामैंट में भी यही चल रहा है। मैं खुद लोक सभा का तीसरी बार सदस्य बना हूं। अब इस पर कितनी बार चर्चा होगी? कभी रोटी, कपड़ा और मकान की बात खत्म होगी? क्या हम आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने तक ही सीमित रहेंगे? अगर गांव में जायें, तो आज भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात की जाती है।

सभापति जी, आप तो कई वर्षों से यहां संसद में हैं। इन विषयों को लेकर, आज भी आपने जिस तरह से किसानों की बात कही, उस समय एक दर्द आपकी बात में नजर आ रहा था। क्या हम इन बातों पर केवल यहां चर्चा ही करेंगे या कोई निर्णय भी लेंगे? आज गरीब बीमार होता है, तो उसका घर, जमीन आदि सब कुछ बिक जाता है। गरीब आदमी कहता है कि मुझे मौत मिल जाये, लेकिन वह बीमार न हो। अब दिक्कत क्या है? वह किसी अस्पताल में जायेगा तो उस बेचारे के इलाज का खर्चा ही लाखों रुपये आता है, तो उसका सब कुछ गिरवी हो जाता है। अगर वह अच्छे परिवार से भी होगा, तो बीपीएल फैमिली में उसका नाम आ जाता है। वह गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाता है। इस देश में 80 प्रतिशत बीमारियां पानी से हैं। देश में पानी की समस्या है और हम आज तक पानी की व्यवस्था नहीं कर पाये। हम देश में पानी की व्यवस्था नहीं कर पाये तो और क्या कर पायेंगे? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में हैं। हम उनके लिए दो वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाये। लेकिन प्लानिंग कमीशन बैठकर यह कर देता है कि 27 रुपये होगा या 32 रुपये होगा। हम कहां पर जी रहे हैं? आखिर हम इतनी बार चुनकर आते हैं, तो क्या हम इसका कोई रास्ता नहीं निकाल सकते? अगर जर्मनी वर्ष 1889 में सोशल सिक्योरिटी ला सकता है, यूएसए वर्ष 1776 में ला सकता है, तो भारत आज वर्ष 2014 में क्यों नहीं कर सकता? क्या सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हमें नहीं देनी चाहिए? क्या हिन्दुस्तान की युवा पीढ़ी आज विदेशों में इसलिए नहीं जाती, क्योंकि उनको अपना भविष्य वहां पर सुरक्षित लगता है? वहां पर उनको अपार संभावनाएं लगती हैं, जहां पर उनका भविष्य सुरक्षित भी होगा और उनको एक अच्छा भविष्य भी मिल पायेगा। क्या कहीं न कहीं हम में कमी नहीं रह गयी, हमारे कानून बनाने वालों में वह कमी नहीं रह गयी? आज अगर हम यह सोचें और संविधान का अनुच्छेद 14 यह कहता है कि इक्वैलिटी टू ऑल, यानी सबके लिए एक तरह का दिया जाये, लेकिन सबके लिए एक तरह का कहां से सब कुछ मिल पा रहा है? गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, अच्छे कपड़े नहीं मिल पा रहे, अच्छे खाने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही, अच्छा भविष्य नहीं मिल पा रहा, तो हम सब यहां 545 लोग इकट्ठे होकर उसे क्या दे पा रहे हैं, यह प्रश्न चिह्न तो हम

सबके ऊपर भी उठता है। आखिर 16 बार लोक सभा में जब-जब यह चर्चा हुई होगी, तो नैशनल मिनिमम पैंशन बिल पहले क्यों नहीं लाया गया, इस तरह का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? आखिर इसके लिए कितना पैसा चाहिए—मात्र 50 हजार करोड़ रुपये। इसके लिए मात्र 50 हजार करोड़ रुपया चाहिए। वर्ष 2030 तक लगभग 20 करोड़ से लोग 60 वर्ष से अधिक की उम्र के होंगे। उनको सिर्फ पाँच हजार रुपए महीना देना है। मनरेगा के लिए 30 हजार करोड़ रुपए दे सकते हैं, नेशनल हाइवे के लिए पैसा दे सकते हैं, 18 लाख करोड़ रुपए का बजट पास कर सकते हैं, तो 50 हजार करोड़ रुपये हम नेशनल मिनिमम पेंशन स्कीम के लिए भी दे सकते हैं। इसके लिए सिर्फ इच्छाशक्ति चाहिए। उस गरीब का दर्द देखने वाला चाहिए, उसके दर्द को महसूस करने वाला चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी जब केबिनेट मीटिंग में इसकी चर्चा करेंगे, तो हमारे सहयोगियों की बात रखकर कह पाएंगे कि हाँ, इस देश के लोगों को सिक्यूरिटी हम देंगे, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का हर गरीब आदमी, आम आदमी यह सोचता है कि अब उसका भविष्य सुरक्षित है, लेकिन यह सुरक्षित तब है, जब नेशनल मिनिमम पेंशन स्कीम आएगी। हर वर्ष 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को पाँच हजार रुपए मिलेगा, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ भी मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। यदि इन गरीबों को बीपीएल फैमिली में जाने से पहले बचाना है, तो पाँच हजार रुपए महीना देगें, तो दो-ढाई सौ रुपए कट जाएगा और उसकी एक इंश्योरेंस हो जाएगी, तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हर व्यक्ति की इस देश में इंश्योरेंस हुई होगी। वह बीमार पड़ेगा, तो उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। लाखों लोग सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, लोखों लोग बगैर इलाज के मर जाते हैं, लाखों लोग अस्पताल पहुंचने से पहले खत्म हो जाते हैं, लाखों लोगों को बेड नहीं मिल पाता है। पीजीआई एम्स में लाखों लोग कॉरिडोर में स्ट्रेचर पर पड़े-पड़े खत्म हो जाते हैं। जब यह योजना शुरू हो जाएगी, तो वह खुशी-खुशी ढाई सौ रुपए कटवाएगा, अपना इंश्योरेंस करवाएगा, तो उसका जीवन भी सुरक्षित होगा। यह बात आज एक नौजवान कह रहा है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी हूँ। मैं आज युवाओं की बजाय इस सदन से अपने बुजुर्गों के लिए कुछ मांगने आया हूँ। इस नेशनल मिनिमम पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए। इस बिल को केवल यहाँ पर चर्चा करके खत्म न किया जाए। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी से कहना चाहता हूँ कि इस दर्द को जानिए। आप भी मध्य प्रदेश के हैं। आपकी वहाँ की सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किये हैं। श्री शिवराज जी ने वहाँ के किसानों के लिए कमाल का काम किया है। आज चाहें तो आप भी एक छाप यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। देश के 20 करोड़ लोगों को एक सुरक्षित भविष्य आप दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप और सरकार इस कार्य को निश्चत तौर पर करें तािक देश के लोगों को इसका लाभ मिले।

आपका बहुत-बहुत आभार। अपनी बात समाप्त करने से श्री निशिकांत दुबे जी को भी एक बार बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि वे इस बिल को लेकर आए।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (वाँका) : माननीय सभापित महोदय, माननीय श्री निशिकांत दुबे ने असंगठित मजदूरों से संबंधित विधेयक पर जो चर्चा आरंभ करायी है उस पर पूरे सदन में चर्चा हो रही है। श्रम की प्रतिष्ठा करना ही देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। हम मजदूरी करते हैं, तो हमारी भी प्रतिष्ठा है, हमारी इज्जत है। हम रोजगार करते हैं, तो हमारी इज्जत है। श्रम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हम खेत में काम करते हैं, हम खिलहान में काम करते हैं, हम रिक्सा चलाते हैं, हम ईंट-भट्ठा पर काम करते हैं, हम पसीना बहाने का काम करते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मशीन से ज्यादा काम इंसान करता है। मशीन तो दबता है, लेकिन इंसान हमेशा काम करता रहता है, इंसान श्रम और पसीना बहाने का काम करता रहता है। बीड़ी मजदूर का पसीना बहता है। आज चाहे खान मजदूर हों, खनिज निकालने वाले मजदूर हों, पहाड़ों और पत्थरों को हाथ से तोड़ने का काम मजदूर करते हैं। उनके हाथों में घाव हो जाता है, उनके हाथों से लहू बहते हैं और हम बैठकर उसे देखते रहते हैं। आज फावड़ा चलाने वाले, कुदाल चलाने वाले मजदूर हैं तथा इस देश में करोड़ों असंगठित मजदूर हैं। ये हमारे बिहार राज्य में भी हैं और दूसरे राज्यों में भी हैं। गरीब-गुरबा लोग हर जगह हैं। हमारी एक मानसिकता बन गयी है, उस मानसिकता से हमें ऊपर उठना पड़ेगा।

17.<u>00 hrs</u>

श्रम की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। इसके साथ ही उनकी भूख को कैसे दूर करेंगे? जब उनकी उम्र बीत जाती है, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं रहती है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। जब उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, तो वे हाथ पसारे चलते हैं।

<u>17.01 hrs</u> (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

वे जब बीमार पड़ते हैं, उन्हें दवा नहीं मिलती है। जब उनकी असमय मौत होती है, तो उनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा नहीं हो पाती है, उन्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं। असंगठित मजदूर की आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं। हजारों सालों से आंसू बह रहे हैं, आजादी के इतने वर्षों बाद भी आंसू बह रहे हैं। जो इंसान बैशाखी के भरोसे चल रहा हे, गरीब-गुरबा है, असंगठित मजदूर है, उनके आंसुओं को पोछना और उन्हें मुख्यधारा में जोड़ना हमारा फर्ज है, इसीलिए पेंशन योजना के तहत हमें उनको पेंशन देनी है। गरीब-गुरबा आज भी तालाब और नदी का पानी पीते हैं। इसलिए हाथ के काम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यहां पेट से इंसान भूखा रहता है, दिमाग से उसे गुलाम बनाया जाता है। इस दिमाग की गुलामी को हमें देखना पड़ेगा और जो इंसान पेट से भूखा है, उसे हमें विशेष अवसर देना पड़ेगा, यह बात डा.राम मनोहर लोहिया कहा करते थे। बहते हुए आंसुओं को रोकना होगा, दिमाग की गुलामी को खत्म करना होगा और हाथ एवं

श्रम की प्रतिष्ठा हमें करनी होगी। इसलिए असंगठित मजदूर के पेट की भूख को खत्म करने के लिए यह कदम जरूरी है। जब असंगठित मजदूर अपनी उम्र में जाते हैं, कभी-कभी यह भी होता है कि उनके पास कफन के पैसे भी नहीं होते हैं। यही मेरे भारत का चित्र है, यही गरीबी है, यही दिरद्रता है, यही असंगठित मजदूरों की परेशानी है, इसलिए आज सभी को सोचना होगा कि भारत में जो भी इंसान हैं, जिनकी उम्र हो जाती है, उस उम्र के बाद उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए, उनकी जीविका चलनी चाहिए। उनको मकान नहीं मिल पाता है, वे आसमान देखते रहते हैं, उनके सामने हजारों परेशानियां रहती हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम हाउस में रहते हैं और हमारा नौकर कहां रहता है, वह आउट-हाउस में रहता है, सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। सर्वेंट क्वार्टर की परम्परा को तोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। उसको सर्वेंट क्वार्टर मत कहिए, क्वार्टर कह लीजिए। असंगठित मजदूरों पर जब चर्चा हो रही है, तो असंगठित मजदूर को सम्मानित करना, प्रतिष्ठित करना हमारी जिम्मेदारी है।

"जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा"।

यह इन्कलाब चलता रहेगा। यह इन्कलाब तभी बंद होगा, जब असंगठित मजदूरों को सम्मान मिलेगा, उनको दो रोटी मिलेगी, इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। यह हम सभी का दायित्व है। यह किसी पार्टी या व्यक्ति का सवाल नहीं है कि कौन कितना क्रांतिकारी है, असंगठित मजदूरों के लिए संवेदनशील होना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज हमें इस पर सोचना होगा। आज दो भारत बने हुए हैं - एक भारत वह है जो खाते-खाते मरता है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। उनके पास अपार दौलत है, खाते-खाते मरते हैं। दूसरा भारत वह है जो हाथ पसार कर मरते हैं, खाना उनको नहीं मिलता है। सब कुछ इसी धरती पर रह जाएगा। इसीलिए कहा गया है:

"दौलत दुनिया माल खजाना दुनिया में रह जाएगा। हाथ पसारे आए बंदा, हाथ पसारे जाएगा।"

असंगठित मजदूरों को सम्मान दीजिए, यह हम सभी की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी से हम मुकर नहीं सकते हैं। इसीलिए मेरे मित्र माननीय सदस्य श्री निशिकांत दूबे जी ने जो बिल का प्रारूप यहां प्रस्तुत किया है, उस पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। माननीय सदस्य उस इलाके से आते हैं, मेरा और उनका इलाका एक ही है। वहां जंगल में लकड़ी चुनने वाले आदिवासी हैं, दलित हैं, गरीब-गुरबा है, जो हजारों से प्रताड़ित और व्यथित रहे हैं, इसलिए जो सामाजिक मानसिकता है, उसमें भी लोगों का शोषण होता है - ईंट भट्ठों पर मजदूरों के साथ, लकड़ी चुनने वालों के साथ, खेतिहर मजदूरों के साथ, रिक्शा ठेले वालों के साथ अन्याय होता है।

इसलिए आज इस पर हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और न्याय होना चाहिए, देश में न्याय की धारा चलनी चाहिए, जिससे गरीबों को सम्मान मिल सके। जब तक उनका अपमान होगा, देश बेहतर नहीं होगा। इसलिए हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो पिछड़े हैं उन्हें आगे बढ़ाएं और जो आगे बढ़े हुए हैं उन्हें थोड़ा कम दें। इसी चीज को ध्यान में रखकर कहा गया था - विशेष सुविधा, विशेष अवसर। मजदूरों को ताकत दें, उन्हें प्रतिष्ठित करें और उनकी जब उम्र बढ़ जाती है तो उनके लिए पेंशन का प्रावधान करें। यह हमारा फर्ज है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

यह सरकार कहती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस पर चर्चा नहीं, बल्कि इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि जो मजदूर हैं उन्हें सम्मान मिले, समान मजदूरी मिले, जिससे वे सम्मान के साथ जी सकें। हमारे संविधान में भी सबको सम्मान से जीने का हक दिया गया है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Respected Chairman, Sir, I am very thankful that you have given me a chance to speak. First of all, I must salute my friend, Shri Dube ji, as he has come forward with such a pertinent Bill. We know that in our country more than 90 per cent of workers are in unorganized sector. They have neither the status of workers with fixed wages nor pension when they would be no more in workable condition.

We discussed in the morning about our women folk, who are about 50 per cent of our population, who are in a wretched condition. The same is the case of mass population of labourers, who are in such a wretched condition that we cannot explain in words. That is why I think that this Bill should be properly discussed in the Cabinet and passed in this term only.

First of all, I would say that we have to give status to these workers. We know that there are many sectors where unorganized labourers are employed. My learned friend has explained everything in this regard. In our State of West Bengal we have a large number of unorganized labourers such as handloom workers, *jari* workers, rickshaw pullers, field labourers, mine labourers, coal field labourers, *bidi* workers and many others.

In case of women, who are working as *bidi* workers, I want to say that their condition is still very bad. The male *bidi* workers are getting more wages than what their female counterparts are getting. I do not know the reason for it. But, this is a fact. I also want to say something about the workers who make envelops. In Bengali we call them *thonga* people. Most of them are our women workers. Their condition is similar to that of female *bidi* workers.

People often ask where from this pension would come. I have a few suggestions in this regard. The employers, under whom these workers are employed, should maintain a register and keep a proper record of them. They should also produce this register as and when demanded by the Government

authorities. The employers should also be charged with some sort of a tax. This way, the Government can collect some money for the pension of these workers.

Some of my friends, including Shri Anurag Thakur, said about the insurance. That should also be included in this Bill so that from there, that money can come. But I also agree with all other speakers that this Bill, the National Minimum Pension (Guarantee) Bill, should be passed and all those who are 60 and above should get some pension. This will also help in reducing the old-aged beggars in the villages and in the streets of the town.

हंसराज गंगाराम अहीर (चन्द्रपुर): सभापित जी, माननीय निशिकांत दुबे जी ने जो बिल पेश किया है जिसमें देश में पेंशन-भोगियों के लिए जो पेंशन योजना होनी चाहिए, उसका जिक्र किया है। यह एक अच्छा बिल है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

महोदय, देश में बहुत बड़ी संख्या में निजी और असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं, तथा कुछ सरकारी कंपनियों में भी काम करते हैं, जिन्हें पेंशन बहुत कम मिलती है। यहां पर कोल माइन्स में काम करने वाले और बीड़ी मजदूरों का भी उल्लेख हुआ है। सेल में भी काम करने वाले कंट्रेक्ट लेबर हैं जिनकी पीएफ कटने के बाद भी उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। हमारे पास असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की शिकायतें आती हैं जो पेंशन नहीं पा रहे हैं।

मैं कोल माइन्स के मजदूरों के बारे में आपसे कहूंगा कि देश में जब कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके पहले यह काम निजी क्षेत्र में था और वर्ष 1973 के बाद इस क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं उन्हें बहुत कम पेंशन मिलती है। मेरे क्षेत्र में ऐसे कई मजदूर हैं जिन्हें 100,150 या फिर 200 रुपये पेंशन मिलती है। राष्ट्रीयकरण के बाद उनका कार्यकाल बहुत कम रहा और इस वजह से उन्हें पेंशन बहुत कम मिलती है। जब 1998 में कोल माइन्स पेंशन स्कीम बनी, तो उनका कार्यकाल कम होने की वजह से तथा उनका पीएफ कम कटने की वजह से पेंशन कम मिलती है। यही बात ईपीएफ पर लागू होती है, जैसे सेल में काम करने वाले मजदूर हैं उनके हाथ में भी 300-400 रुपये पेंशन के आते हैं। जो कंट्रेक्टर लेबर्स हैं उनका पीएफ तो कंपनियां काटती हैं लेकिन उनका एकाउंट नम्बर उन्हें नहीं देती हैं और 3 साल या 4 साल का जब कंट्रेक्ट पूरा हो जाता है तो ये असंगठित रूप में काम करने वाले जो लेबरर्स हैं इन्हें पेंशन के बारे में पता ही नहीं होता है। इस तरह से इसमें भ्रष्टाचार होता है, अतः यह जो बिल आया है इसमें इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि जो कंट्रेक्ट पर मजदूर हैं इनका पीएफ कटने के बाद इन्हें

कुछ पेंशन मिले। प्रोविडेंट कमीश्नर के पास करीब-करीब 11 हजार करोड़ रुपये ऐसा है जिसका कोई मालिक नहीं है। मेरी जानकारी है कि सीएमपीएस में 11 हजार करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और ऐसे ही कंट्रेक्ट लेबर जो काम बंद होने के बाद से पेंशन से वंचित हैं, उन्हें भी इस बिल के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस बिल की बहुत जरूरत है।

अतिमहत्वपूर्ण विषय को लेकर जो बिल पेश किया गया है, इस पर सरकार विचार करे। कोल माइंस में कांट्रेक्ट लेबर की संख्या तीन लाख से अधिक है। ये काम करते हैं, इनका पीएफ कटता है, लेकिन इन्हें पेंशन नहीं मिलती है। सेल में हजारों मजदूर हैं, मैं सरकारी क्षेत्र की बात कह रहा हूं तो निजी कम्पनियों में तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इस वजह से करोड़ों की संख्या में असंगठित स्वरूप में काम करने वाले जितने मजदूर भाई हैं, इन्हें पेंशन देने के लिए सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। सौभाग्य से यह जो संकल्प पेश किया गया है इसमें ईपीएप-1995 है, उसका ही उल्लेख आ रहा है। मैं कहूंगा कि एक हजार से बढ़ाकर कम से कम पांच हजार किया जाना चाहिए और केवल ईपीएफ से ही नहीं बल्कि सीएमपीएफ से भी जोड़ना चाहिए। जितने भी देश में कांट्रेक्ट लेबर हैं, उनका पीएफ कटता है इनकी संख्या क्या है, इनकी गिनती होनी चाहिए और सभी को कवर किया जाना चाहिए। देश में जो मेहनत करने वाला वर्ग है, जिसके बारे में चिंता प्रकट की है कि 60 वर्ष के बाद उनके जीने के साधन समाप्त हो जाते हैं, उन्हें अगर पेंशन मिल जाती है तो वे बुढ़ापे में अच्छा जीवन जी सकेंगे। मैं सरकार से विनती करता हूं कि इस बिल को महत्व देते हुए विचार करें। मैं निशिकान्त जी को कहना चाहूंगा कि इस बारे में बहुत गहराई से सोचा है और मंत्री जी भी इस विषय पर गंभीरता से सोचें और इस संबंध में सरकारी बिल लाएं।

श्री शंकर प्रसाद दत्ता (त्रिपुरा पश्चिम): सभापित जी, त्रिपुरा में जो मजदूर वर्ग है, वह पूरा का पूरा असंगठित सेक्टर का है। वहां कोई बड़ा कारखाना नहीं है। मीडिएम साइज फैक्टरी है जहां कुल मिलाकर एक हजार मजदूर काम करते हैं और इसे छोड़कर हमारे राज्य में जो मजदूर वर्ग है लगभग छह लाख मजदूर हैं, जिनमें सारे के सारे अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं। हम लोगों को यही जानकारी है कि हिंदुस्तान में अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर 40 करोड़ वर्कर हैं। पूरे वर्कर्स में 93 परसेंट वर्कर्स अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं। बता only seven per cent are in the organised sector. आज हमारे मित्रों ने जो बिल लाए हैं और हमारे साथी ने जो बिल लाए हैं, मैं सभी को विनती करूंगा कि यह प्राइवेट मेम्बर बिल आया है, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह बिल लाए हैं, मेरा विनती होगा कि अगर सरकार गंभीर होती, तो आज यह बिल प्राइवेट मेम्बर बिल नहीं होता बल्कि सरकारी बिल होता। If we sincerely want to do something for the unorganised workers, then a Government Bill must be brought in this House, and for that all the Members of this House should support it.

Our unorganised workers, महोदय, आपको जानकारी है कि हमारे मित्रों ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में वर्कर बहुत दुख में काम करते हैं। हमारी मेड सर्वेंट जो घर में काम करती हैं, महीने में उन्हें चार सौ, पांच सौ रुपए से ज्यादा नहीं मिलते हैं। दो-तीन घर में काम करके हजार-डेढ़ हजार रुपया पूरे महीने में कमाते हैं और इतने पैसों में उन्हें पूरा परिवार चलाना पड़ता है। यही बात हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, हमारा जो बीड़ी वर्कर्स हैं, हमारे रिक्शा चलाने वाले हैं, सभी को इसी दिक्कत में काम करना पड़ता है। महीने में 2-3 हजार से ज्यादा उनको तनख्वाह नहीं मिलती। इसलिए 4-5 आदमी का अगर परिवार है तो वह कैसे चलेगा? जब 60-65 साल का होने के बाद जब उनमें काम करने की ताकत नहीं रहती तो उनका परिवार कैसे चलता है? उनके घर में खाना-पीना, लाने के लिए कोई नहीं होता है तो 60 साल तक जिस आदमी ने काम किया, उनके प्रति देश को भी कुछ करने की जरुरत है। इसके लिए आज जो बिल यहां लाया गया है, उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं और हमारी पार्टी भी उसका पूरा समर्थन करती है। हमारी पार्टी पूरे देश भर में इसी कॉज के लिए काम करती है। सेन्टर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन्स में मैं काम करता था और इस संगठन में जब यूपीए सरकार थी, सिर्फ एक हजार करोड़ रुपया पूरे 40 करोड़ आदमी के लिए रखा गया था तो हमने बताया कि एक आदमी को इस एक हजार करोड़ रुपये में से साल में केवल 25 रुपया मिलेगा। इसके लिए एनडीए सरकार से हमारी विनती है कि आज जो बिल दुबे जी यहां लाए हैं, उस बिल का रूपान्तर करके इसको गवर्नमेंट बिल के रूप में इधर लाया जाए और उसके बाद पास कराने पर हमारे साथी मित्रों ने जो 5000 रुपये की मांग जिससे सभी को पेंशन मिले और हमारे

40 करोड़ असंगठित वर्कर्स के लिए जो 5000 रुपये की मांग हमारे मित्र श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रखी थी, मैं भी कहना चाहूंगा कि ऐसा एक एक्ट बनाया जाना चाहिए जिसमें पूरे असंगठित वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए, पेंशन के लिए पूरा इंतजाम हो सके। इसी के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय सभापित जी, आज अशासकीय बिल निशिकांत दुबे जी ने प्रस्तुत किया है, राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन बिल 2014 पर चर्चा हो रही है। निशिकांत जी के अतिरिक्त इस विधेयक पर श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री सौगत राय जी, श्री भर्तृहरि महताब जी, श्रीमती किवता कलवकुंतला जी, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन जी, श्री हुकुम सिंह जी, श्री वाराप्रसाद राव जी, श्री अर्जुन मेधवाल जी, श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री रामकृपाल यादव जी, वीरेन्द्र कश्यप जी, श्री पी.पी.चौधरी जी, श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी, श्रीमती रमा देवी जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी, श्री हंसराज जी और सभी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। निशिकांत दुबे जी ने जब यह बिल प्रस्तुत किया था तो मैंने उनके भाषण को भी सुना था और उनके भाव को भी समझने का प्रयत्न किया था। निश्चित रूप से निशिकांत जी ने बिल प्रस्तुत करने से पहले मजदूर क्षेत्र का व्यापक दृष्टि से अध्ययन किया और बहुत तैयारी के साथ बिल बनाया और बिल संसद के समक्ष लाए। बिल में मजदूरों एवं गरीबों की समस्याएं भी हैं, उनकी पीड़ा भी है, संवेदना भी है, निराकरण के प्रति उनका भाव भी दिखाई देता है जो उन्होंने अपने भाव के माध्यम से यहां व्यक्त किया है।

इस बिल पर सभी विरेठ सदस्यों ने अपने अनुभव के आधार पर विचार व्यक्त किए हैं। श्रमिक क्षेत्र देश का महत्वपूर्ण और व्यापक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बहुत से नियम और कानून हैं, पेंशन योजना है और अनेक सुविधाएं भिन्न कानूनों के माध्यम से प्रदत्त की जाती हैं। जहां तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रश्न है यह बहुत व्यापक है और बड़ी संख्या से जुड़ा हुआ है। संख्या बड़ी है इसलिए चिंता भी बड़ी है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे घरेलू कामगारों का क्षेत्र हो, चाहे निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे हाथ ठेला रिक्शा चलाने वालों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में असंगठित कामगार काम कर रहा है। प्रवासी मजदूरों का भी विषय आज देश के सामने है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग मजदूरी के लिए प्रवास करते हैं। उनको भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माननीय सदस्यों ने बहुत ही जवाबदारी के साथ कहा कि आजादी को 66 वां व्यतीत हो गए और 66 वााँ में एक गरीब आदमी को जो न्याय मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि आजादी को लंबा काल खंड बीता है और उसके बावजूद भी बहुत समस्याएं सुरसा

की तरह खड़ी हैं जो आज भी निराकरण की बाट जोह रही हैं, इसमें एक श्रमिक, गरीब और किसानी करने वाला वर्ग भी है।

महोदय, मैं सामान्यत कभी इस दृटि से विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद देश की समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से, कानून बनाने की दृष्टि से, निर्देश की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, खेती को प्रोत्साहित और संरक्षित करने की दृष्टि से, बड़े कारखाने लगाने की दृष्टि सं, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि सं जितना संतृतित विचार और समग्र विचार होना चाहिए था, उसका अभाव रहा है। इसके कारण आज देश में बड़ा असंतुलन खड़ा हो गया है। देश में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो 50 लाख रुपए प्रति मास तनखाह लेता है और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो 500 रुपए तनख्वाह में गुजर करता है। यह असंतुलन बड़ा है और निश्चित रूप से इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। इस वर्ग के लोगों की सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना समाज और सरकार का दायित्व है। इस दृष्टि से मैं यह नहीं कहता कि काम नहीं हुआ है, हुआ है, सरकारों ने समय-समय पर कानून भी बनाए हैं और इस दिशा में आगे हाथ बढ़ाने की कोशिश भी की है। लेकिन जब हम असंगठित श्रमिकों के बारे में विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हम सबके ध्यान में आता है, चाहे आज एनएसएसओ के आंकड़े ले लो या किसी ट्रेड यूनियन से आंकड़े ले लो, बहुत सी संस्थाएं सर्वे इत्यादि में संलग्न रहती हैं, असंगठित कामगारों की दृष्टि से कोई 43 करोड़ का आंकड़ा बताता है, कोई 47 करोड़ का आंकड़ा बताता है, कोई 37 करोड़ का आंकड़ा बताता है। मैं मंत्री होने के नाते यह बात जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि देश में आज की दिनांक तक असंगठित कामगारों की संख्या का वास्तविक आंकड़ा नहीं है। इसके लिए सीधे-सीधे जो प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए थी, वह नहीं बनाई गई। प्रक्रिया नहीं बनी तो आंकड़ा सामने नहीं है, आंकड़ा नहीं है तो हमें अपना कमांड एरिया नहीं मालूम, कमांड एरिया नहीं मालूम तो हमारी उस पर व्यापक दृष्टि नहीं पड़ती। जब व्यापक दृष्टि नहीं पड़ती है तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई योजना कैसे बनेगी। योजना बनती है, योजना में कुछ फंडिंग्स भी होती है। हम सोचते हैं कि वह 47 करोड़ लोगों पर लागू हो जाए। लेकिन अगर योजना का दायरा 47 करोड़ का नहीं है, योजना के लिए बजट 47 करोड़ के लिए नहीं है तो 47 करोड़ लोगों को उसका फायदा कैसे मिलेगा। यह निश्चित रूप से अपूर्णता मुझे दिखाई देती है और इसलिए मुझे लगता है कि आज तो इस विस्तृत क्षेत्र में एक प्रक्रिया बनाना है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम यह जान सकें कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला वह गरीब मजदूर कौन है, जिस मजदूर की चिंता और जिस मजदूर की सुरक्षा और जिस मजदूर का आर्थिक संरक्षण करने के लिए हम सब लोग विचार कर रहे हैं। मैं विभाग में जब इस दृष्टि से निशिकांत जी के बिल पर चर्चा कर रहा था तो मैंने बहुत सारे पक्षों से पूछने की कोशिश की तो सामान्य

तौर पर कुछ सर्वे के आंकड़े रहते हैं और उन सर्वे के आंकड़ों के आधार पर यह बात आती है कि इतने मजदूर हमारे यहां हैं। लेकिन वह सर्वे सैम्पल सर्वे ही होता है। सैम्पल सर्वे के कारण एक अंदाज लगाया जा सकता है, कोई वित्तीय साधन की व्यवस्था करनी हो तो की जा सकती है, लेकिन आम व्यक्ति का चिह्नांकन और पहचान नहीं हो सकती। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की पहली चिंता असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनकी पहचान करने की होनी चाहिए और उस दृष्टि से सरकार प्रयत्न करेगी, ऐसा मैं आप सबको इस अवसर भरोसा दिलाना चाहता हूं।

दूसरी बात में कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब एनडीए की सरकार यहां थी तो निर्माण के क्षेत्र में भी असंगठित कामगार काम करते थे और उस समय माननीय वाजपेयी जी ने इस बात की चिंता की थी कि निर्माण मजदूरों के लिए कानून बने, उनके लिए फंड की व्यवस्था हो और उनके लिए योजना बने। उस समय वह बनी थी और उसका लाभ आज मिल रहा है। इसी प्रकार की योजनाओं के माध्यम से भिन्न-भिन्न राज्य सरकारें भी अपने यहां भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बोर्डों का गठन करती है, उस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की पहचान करती हैं, उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाती हैं और उन योजनाओं के माध्यम से उनके सरोकारों को चिह्नित करके उनका निराकरण करने का प्रयत्न करती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अभी 2014 तक तो निशिकान्त जी ने बिल के माध्यम से कहा कि पांच हजार रुपये पेंशन होनी चाहिए। सभी सदस्यों ने निशिकांत जी के बिल का समर्थन भी किया। अब जब सभी सदस्य समर्थन कर रहे हैं और मैं ही अकेला विरोध करूं, यह मुझे भी उचित नहीं लगता। लेकिन मैं इसके साथ ही यह कहना चाहता हूं कि हम 2014 में बैठे हैं, 1947 में देश आजाद हुआ। 2014 में यह सुनिश्चित हो पाया, जिस दिन इस संसद में बजट प्रस्तुत हुआ कि न्यूनतम पेंशन इस देश में एक हजार रुपये होगी, यह वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा। जब 2014 में हम संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम एक हजार रुपये माहवार पेंशन करने की स्थिति में आ पाये हैं तो हमें अंदाज लगाना चाहिए कि पांच हजार रुपये तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा। आज यह परिस्थिति है, उसके लिए प्राथमिक रूप से उन्होंने ढाई सौ करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है। इसलिए में माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हं और माननीय जेटली जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होने श्रम मंत्रालय के उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसका नोटिफिकेशन हमारे विभाग से चला गया है, कुछ दिन में नोटिफिकेशन हो जायेगा और मजदूरों के हित में जो वेज बढ़ाने का निर्णय है, 15 हजार रुपये तक की तनख्वाह वाले मजदूर उस दायरे में आयेंगे। निश्चित रूप से यह निर्णय भी उसी समय उनके अभिभाषण के दौरान हुआ है। यह मजदुरों को और गरीबों को सम्मान देने वाली बात है। मैं इस अवसर पर एक बात आप सब लोगों के समक्ष कहना चाहता हूं। मैं भी सामान्य तौर पर गरीब और मजदूर क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता रहा हूं। सामान्य तौर

पर इस हिंदुस्तान में एक गलती और हुई है, जब भी किसी को सम्मान देने की बात आई है, तो उस सम्मान को हमेशा सरकारों ने भी और राजनेताओं ने भी पैसे से तौलने की कोशिश की है।

अगर किसी गरीब को सम्मान देना है तो पैसा दे कर सम्मान नहीं हो सकता है। अगर किसी मज़दूर को सम्मान देना है तो उसको पेंशन दे कर सम्मान नहीं हो सकता है। पेंशन दे कर उसका इलाज कराया जा सकता है। पेंशन दे कर उसको रोटी दी जा सकती है। लेकिन पेंशन के कारण उसको सम्मान नहीं मिल सकता है। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने वतन पर अपनी कुर्बानी दी, वतन के लिए मरे, वतन के लिए लड़े और उन्होंने ऐसे तमाम सारे काम किए, जिसके कारण उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। सम्मान के रूप में उनको पेंशन दी जाती है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, हम सब आपने-अपने जिलों में काम करते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अगर हम सम्मान की औपचारिकता एक नारियल दे कर पूरी करते हैं और उसी को सम्मान माना जाता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सम्मान को पैसे से नहीं तोला जा सकता है। हमारे प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह बात अपने पहले भाषण में कही थी कि सत्यमेव जयते हम बहुत दिनों से कहते रहे हैं, अब श्रममेव जयते का नारा हमें लगाना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी ने श्रममेव जयते की बात कही तो निश्चित रूप से सरकार का मंतव्य उस बात से प्रकट भी होता है और सरकार की दिशा आगे चलने की दिखाई भी देती है। अगर किसी श्रमिक को सम्मान देना है, तो सम्मान पेंशन से नहीं होगा, सम्मान सिर्फ उसकी तनख्वाह बढाने से नहीं होगा। उसे पेंशन भी मिलनी चाहिए। उसको तनख्वाह भी मिलनी चाहिए। उसको भत्ते भी मिलने चाहिए। उसके हित लाभ सुरक्षित भी रहने चाहिए। लेकिन जब तक गरीब कामगार को अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में अगर बड़े लोग सम्मान देना नहीं सीखेंगे, तब तक उसे सम्मान नहीं मिलेगा। अगर हम किसी गरीब मज़दूर को सम्मान देना चाहते हैं, हम किसी श्रमिक को सम्मान देना चाहते हैं और निश्चित रूप से जब श्रममेव जयते का नारा पूरा करना चाहते हैं तो जरूरत होगी कि घर में काम करने वाली बाई को भी हम जी कह कर पुकारें, हमारा जो ड्राइवर है, दिन-भर अपनी जान जोखिम में डाल कर लंबा रास्ता तय कर के हमारे यातायात को सुगम बनाता है, हम उसको जी कह कर पुकारें, जब हम भोजन करें तो हम उसे अपने साथ बिठा कर भोजन कराएं। जब हम अपने नौकर को, अपने घर में काम करने वाले मज़दूर को बराबरी का सम्मान देंगे, उस दिन इस हिंदुस्तान में इस मज़दूर को कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हर प्रकार का सम्मान उसे मिल जाएगा।

जहां तक पेंशन योजनाओं का सवाल है, निश्चित रूप से एक नहीं बहुत सारी पेंशन योजनाएं इस देश में श्रमिकों के लिए भी हैं, जिनके माध्यम से पेंशन दी जाती है। सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन मिलती है। विकलांगों को पेंशन मिलती है। विधवा बहनों को पेंशन मिलती है। बच्चों को पेंशन मिलती है। अनाथों को पेंशन मिलती है। निशक्त लोगों को पेंशन मिलती है। नॉमिनी को पेंशन मिलती है। अभी एक स्वालंबन योजना आई है, उसमें भी पेंशन की बात शुरू हुई है। अगर लोग बचत करना चाहते हैं तो वित्त मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि वह एक हज़ार रूपये व्यक्ति के अकाउंट में डालेंगे और व्यक्ति एक हज़ार रूपये अथवा उससे ज्यादा उस अकाउंट में बचत करे। जब उसके काम करने की आयु पूरी होगी, उस समय जो फण्ड क्रिएट होगा, उससे उसकी पेंशन की सुनिश्चितता की जाएगी। इसी प्रकार से असंगठित क्षेत्रों में भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों के कल्याण की दृष्टि से बहुत सारे काम किए जाते हैं। चाहे वह आम आदमी बीमा योजना हो, जननी सुरक्षा योजना हो, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हो और श्रम विभाग की आरएसवीवाई (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) है, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत 30 हज़ार रूपये तक का हर श्रमिक का इलाज सुनिश्चित करने का काम सरकार करती है। हमारी कोशिश है कि इस योजना के दायरे को हम और बढ़ाएं और व्यापक करें, जिससे कि इस योजना में ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हों और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इस दृष्टि से भी हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। बीड़ी वर्कर्स हों या माइंस में काम करने वाले वर्कर्स हों, उनके लिए भी अलग-अलग प्रकार के कानून बनाए गए हैं। उनके माध्यम से उनकी सामाजिक, आर्थिक और चिकित्सीय सुरक्षा देने का प्रयत्न भारत सरकार कर रही है।

साथ ही साथ मैं यह भी इस अवसर पर आप सब लोगों के मध्य कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो हमारा असंगठित क्षेत्र का कामगार है, यह क्षेत्र बड़ा व्यापक है। मैं समझता हूं कि जब सरकार वर्ष 2008 में कानून लायी थी, तो सरकार ने इसके लिए प्रयास भी किए होंगे और सरकार ने प्रयत्न किए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के माध्यम से वे प्रयत्न होने चाहिए थे, हुए भी होंगे, लेकिन आज तक जितने भी प्रयत्न हुए हैं, मैं उन प्रयत्नों को अपर्याप्त मानता हूं और उन प्रयत्नों को बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है।

कृषि के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ऐसे असंगठित कामगार काम करते हैं, निर्माण के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या है, जो आज चिन्हित नहीं हैं। ठेले, रिक्शे चलाने वाले बड़ी संख्या में हैं और छोटे-छोटे घरेलू कामगारों की बड़ी संख्या है, जिनका चिन्हांकन नहीं हो पाता है। हमारे भर्तृहरि मेहताब जी केरल की एक पेंशन योजना का जिक्र कर रहे थे। मैंने देखा कि वह वर्ष 2009 में शुरू हुयी। 15 हजार लोगों को उसका लाभ मिला। वह एक अच्छी योजना है। निश्चित रूप से अन्य राज्यों में इस प्रकार की योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़

में भी है, मध्य प्रदेश में भी हम लोग पेंशन देते हैं। ऐसी योजनाएं अन्य प्रांतों में भी होंगी, जिनकी मुझे जानकारी नहीं है। प्रांत इसके लिए स्वतंत्र हैं, अपनी-अपनी आर्थिक अवस्था को देखते हुए वे इस दिशा में योजना बना सकते हैं। लेकिन मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि गरीब मजदूर की सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए और उसको सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए। इस दृष्टि से हम सबको सामूहिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सभी संसद सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ, हम सभी लोग जीवंत रूप से अपने-अपने क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे क्षेत्र में लगभग 16 से लेकर 22-25 लाख तक मतदाता होते हैं और उसमें एक बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की भी होती है। हम सब लोग भी इसमें अपना योगदान करें और असंगठित क्षेत्र के लोग चिन्हांकित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो जाएगा। जब एक बड़ा दर्पण दिखने लगेगा और उसमें सरकार जब अपना शीशे में मुँह देखेगी और जब उसे लगेगा कि मुझे इतने बड़े क्षेत्र के लिए कुछ करना है तो सरकार उस दिशा में प्रवृत्त होगी। यह जो अशासकीय बिल निशिकान्त दुबे जी लाए हैं, मैं उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करता हूं, लेकिन आज मैं उनको यह अनुरोध इसलिए करना चाहता हूँ कि कोई भी पेंशन योजना जब सरकार बनाती है, तो सरकार लोकतंत्र में संघीय सरकार होने के कारण राज्य सरकारों के प्रति प्रतिबद्ध है, ट्रेड यूनियंस के प्रति प्रतिबद्ध है, औद्योगिक क्षेत्र में जो लोग उद्योग के क्षेत्र में काम करते हैं, उनका भी कंट्रीब्युशन इस पेंशन योजना में होता है। सभी स्तरों पर इसकी वार्ता करने की आवश्यकता है, सभी स्तरों पर इसकी सहमति होने की आवश्यकता है। खाली अगर हम कोई बिल पारित कर देंगे और उसके कारण कंट्रीब्यूशन आने लगेगा, पैसा आने लगेगा और पेंशन योजना शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लोकतंत्र में जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियों को हम सब लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए आज उनका यह जो बिल है, उसके भाव का मैं निश्चित रूप सम्मान करता हूं और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निशिकान्त जी को प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह अपना बिल वापस ले लें।

श्री निशिकान्त दुवे (गोंड्डा): महोदय, धन्यवाद। मैं सारे राजनीतिक दल और 19 लोग, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, अधीर रंजन चौधरी साहब, प्रहलाद सिंह पटेल साहब, सौगत राय साहब, भर्तृहरि महताब साहब, के.कविता जी, मुल्लापल्ली रामचन्द्रन साहब, हुक्मदेव नारायण यादव जी, श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली, जगदम्बिका पाल जी, राम कृपाल यादव जी, वीरेन्द्र कश्यप जी, पी.पी. चौधरी जी, महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी, रमा देवी जी, हमारे भाई अनुराग सिंह ठाकुर साहब, जय प्रकाश नारायण यादव जी, डॉ संघिमता जी, हंसराज गंगाराम अहीर साहब और शंकर प्रसाद जी, इस सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष तौर पर माननीय मंत्री जी के बारे में मैं यह कहूँ कि वे इस चिन्ता को देश के सामने लाये और जो बात आज ही अनुराग सिंह जी ने कही कि जाति-पाति, वर्ग, धर्म, सम्प्रदाय, आरक्षण, साम्प्रदायिकता इन सबसे ऊपर यह बिल था। इसके लिए मेरा आग्रह था कि सरकार इस चीज को मान ले। सरकार ने कहा है कि इस पर विचार करेंगे।

महोदय, जब इस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो मुझे कई पत्र आए, जिससे लगा कि आज भी देश में यह चीजें हैं। मैं उनमें से कुछ पत्रों को यहां पढना चाहुंगा। एक पत्र सिने स्टार एसोसिएशन की तरफ से आया। हम लोग उनकी चकाचौंध को देखते हैं, यह बड़ी दुनिया होती है, लोग उनके ऑटोग्राफ़ लेने के लिए परेशान होते हैं। उनका पत्र है- ''दादा साहेब फाल्के का नाम कौन नहीं जानता है। उनकी जद्दोहद, फिल्मों के लिए दिवानगी ने इण्डियन फिल्म इंडस्ट्री को जन्म दिया। उनके नाम पर हर साल हम अवार्ड भी देते हैं। उन्हीं की इस कला की दीवानगी की वजह से हम आज सिनेमा के सौ वर्ष के इतिहास को सेलीब्रेट कर पा रहे हैं। मगर एक सच्चाई यह है कि इंडस्ट्री के लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने उनके परिवार को एक घर भी मुहैया नहीं कराया। ऐसा ही एक और उदाहरण है, ए.के. हंगल साहब न जाने कितनी फिल्मों में अपने हुनर का लौहा मनवाने वाले, वह चमकदार कलाकार जिंदगी के आखिरी मोड़ पर भयंकर अंधेरों में उठते हुए मर गए।" यह एक लम्बी कहानी है, मैं केवल इसकी दो-चार लाइनें पढ़ना चाहता था। माननीय मंत्री जी संयोग से माइन्स के भी मंत्री हैं, सेल के भी मंत्री हैं, स्टील एथॉरिटी के बारे में हंसराज अहीर साहब ने माइनर्स की और स्टील इंडस्ट्री की बात कही। स्टील एथॉरिटी की एम्पलायी यूनियन के चेयरमैन रहे हैं श्री वी.एन. शर्मा साहब। उनका एक लेटर है- "We congratulate you on introducing a forward-looking National Minimum Pension Guarantee Bill, 2014 for the retired persons from unorganized and private sectors in the on-going Session of Parliament.

We represent more than one lakh retired employees of SAIL and their spouses, who are facing miserable conditions in the twilight of their lives, simply because the Government of India could not formulate a policy for them due to basic changes in post-retirement benefit policy for Central PSU employees, and the SAIL retirees who are grouped as pre-2007 and post-2007 category retirees." वह यह कहते हैं कि हम लोगों की स्थिति ऐसी है- "They joined pre-2007 service, in the early 1950s and 1960s, and they are now in their 70s and 80s. There cannot be two opinions that the strong foundation laid by these pioneers in the formative years of 1950s and 1960s, and the commitment, hard work and contribution made by these retirees under very hard times, contributed to make SAIL, the pride of the nation." लेकिन आज वे अपनी पेंशन के लिए जूझ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हम फार्मूलेट नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण था कि हमने 90-93 परसेंट जो लोग थे, जिनकी स्थिति मैं प्रेमचंद जी की ईदगाह की कुछ लाइनें पढना चाहुंगा जिनकी स्थिति आज भी वैसी ही है कि हामिद पोता है, उसके माँ-बाप की मृत्यू हो चुकी है और वह अपने दादी के पास रहता है। उसकी दादी का नाम अमीना है। उसकी कुछ लाइनें मैं यहां पढ़ना चाहूंगा- ''अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने-अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? क्योंकि कोई नहीं है और दादी बुढी है। उसे कैसे मेले में अकेले जाने दे? उस भीड़-भाड़ में अगर बच्चा खो जाए तो क्या हो? नहीं अमीना, उसे क्यों जाने दे। वह थोड़ी-थोड़ी दुर पर उसे गोद लेगी, लेकिन सेवइयां कौन पकाएगा? वह चाहती है कि वह उसके साथ जाए, लेकिन उसके साथ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसे साथ ले जाए। पैसा होते तो लौटते-लौटते सब सामग्री जमा कर झटपट बना लेते। यहां तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे, मांग का तो भरोसा ठहरा, उस दिन फहिमन के कपड़े सीये थे, आठ आने पैसे मिले थे, उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं, दो पैसे का दुध ही चाहिए तो अब तो कुल दो आने पैसे बच रहे हैं, तीन पैसे हामिद की जेब में, पांच अमीना के बटुए में, यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। धौबन, नाइन, मेहतरनी और चूड़िहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवइयां चाहिए। थोड़ा किसी को आंखो नहीं दिखता, किस मुंह से चूराएंगी और मुंह क्यों चूराएं, साल भर का त्यौहार है।''

आज भी गांव की स्थिति इस ईदगाह की स्टोरी से अलग नहीं है। यही कारण था कि मैंने कृषक, कृषि, कृषक मजदूरों के लिए, गाय-भैंस चराने वालों के लिए, हस्तशिल्प कारीगर, कालीन मजदूर, लौहार,

कुम्हार, सोनार, मछुवारे, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए, तेन्द्रपत्ता चुनने वाले लोगों के लिए, बीड़ी और ईंट मजदूरों के लिए, पत्थर मजदूरों के लिए, मकान बनाने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, माइग्रेंटस लेबर्स के लिए और खांडसारी उद्योग में काम करने वाले तथा प्राइवेट लोगों के लिए मैं यह बिल लेकर आया था। मुझे लगता था कि आजादी के 67 साल बाद जिस तरह से सारी पोलिटीकल पार्टियों के सदस्य, चाहे भर्तृहरि महताब साहब हों या कोई अन्य हो, उन्होंने कहा कि विलेज की इकोनोमी अपने आप में डिपेंडेंट हुआ करती थी, काशपीठ से ऊपर, जब वे तकरीर दे रहे थे। जिस तरह से हंसराज अहीर साहब और हमारे मित्र अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने कहा, वे युवाओं की बात करते-करते आज बुढ़ों की बात करने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि इस देश में 18 करोड़, 20 करोड़ लोग 2030 तक बूढ़े हो जाने वाले हैं, उसके लिए सरकार को कुछ न कुछ सोचने की आवश्यकता है। इस तरह से जो हम लगातार आते हैं, जिस तरह से भाषण दे देते हैं - "पल दो पल का साथ है हमारा तुम्हारा, आज यहां हैं कल चले जाएंगे, कल हम रहे या न रहें।" इस तरह की जो केजुअल बातें होती रहती हैं, भाषण होते रहते हैं, चीजें होती रहती हैं। हम आश्वासन देते रहते हैं, उसकी पूर्ति का कोई साधन नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि आज वह समय आ गया है, नरेन्द्र सिंह तोमर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप भी गांव गरीब किसान मजदूर की बात कर रहे हैं। मैं उन 90 परसैंट लोगों की बात कर रहा हूं। चूंकि नरेन्द्र मोदी साहब भी गांव से आए हैं, चाय बेचते हुए इस देश के प्रधान मंत्री हो गए हैं। पहली बार लोगों को लगा है कि एक गरीब आदमी इस देश का प्रधान मंत्री बना है। एक गरीब आदमी गरीबों की बात सोच रहा है। हमने इस देश में जो आशाएं जगाई हैं, उन आशाओं के लिए सभी 90 परसैंट लोगों के लिए यह बिल था।

आपसे आज भी मेरा आग्रह होगा कि यदि आप मेरी बात मान सकते हैं या सरकार इस बिल को अपने सरकारी बिल के तौर पर ले आए तो मुझे खुशी होगी और मुझे लगेगा कि एक सांसद होने के नाते हमने अपने फर्ज को पूरा किया। हम सभी भाईयों ने कम से कम 16वीं लोक सभा में इतना बड़ा काम किया। यदि आप लाएंगे तो मैं अपने बिल को वापस लेता हूं, इस विश्वास के साथ, कि कल को आप इस पूरे बिल को सरकारी बिल के तौर पर लाएंगे और इस देश में गांव-गरीब-किसान और मजदूर में एक नयी रोशनी का सूत्रपात करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ जयहिन्द, जयभारत।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you very much for insisting on your Bill.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill to provide for payment of guaranteed minimum pension to all pensioners including those who have worked in unorganized and private sector in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, I withdraw the Bill.

(ii) CENTRAL HIMALAYAN STATES DEVELOPMENT COUNCIL BILL, 2014

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up the next Item in the Agenda for discussion. Before I call Dr. Ramesh Pokhriyal to move the Motion for consideration of his Bill, namely the Central Himalayan States Development Council Bill, 2014, the time for discussion of this Bill has to be allotted by the House. If the House agrees, two hours may be allotted for discussion of the Bill. SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: So, two hours are allotted for discussion of this Bill.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

"कि केन्द्रीय हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय राज्यों के संतुलित एवं चहुंमुखी विकास हेतु विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद् नामक एक परिषद् की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

आदरणीय सभापित जी, वैसे तो हिमालयी राज्यों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाये जाने की एक लंबी चर्चा इस सदन में हुई है। इस पर 15 राज्यों के 17-18 माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जो हिमालयी विकास परिषद राज्य का है, जब तक सरकार इसे तय करती है कि वह अलग मंत्रालय का गठन करे तब तक कम से कम एक ऐसी परिषद होनी चाहिए, जो हिमालयी राज्यों की नीति का निर्धारण करे, जो केन्द्र और राज्यों के बीच अन्यंत समन्वय का कार्य करे। क्योंकि वहां की जो नीति हैं, वे बिल्कुल भिन्न नीति होंगी, चाहे वह वन नीति हो, चाहे वह कृषि नीति हो, चाहे वह शिक्षा की नीति हो, चाहे वह पर्यर्टन की नीति हो।

महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि यह पूरी हिमालयी बेल्ट जो 2,500 किलोमीटर परिक्षेत्र सीमा पर लगी है, इसकी आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सब प्रकार की अभिन्न स्थितियां हैं। यह देश की सामरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पर्यावर्णिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि से जिस छोर तक भी विचार किया जाये, उस छोर तक यह क्षेत्र इस देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह क्षेत्र है, जो जीवन देता है। यह जीवन देने वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र को धरती का स्वर्ग कहते हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि पूरी दुनिया को इस धरती के स्वर्ग में आमंत्रित कर सकते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में सैंकड़ों स्विट्जरलेंड बसे हुए हैं, उन क्षेत्रों में समाये हुए हैं। चाहे पयर्टन की नीति का विषय हो, चाहे वन नीति का विषय हो, क्योंकि वन प्राण हैं और में समझता हूं कि यह पूरा क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से पूरी दुनिया की पाठशाला है। साठ प्रतिशत से भी अधिक वन क्षेत्र इस हिमालय की बेल्ट में हैं। वे जहां ऑक्सीजन देते हैं, प्राण वायु देते हैं, वहां हिमालय से निकलने वाली ये जल धारायें पूरे एशिया को पानी देती हैं, जीवन देती हैं, तो क्या वहां की जल नीति अलग नहीं होनी चाहिए? वहां की जल नीति अलग होनी चाहिए, वहां की वन नीति अलग होनी चाहिए। वर्तमान में यह क्या हो रहा है? जो वन नीति बन रही है, वह पूरे देश की बन रही है, जो जल नीति बन रही है, वह पूरे देश की बन रही है, जो जल नीति बन रही है, वह पूरे देश की बन रही है,

हमें मालूम है कि वह बिल्कुल अलग क्षेत्र है। उसकी भौगोलिक और सामिरक चुनौतियां पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हजारों मेगावाँट बिजली को पैदा करने वाला क्षेत्र आज भी अंधेरे की गुमनामी में खोया हुआ है। हजारों मेगावाँट की क्षमता है, मैं सोचता हूं कि असम से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर को देखा जाए तो ये हजारों मेगावाँट बिजली पैदा करते हैं और हजारों जल विद्युत परियाजनायें अभी भविष्य की कोख में हैं। ऐसे क्षेत्र के लिए अलग से एक ऊर्जा की नीति होनी चाहिए। कम से कम जो ऊर्जा देता है, वह अंधेरे में तो न भटके। लेकिन आज स्थिति यह है कि वहां के गांव अंधेरे में हैं।

जल के संबंध में कहना चाहता हूं कि जो एशिया को पानी देता है, उसके गांव आज भी प्यासे हैं। तीन-चार-पांच किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए वे विवश होते हैं। महिलाओं का आधा समय लकड़ी और पानी लाने मे चला जाता है। वन अधिनियम, 1980 और वन जन्तु संरक्षण अधिनियम, दोनों अधिनियमों के कारण अगर देखा जाए तो जो वहां परिस्थितियां हैं, चाहे वह जड़ी-बूटी का व्यवसाय करने वाले लोग थे, चाहे वह लकड़ी पर आधारित काम करने के व्यवसाय में थे, आज उनके गांव उजड़ रहे हैं।

18.00 hrs

जड़ी-बूटी तस्करी हो कर चीन में जा रहा है। तस्कर आज भी सिक्रय हैं। लेकिन मेरी कीड़ा-जड़ी और संजीवनी बूटियां जो आसाध्य रोगों को भी साधने की हिम्मत रखते हैं।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you can continue your speech next time.

Hon. Members, it is now 6 o'clock and to take up 'Zero Hour', we may extend the time of the House by half an hour.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up 'Zero Hour'.

श्री पशुपित नाथ सिंह (धनवाद): सभापित महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने सभा में शून्य काल के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व का मामला उठाने का अवसर दिया है। केन्द्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र, धनबाद के चार अंचलों में किसी भी प्रकार के नए उद्योग लगाने या फिर पुराने उद्योगों में उत्पादन विस्तार एवं नई मशीनों की स्थापना पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह धनबाद जिला के उद्यमियों और उसमें कार्यरत कामगारों के लिए बहुत दुःख का विषय है। इसी उद्योग से सभी की जीविका चलती है तथा परिवार का भरण-पोषण होता है। धनबाद जिला के अंचलों में बंद पड़े उद्योगों के कारण कामगारों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय और दुःखद हो चुकी है। मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद में किसी भी प्रकार के नए उद्योग लगाने या पुराने उद्योगों में उत्पादन विस्तार एवं नई मशीनों की स्थापना पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध को हटाए जाने के लिए, मैं केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद के सभी उद्यमियों और कामगारों को राहत और रोजगार मिल सके।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर): सभापित महोदय, धन्यवाद। मैं दो दिन पहले इस सदन में सुदूर पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाले अपने लोगों के घर में अंधेरे को मिटाने के लिए जब बात कर रहा था तो मेरे सामने बैठे लोग अपनी महत्वकांक्षा को लेकर इतनी जोर से शोर मचा रहे थे कि मुझे इस सदन में इतनी ऊंची आवाज में बोलना पड़ा जो शायद सदन की मार्यादा के खिलाफ था। मैं इस सदन और आसन दोनों से क्षमा चाहता हूं।

माननीय सभापित महोदय, छोटे शहरों और मध्यम शहरों के ढांचागत परियोजना के विकास के लिए वर्ष 2005 में भारत की सरकार ने एक परियोजना आरंभ की थी, उस योजना के माध्यम से छोटे-छोटे शहरों में सीवर और पेय जल की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया था। जोधपुर शहर, जहां से मैं चुन कर आया हूं, उस शहर में भी सीवरेज की तंत्र को सुधारने के लिए इस परियोजना के तहत 607 करोड़ रुपए का, राजस्थान की सरकार ने अपनी तरफ से जो वहां समिति बनी हुई है, उस वैधानिक समिति के माध्यम से केन्द्र की सरकार को नवम्बर-2013 में एक परियोजना बना कर प्रेषित की थी। जिस परियोजना को दिसम्बर में भारत की सरकार ने अनुमोदित कर दिया था और उस परियोजना में, क्योंकि इस योजना में 80 प्रतिशत अनुदान केन्द्र की सरकार देती है, 10 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार को देना होता है और शेष बचा हुआ 10 प्रतिशत हिस्सा, स्थानीय निकाय को अपने माध्यम से जुटाना होता है, जोधपुर का स्थानीय

निकाय अपने स्तर पर अपने फंड का एलोकैशन कर चुका है। राज्य की सरकार ने भी अपना फंड दे दिया है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी मांग क्या है?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : केन्द्र की सरकार का जो स्वीकृत पैसा है, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि केन्द्र की सरकार की जो हिस्सा राशि है उसके प्रथम चरण का 184 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका है, वह शीघ्र दिलाया जाए ताकि मेरे शहर का सीवर तंत्र और शहर का जो वेस्ट वाटर निकास का जो तंत्र है, वह ठीक किया जा सके।

भारत सरकार की भावना है कि निर्मल भारत का जो अभियान चलाया गया है उस भावना के अनुरूप देश के छोटे-छोटे शहरों में काम हो सके। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी द्वारा शून्य काल में उठाए गए विषय के साथ श्री पी.पी.चौधरी अपने-आप को संबद्ध करते हैं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन सैंकड़ों गांवों की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं जो सीमाओं पर हैं और जहां से तेजी से लगातार पलायन हो रहा है। चिन्ता का विषय यह है कि जहां पलायन होगा, राष्ट्र के प्रहरी की तरह सीमाओं पर बसे गांव हैं। यह राष्ट्र के लिए संकट का विषय होगा। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो भेड़ पालन करते थे, उनकी आर्थिकी धीरे-धीरे कमजोर होने के कारण सक्षम लोग पलायन कर गए और जिन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, वे पलायन करने पर मजबूर हैं। जो ऊनी भेड़ पालन, बकरी पालन होता था, जो भी कारम रहे होंगे, चाहे वन अधिनियम, चाहे सरकार की खराब नीतियां, वह पूरा क्षेत्र खाली हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे पारंपरिक कुटीर उद्योग खत्म हो रहे हैं। उन्हं संरक्षित करना चाहिए। उन्हें जड़ी-बूटी से जोड़ना चाहिए। कीड़ा जड़ी जो उस क्षेत्र में मिलती है, वह 6 से 8 लाख रुपये किलो है। सरकार विधिवत तरीके से संजीवनी और कीड़ा जड़ी को उन लोगों के साथ जोड़कर उसका कृषिकरण करते हुए उनकी आर्थिकी को मजबूत करे। इससे दोनों काम होंगे, वे मजबूत होंगे और सीमाओं की रक्षा भी होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि चाहे नेपाल का बार्डर हो या तिब्बत-भारत का बार्डर हो, वर्ष 2004 में पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चीन के प्रधान मंत्री से समझौता किया था और वर्ष 2006 में नाथूला दर्रे को व्यापार के लिए खोल दिया था। मैं यह भी मांग करना चाहता हूं कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों से यातायात और व्यापार को खोला जाना चाहिए ताकि वे देश की प्रगति में अपना हिस्सा बखुबी निभा सकें और पलायन से बच सकें।

श्री गौरव गोगोई (किलियाबोर): सभापित महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि आज आप यहां बैठे हैं। जब मैंने पहली बार शपथ ग्रहण की थी, उस वक्त भी आप सभापित के रूप में यहां बैठे थे। मुझे लगता है कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके सामने जीरो आवर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। पीने के पानी का राष्ट्रीय ग्रामीण प्रोग्राम भारत के गांवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रोग्राम में अलग नियम, कैटेगरीज, क्राइटेरिया हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए 60 प्रतिशत का क्राइटेरिया है। केन्द्र सरकार राज्यों को जो राशि देती है, वह क्राइटेरिया उसमें रिफ्लैक्ट होता है। ग्रामीण क्षेत्र के अलावा और भी क्राइटेरिया हैं जैसें शैंडयूल्ड कास्ट्स, शैंडयूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग क्राइटेरिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। असम और वैस्ट बंगाल में ऐसे बहुत से निजी चाय के बागान हैं जहां लाखों श्रमिक काम करते हैं। असम में लगभग साढ़े तीन लाख और वैस्ट बंगाल में लगभग दस लाख चाय बागान श्रमिक हैं। इन चाय बागान श्रमिकों की मूल समस्या पीने का पानी है। जब चुनाव आया, मोदी चाय का नारा लगा था तब असम के तचाय बागान के बहुत से श्रमिकों ने इस सरकार को अपना समर्थन दिया। अब नारे का समय खत्म और काम करने का समय शुरू होता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि चाय बागान वर्कर्स के लिए केन्द्र सरकार की स्कीम्स जैसे नैशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नैशनल रूरल हैल्थ मिशन और मनरेगा में एक स्पेशल क्राइटीरिया बनाया जाये। इससे चाय बागान श्रमिकों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आयेगा। भारत के स्वाधीन होने के 67 वर्षों बाद भी ये लोग बहुत ही दयनीय हालत में रहते हैं। उनकी दशा देखकर हम सबकी आंखें भर आती हैं। इसलिए हमें उनकी मूल समस्या पीने के पानी पर काम करना चाहिए और एक स्पेशल क्राइटीरिया बनाना चाहिए। यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है।

HON. CHAIRPERSON: Kumari Sushmita Dev and Shri Radhey Shyam Biswas are allowed to associate with the matter raised by Shri Gaurav Gogoi.

SHRI RADHEY SHYAM BISWAS (KARIMGANJ): Hon. Chairman, Sir, I wish to draw the attention of the Government that the proposed mega block for gauge conversion from Lumding to Badarpur will start from October 1st 2014. So, the only option for all kinds of traffic including carriers of essential commodities will be Badarpur to Jowai via Sonapur and Badarpur to Churaibari via Karimganj NH 8. This will put heavy pressure of traffic on this damaged highway which will create various kinds of problem in that area.

Earlier it was said by the Department that the gauge conversion of the Lumding – Silchar section will be completed by March 2014, but in a newspaper, namely Samayik Prasangha it was published with the reference of the hon. Railway Minister that the gauge conversion will be completed by March 2016. This created confusion among the people because this national project has already been delayed by 16 years and further delay will cause inconvenience.

Under these circumstances, my humble request to the Government is that the mega block should be started but before that the Government has to clarify when it will be completed. If it is delayed, then the damaged road has to be repaired or the incomplete road has to be completed. Otherwise, people of Barak Valley of Assam and other States like Tripura, Mizoram and Manipur will face severe communication problem and for will face food crisis. Moreover, it will bring the area to the halt and the people of these areas will remain disconnected from the rest of the nation.

HON. CHAIRPERSON: Kumari Sushmita Dev and Shri Gaurav Gogoi are allowed to associate with the matter raised by Shri Radhey Shyam Biswas.

DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): Mr. Chairman, Sir, thank you. The matter is regarding the need to increase the speed of implementation of the pending railway projects in my constituency, Nagapattinam. There is a major railway line from Tiruvarur to Karaikudi. The running of trains was stopped in 2006 for broad gauge conversion. Up to 2006, the metre gauge trains were running successfully. After that, this route came under broad gauge conversion. After 2006 the tender was called for. The amount sanctioned every year is less than Rs. 10 crore. Because of this amount, the work execution is very slow.

Now, the work has to start from Karaikudi to Tiruvarur. I urge that the conversion process should take place from Tiruvarur itself. In a similar way, the gauge conversion from Thiruthuraipundi to Agasthiapalli near Vedaranyam line is in process for the last thirty years. They have completed only the culverts along the railway line.

I urge upon the Minister of Railways to start the gauge conversion work from Agasthiapalli to Thiruthuraipundi immediately because it will help the salt production in our State, Tamil Nadu, which is in second place. So, the conversion should take place immediately. Long distance trains should cater to the people who are living in and around the line, who have to travel more than 720 miles.

Another long pending work is at level crossing level 48 at Nagapattinam and Karaikal line near Akkaraipatti area. The Akkaraipettai area is a sea-food export zone in my constituency. The export process is on continuously 24 x 7. The gate is almost closed. So, the vans and lorries are stranded both sides in long queues. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have to raise only one issue during the 'Zero Hour' and not so many issues. What is your demand?

DR. K. GOPAL: For the convenience of the people, the State Government and the Central Government agreed to construct the over-bridge. The Central Government should sanction the amount and also give permission for the early completion of the over-bridge.

SHRI TARIQ HAMEED KARRA (SRINAGAR): Mr. Chairman, Sir, taking advantage of the 'Zero Hour', I would like to highlight a very grave situation perpetrated by the Ministry of Human Resource Development, Government of India on thousands of poor students hailing from the State of Jammu and Kashmir. The unilateral and arbitrary order passed by the Ministry to withhold the fee amount sanctioned for around 5000 such poor students studying in various colleges in the country under the Prime Minister's Special Scholarship Scheme has jeopardized their career.

Sir, you would be remembering that the year 2010 witnessed the worst kind of unrest amongst the youth of the Valley when the State Government in the Chair did not hesitate in brutally gunning down 126 unarmed young boys. And in order to evaluate and ascertain the causes and reasons thereof, an Expert Committee was constituted by the then Prime Minister on 18th August, 2010,

which recommended opening of new educational vistas within the country by providing the poor students admission in professional and technical courses in different colleges of the country. The Ministry of Human Resource Development was made the nodal Ministry.

Mr. Chairman, Sir, the objective of this Scheme was to provide tuition fees, hostel fees, cost of books and other incidental charges to students belonging to poor families in the trouble-torn areas of Kashmir who, after passing Class-XII or equivalent examination, secure admission in Government colleges and institutions and other select institutions outside the State.

The Scheme was launched with much fanfare in 2011. In the first year, only 38 students availed of the benefits. But in 2012-13, the optimum limit went to 5000. This unilateral withholding of fee amount has caused returning home by quite a number of students. In other cases, parents in an effort to save the career of their children are applying for loans on higher interest rates. Quite a few of them have even sold their ancestral properties.

As such, it is demanded that the Ministry of Human Resource Development may take the call and release the withheld fees for such students as per the stated policy so as to save the career of thousands of poor students.

SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE): Sir, with the blessings of our Leader *Puratchithalavi Amma*, I raise this important issue.

Sir, Coimbatore is my constituency. Coimbatore is a major manufacturing centre in the country and also showing rapid growth in economic activities. It is the second largest city in Tamil Nadu which is called the Manchester of South India. Coimbatore Junction alone yields Rs.1095 million in a year which is the second highest revenue in Southern Railway.

Sir, my Coimbatore constituency has been totally neglected and even a single project has not been announced for this area in the Railway Budget.

A lot of people from all over the country come to Coimbatore for their business activity and at present the facility at Coimbatore Railway Station is not

enough to meet the passengers' demand. The following projects/trains may be introduced for the development of Coimbatore City. So, I request the hon. Railway Minister through this House to give top priority to complete the following projects:

First, it is the expansion of Combatore Railway Station Platform. Sir, the NTC Mill situated adjacent to Coimbatore Junction has been closed due to some problems and all the machineries and tools have been disposed of. Now, the land is lying vacant and unused. So, the land may be acquired by the Railways to augment the infrastructure facilities for the passengers.

There is no train in the evening from Mettupalayam to Coimbatore. An additional run of passenger train running from Mettupalayam and Coimbatore between 2000 hours and 2030 hours would help. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I have the names of some Members who want to raise the issues. If they agree, I will give them two minutes and they can address within that time. Then, I am agreeable to allow them.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

*SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Thank you respected Chairman Sir; we all know that if we forget our past history, our existence will be at stake. A nation can grow, can prosper only when it remains aware of its history and also imparts correct historical knowledge to its future generations. Our country was under British imperial rule and people had revolted against the colonial rule through different ways and means. Any opposition to British rule was referred to as terrorism or militancy by the English rulers. Today we are independent. So if today we identify our revolutionaries and freedom fighters as terrorists, it would be shameful. It would be extremely insulting for those who sacrificed their precious lives for the independence of the country. Sir, we can see in many states, including West Bengal that the freedom fighters and martyrs are being sought to be maligned and a wrong signal is being sent to the new generations. You must have heard of Khudiram Bose, Baghajatin, Masterda Surja Sen. Elegy is sang for Khudiram Bose even today; people pay rich tribute to this great soul. Unfortunately, the text books of class VIII depict this revolutionary as a terrorist and the students are made to learn incorrect history in West Bengal. This is gross misrepresentation of facts which threatens our history and culture. Thus I would urge upon the Ministry of HRD through you Sir to consult the State Governments and find a way out to encourage all to teach correct historical facts to the students. People of Bengal are agonised to know that Khudiram Bose is being termed as a terrorist. Thus I request the Central Government to immediately take corrective measures in this regard. With these words, I conclude my speech.

^{*}English translation of the speech originally delivered in Bengali.

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): सभापित महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व के मामले को उठाने की आपने अनुमित दी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस बार बिहार सरकार की लापरवाही के कारण स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से वंचित होना पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगा कि बिहार से बहुत देर से अनुशंसा भेजी राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, उसकी समय 15 मई तक थी, लेकिन उन्होंने उसके बहुत बाद में अनुशंसा भेजी। कहा जाता है कि बिहार में सुशासन वाली सरकार है, जो अपने जांबाज पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित करने की फुर्सत नहीं है। देश के अन्य भागों के पुलिसकर्मियों को जब राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वहीं बिहार के जांबाज पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अच्छे काम किए हैं, वे इस बार राष्ट्रपति पुरस्कार से वंचित रह जाएंगे।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्री से निवेदन है कि उनकी लापरवाही को नेगलेक्ट करते हुए, शिथिल करते हुए, वे आपके जांबाज अधिकारी हैं, देश के जांबाज अधिकारी हैं, उनका मनोबल टूट रहा है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए समय-सीमा को समाप्त करते हुए बिहार के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को राष्ट्रपति पुरस्कार देने की सहमति प्रदान करें। अभी समय है, 15 अगस्त को पुरस्कार दिए जाते हैं।

महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार इस पर ध्यान दे, बिहार के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित करने के लिए, राष्ट्रपति पुरस्कार देने के लिए अपनी सहमति प्रदान करे।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर): महोदय, मैं शून्यकाल में श्री राम कृपाल यादव जी द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

प्रो.चिंतामणि मालवीय (उज्जैन): सभापित महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उज्जैन मेरा संसदीय क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश में है। वह सोयाबीन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। लेकिन इस बार उज्जैन के किसानों पर आपदा आई है और यह प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानवीय लालच से पैदा हुई है। कृषि विभाग विपणन संघ व बीज उत्पादक सहकारी और निजी संस्थाओं की मिलीभगत से किसानों को अमानक बीज वितरित किया गया है। इस कारण उज्जैन के किसानों की 60 प्रतिशत फसल बेकार हो गई है और अंकुरित नहीं हो पाई है। कई किसानों की तो 100 प्रतिशत तक फसल बेकार हो गई है। इन नकली बीजों के चलते उज्जैन का किसान बर्बाद हो गया है। अमानक बीजों का रैकेट केवल उज्जैन जिले और सम्भाग में ही नहीं, बल्कि इंदौर के भी कुछ जिलों में

फैला है। इसे लेकर कुछ एफआईआर भी हुई है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि अमानक और नकली बीज से पीड़ित सम्भाग के किसानों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करे। साथ ही एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएं, जो उज्जैन सम्भाग में जाकर जांच करके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे, तािक किसानों के अरमानों को कुचलने वाले, लूटने वाले लोगों को सजा मिल सके। इसके अलावा एक प्रभावी कानून भी इस संबंध में बनाया जाए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापित महोदय, मैं जिस इलाके से आता हूं, उस मिथिलांचल में मधुबनी और दरभंगा में सुखाड़ से बहुत लोग पीड़ित हैं। एकमात्र वहां सिंचाई का साधन पश्चिमी कोसी नहर है, जिससे सिंचाई करके वे खेती आबाद कर सकते थे। उस पश्चिमी कोसी नहर में साइफन काफी संख्या में टूट गया है, क्योंकि गलत जगह पर सुलिस गेट बना हुआ है। इस कारण खेत तक पानी नहीं जा पाता है। उसके अंदर रेखांकन गलत है इसलिए उस रेखांकन में सुधार किया जाए और सुलिस गेट को सही बनाया जाए, टूटे हुए साइफन की जगह फिर से साइफन बनाया जाए। मधुबनी और दरभंगा की सभी नहरों में भरपूर पानी दिया जाए, जिससे वहां के किसान पानी से लाभ उठा सकें। इसलिए नहरों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, यही हमारी मांग भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री से है और यह भी आग्रह है कि भारत सरकार वहां एक विशेष टीम भेजकर पश्चिमी कोसी नहर के सभी कामों की फिर से समीक्षा करके पुनर्प्राक्कलन बनाया जाए।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): सभापित जी, मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी जो विन्ध्या में आता है, उसके अंतर्गत सिंगरौली औद्योगिक जगत भी है, जिसे मिनी कोल केपिटल कहते हैं। औद्योगिक नगरी होने के नाते यहां देश के कई राज्यों से लोग रोजगार के लिए आते हैं और आसपास के जिलों में भी कल कारखाने बड़े पैमाने पर हैं। वहां की आबादी भी पर्याप्त है। जनसंख्या के हिसाब से इस क्षेत्र के स्थाई और अस्थाई लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं हैं, इनका अभाव है। यहां पर आसपास कोई अच्छा अस्पताल नहीं होने के कारण जरूरतमंदों को 300 किलोमीटर दूर मामूली और गम्भीर इलाज के लिए जाना पड़ता है। इन सभी जगहों के केन्द्रीय बिंदु में सीधी लोक सभा क्षेत्र आता है। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि यहां कम से कम 1,000 बैड का आधुनिक अस्पताल एम्स की तर्ज पर निर्माण कराने का जनहित में शीघ्र निर्णय लें।

श्री ओम बिरला (कोटा): सभापित जी, राजस्थान के हड़ौती सम्भाग में भारी बाढ़ के कारण अनुमानित 15 से 20 लोगों की दुर्घटना से मृत्यु होने का समाचार आया है। इतना ही नहीं, सारे आवागमन के रास्ते बंद हो चुके हैं। लोगों को मूलभूत जरूरतें जैसे सब्जी, दूध और खाने की अन्य चीजों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। रेल मार्ग और सड़क मार्ग भी बंद हो चुका है। खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं। लगातार बारिश आने से

बाढ़ की खराब हालत है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनके मकान गिर गए हैं और खेत बर्बाद हो गए हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सम्भाग में तीन-तीन फीट पानी आज भी भरा हुआ है, लाइट बंद है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। ऐसी हालत वहां खराब हो रही है। इसलिए तुंरत ही केन्द्र और राज्य सरकार हालात को सुधारें और राष्ट्रीय आपदा कोष के तहत उन्हें सहायता भी दें तथा डिजास्टर टीम वहां पहुंचकर बाढ़ पीड़ित लोगों को बचाने की व्यवस्था भी करे।

HON. CHAIRPERSON: The time of the House is extended by another half-an-hour to accommodate the hon. Members who want to speak.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): सभापित महोदय, जब हम किसी देश की समृद्धि एवं विकास का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले वहां के नागरिकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली शिक्षा तथा उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर अवश्य ध्यान केन्द्रित करते हैं। निष्कर्ष यही निकलता है कि जहां जितना ज्ञान, वहां उतना विकास। स्वतंत्र भारत के 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारा देश विकास की उस ऊंचाई को नहीं पा सका, जिसकी हम सब को आशा थी। इसका मूल कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था रही है। आज भी हमारे समाज की महिलाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। जनसंख्या तो पचास प्रतिशत है, लेकिन सामाजिक दायित्व शतप्रतिशत है, जो बगैर महिला सशक्तिकरण के संभव नहीं है। मेरा कहना इतनी ही है कि महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा मिलनी चाहिए। मेरे लोक सभा क्षेत्र में पांच विधान सभाएं हैं जहां महिलाओं को स्कुल मिलने चाहिए, महाविद्यालय मिलने चाहिए, वह उनसे वंचित हैं।

हमारे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख में चार तहसीलें हैं, मिश्रिख, संडीला, बिलग्राम, बिल्हौर लेकिन किसी भी तहसील में महिला महाविद्यालय नहीं है न ही कोई केन्द्रीय विद्यालय है। शिक्षा की इस अति गंभीर समस्या को सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं तथा मांग करती हूं कि जनहित में मेरे लोक सभा क्षेत्र में तहसील स्तर पर राजकीय महिला महाविद्यालय तथा केन्द्रीय विद्यालय स्थापित कराए जाएं।

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Respected Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to raise an important matter of national interest. I would like to request for establishment of Central Food Technological Research Institute (CFTRI) at Koppal.

India is a nation having prospects in agriculture. About 70 per cent of Indian population resides in villages. The main occupation of people residing in

the villages is agriculture and allied services. Food security and food safety is one of the foremost concerns of our country. We have made remarkable provisions in the Budget of the Fiscal 2014-15. An amount of Rs. 100 crore is set aside for Agro-tech Infrastructure Fund.

In this context, through you, I would like to draw the attention of the Minister of Science and Technology, and the Minister of Agriculture towards establishing a Central Food Technological Research Institute (CFTRI) at Koppal, Karnataka. My constituency, Koppal is a huge producer of rice, maize, cotton, pomegranate, grapes, mangoes and several other agricultural products. Pomegranate is cultivated in an area of 14,649 hectares in Karnataka with an annual production of 1.46 lakh tonnes.

HON. CHAIRPERSON: What is your demand?

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA: My demand is to establish the Central Food Technological Research Institute (CFTRI) at Koppal.

Koppal stands at second place in the field of agricultural production among all the districts in the State of Karnataka. Thank you.

श्री राजवीर सिंह (एटा): सभापति महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापित जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र एटा में दो जिले एटा और कासगंज आते हैं। कासगंज में एक स्थान ऐसा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसे शूकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। करोड़ों लोगों की मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार में से एक अवतार भगवार वराह का इसी क्षेत्र में हुआ था। यहां पर भगवान वराह का बहुत बड़ा मंदिर है। यहां हर वर्ष करोड़ों लोग दर्शन करने आते हैं। यहां एक महीना का मेला लगता है, लेकिन यहां किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि इस शूकर क्षेत्र को, भगवान वराह के मंदिर को पर्यटन के रूप में मान्यता दी जाए और यहां की जो व्यवस्था है नहाने का घाट है, उसको पूर्ण कराने के लिए, सौंदर्यीकरण कराने के लिए पूरे धन की व्यवस्था की जाए, यही मेरी आपके माध्यम से मांग है। धन्यवाद।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान महाराष्ट्र में मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़िचरोली-चिमुर, जो कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। यह देश का सबसे पिछड़ा, आदिवासी बहुल और अतिनक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, महाराष्ट्र राज्य का गढ़िचरोली-चिमुर क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अविकसित आदिवासी बहुत इलाका है। इस क्षेत्र के कई युवक राष्ट्र की मुख्य धारा से टूटकर समाज विघटक संगठनों से जुड़ कर विकास में बाधा साबित हो रहे हैं।

महोदय, यहां का किसान, व्यापारी, शिक्षित, अशिक्षित, गरीब और अमीर सभी भयभीत हैं और अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नक्सलवाद से प्रभावित इस आदिवासी बहुल एरिया का विकास करके एवं बेरोजगार युवकों को रोज़गार उपलब्ध करवा कर समस्याओं का काफी हद तक समाधान हो सकता है।

महोदय, मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में ग्रेनाइट, डोलोमाइट, हीरा, पन्ना, मैगनीज, लोहा, कोयला सिहत जल एवं वन के रूप में अपार सम्पदा है। लेकिन फिर भी यह क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण है इस क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क का कम होना। यदि इस क्षेत्र को रेलवे नेटवर्क से जोड़ कर या उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा के छोटे-बड़े उद्योग धन्धे स्थापित किए जाएं तो न केवल इस आदिवासी क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि नक्सवाद से बुरी तरह प्रभावित इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे। मेरी मांग है कि मंजूर वर्शा-गढ़िचरोली रेलवे लाइन एवं नागबीर-चन्द्रपुर की सिंगल लाइन को ब्रॉड गैज में रूपांतरित करके, मंजूरी देकर अगर शुरू किया जाए।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : सभापति जी, मैं निम्न महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

बिहार के विभिन्न जिलों भागलपुर एवं बक्सर में क्रमशः एनएच 80, एनएच 84 सहित अन्य राष्ट्रीय उच्च पथों की स्थिति जर्जर है। सड़कों की बदहाली के कारण प्रायः प्रतिदिन दुर्घटनाएं घट रही हैं। सैकड़ों घायल तथा दर्जनों लोग मौत के घाट भी उतर चुके हैं। आवागमन में काफी किठनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भागलपुर, बिहार में एनएच 80 स्थित चम्पानाला पुल टूट जाने एवं कहलगांव के पास भैना नदी पर पुल क्षतिग्रस्त हो जाने तथा अंतर्राज्यीय भागलपुर - देवघर मुख्य मार्ग पर (बैजानी ग्राम के पास) पुल टूट जाने से चारों तरफ से आवागमन पूर्णतः ठप्प हो गया है। लाखों लोगों का जीवन दुभर हो गया है। विशेष रूप से विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेला के अवसर पर काँविरया मेला में देश-विदेश के लाखों काँविरया तीर्थ यात्रियों को काफी कष्ट उठाना पड़ रहा है।

बिहार के बक्सर में गंगा पुल एवं राजेन्द्र सेतु मोकामा पुल क्षितिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई पूर्वांचल राज्यों से बड़े वाहनों का आवागमन पूर्णतः

बाधित है। फलस्वरूप पटना का गांधी सेतु तथा विक्रमशीला सेतु, भागलपुर पर वाहनों का भार अधिक पड़ जाने से दोनों पुलों की स्थिति भी जर्जर होती जा रही है, जिसके कारण कभी भी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। उक्त जगहों पर सड़कों एवं पुलों के क्षतिग्रस्त होने से यातायात दुर्व्यवस्था के कारण रोजगार एवं व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हैं। खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी, दूध आदि शहरों में मुहैया नहीं होने के कारण महंगाई बढ़ गई है। रोजगार एवं व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हैं।

अतएव आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार के परिवहन मंत्री से आग्रह है कि बिहार के उपरोक्त जर्जर एनएच सड़कों की मरम्मत तथा सभी क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण व विशेष मरम्मत का कार्य शीघ्र सम्पन्न कराएं। जिससे राज्य के इन क्षेत्रों में अंतर्राज्यीय सड़कों का यातायात स्थिति बहाल एवं सुदृढ़ हो सके।

*SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon'ble Chairman Sir, I wish to raise an important issue in this House. I came to know from the newspapers that the Union government is planning to develop 200 low cost airports in Tier II and Tier III towns across the country in next 20 years. The government has identified 50 districts in the first phase of the Project. An airport should be set up in my Thanjavur constituency. Because of this, even the people of adjoining districts like

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil

Sivagangai, Nagappatinam, Thiruvarur, etc would also be benefitted. I have already written to the Civil Aviation Minister in this regard. There is an airport in Thanjavur under the control of Indian Air Force and this airport should be improved with commercial connectivity. Itherefore request to setup a low cost airport in Thanjavur.

Moreover, there is heavy traffic between Thanjavur and Nagapattinam in National highway (NH-67). The demand for widening and strengthening of this National highway in the Thanjavur-Nagapattinam stretch has gained momentum. People in large number go on pilgrimage to Velankanni temple and NagoorDargah. I have also written to Minister for Highways and Road Transport in this regard. I, therefore, urge to speed up the expansion and up-gradation work in this National Highway (NH 67).

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़): माननीय सभापित जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं कि अलीगढ़ जंक्शन रेल गाड़ी आने जाने में जो सुविदा है, वह दो लाइनों से जुड़ा हुआ स्टेशन है। स्टेशन से एक किलोमीटर की दूरी पर महरावल तक तीन लाइनें जुड़ी हुई हैं। माल गोदाम बीच में आने की वजह से तीसरी लाइन से अलीगढ़ जंक्शन नहीं जुड़ पा रहा है इसलिए माल गोदाम को महरावल स्टेशन पर स्थापित कर दिया जाए तो अलीगढ़ तीसरी लाइन से जुड़ जाएगा। इस स्टेशन पर माल गोदाम बनाए जाने के लिए लाइनें बिछाने का कार्य हो चुका है, केवल एक किलोमीटर की लाइन बिछाए जाने का कार्य बाकी है जिस कारण रेलवे स्टेशन को इस निवेश का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कार्य के पूर्ण होने से लाखों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, वह नहीं करना पड़ेगा। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अलीगढ़ में माल गोदाम को महरावल स्टेशन तक अतिशीघ्र स्थापित कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): Mr. Chairman, Sir, I am raising an urgent matter of public importance.

Endosulfan, which is a dangerous agrichemical pesticide, has poisoned thousands of Indian people over the last five decades. In Karnataka and Kerala, aerial spray of Endosulfan began in 1980s as a measure to control 'T' mosquito

bug in cashew nut plantation. But the use of Endosulfan has caused physical and mental ailments amongst thousands of children and adults.

Long-term exposure of this pesticide has caused high incidence of central nervous system disorders like cerebral palsy, cancers, body deformations, reproductive disorders, miscarriages, skin problems, infertility, mental retardation and depression. The killer pesticide has been found in food, soil, air and body tissues in almost all parts of our country. High level of pesticide has been found in human blood and breast milk in Karnataka and Kerala.

Recently, in Kasargod, Kerala, parents committed suicide after killing their 15 year old son, an Endosulfan victim. More than 7,000 people have been affected with Endosulfan in Karnataka alone and around 10,000 people have been affected with Endosulfan in Kasargod.

So, on humanitarian grounds, more than 17,000 victims are in need of support, help and financial assistance from the Union Government.

Hence I would request the Union Government especially the Minister of Health to set up a corpus amount for the relief and rehabilitation of these victims, to provide medical facilities for the affected people, and to issue Antyodaya Ration Cards to the affected families. There is also a need of medical examination of genetic defects.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : माननीय सभापित जी, मेरा संसदीय क्षेत्र दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर है। यहां से विकास 1500 किलोमीटर दूर है यानी 'दिये तले अंधेरा' 'darkness under the lamp' यहां टूटी हुई सड़कें हैं, सौ साल से ज्यादा पुरानी ट्रेन हैं। यहां पर पैसेंजर ट्रेन चलती हैं। यहां बहुत बेरोजगारी है। यहां कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है इसलिए अपराधिकरण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पड़ोस के घर में अगर आग लगती है तो अपने को भी नुकसान होता है, झुलस लगती है। अगर वहां गड़बड़ होती है तो दिल्ली को भी नुकसान होने वाला है, दिल्ली पर बोझ पड़ने वाला है। मैं आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाई जा रही हैं इसमें से एक स्मार्ट सिटी बागपत और बड़ौत के बीच बनाया जाए। यहां से बागपत 32 कि.मी. तथा बड़ौत केवल 35 किलोमीटर दूर है। यहां बहुत अच्छा पीने का पानी है, शुद्ध वातावरण है। यहां यमुना का किनारा है। इससे दिल्ली को भी फायदा होगा।

*SHRIMATI .R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): Hon'ble Chairman Sir, I wish to raise an important issue in this House. Even after 67 years of Independence, in my Tiruvannamalai Constituency there is a village without road connectivity. Ariyakunjur in ChengamTaluk of Tiruvannamalai District has no road connectivity. This village is totally out of connectivity. People belonging to Scheduled Castes live in this village. Chinnakalathambadi is a place at at distance of 2 kms from Ariyakunjur and on the other side Arattavadi village in 2 km distance. Road facilities show should be provided to these villages. Hon'ble Chief Minister PuratchithalaiviAmma provides adequate funds on the basis of demands of People's representatives for providing road connectivity. Since the land on which road has to be laid belongs to Forest Department, there is difficulty in providing road connectivity. People particularly those belonging to Schedule Castes are affected without road facilities. I urge through this House that Union government should grant permission to provide road facilities in the land owned by Forest department. Jamnamathur village is at a distance of 120 kms from Chengam town. This can be reduced upto 33 kms by way of laying road between Panrev and Palaganur for a stretch of 6 kms in forest land. Union government should grant permission for laying of road in the forest land. This can provide road connectivity to Kallathur, Oorkavundalur, Palamarathur, Melsilambadi and PuliyurPanchayats. If Union government grants permission the State government led by Hon'bleAmma would ensure the construction of roads in these areas. I, therefore, urge that for laying of village roads in forest land between Ariyakunjur and Chinnkalathambadi; Ariyakunjur and Arattavadi and Panrev and Palakanur, Union government should come forward to grant permission.

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

श्री सी.आर.चोधरी (नागोर): परम सम्माननीय सभापित महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका हृदय से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया। मैं नागौर, राजस्थान से आता हूं, नागौर की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

इस जिले की जनसंख्या 32 लाख है और नागौर शहर की पापुलेशन 1.4 लाख है। आजादी के बाद से आज तक वहां हर घर में एक सैनिक मिल जायेगा। लेकिन इसके बावजूद भी वहां कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं खुल पाया। अब एक साल से केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सिद्धांततः केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। The Government of Rajasthan has allotted 15 acres of land for the Central school but still क्रियान्वित में नहीं आया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक वहां भवन नहीं बने, तब तक राजस्थान सरकार एक स्कूल भवन देने के लिए तैयार है और बाकी वहां सारी सुविधाएं हैं, बच्चे तैयार हैं। लेकिन यहां से एक फॉर्मल आर्डर निकलना है।

इसलिए सभापित महोदय मैं आपके मार्फत केन्द्रीय एचआरडी मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसी सैशन से इस केन्द्रीय विद्यालय को चालू करें, तािक बच्चों को और जिले के लोगों को उसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र बुलंदशहर के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र बुलंदशहर दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर दूर है और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अंतर्गत यह एनसीआर का एक पार्ट है। लेकिन यह एनसीआर का पार्ट होते हुए जितना दिल्ली के करीब है, उतना ही यह विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। बुलंदशहर जिला देश का राजधानी दिल्ली के लिए भारी मात्रा में दूध, फल, सब्जियां और अनाज उपलब्ध कराता है। लेकिन विकास के मामले में उतना ही पिछड़ा हुआ है। बुलंदशहर में कोई अच्छे रास्ते नहीं हैं, वहां सारे रास्ते दूटे हुए हैं और कोई भी रेल की सुविधा बुलंदशहर से दिल्ली आने-जाने के लिये नहीं है। जबकि हजारों की संख्या में लोग यहां से आते-जाते हैं। कोई भी विकास कार्य जो एनसीआर के अंतर्गत आता है, वह बुलंदशहर लोक सभा क्षेत्र में नहीं है।

अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जो सारी सुविधाएं एनसीआर रीजन में गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव के लिए दी जा रही हैं, वे सुविधाएं बुलंदशहर के लिए भी दी जाएं। HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet on Monday, the 11^{th} August, 2014 at 11 a.m.

18.54 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 11, 2014/Shravana 20, 1936 (Saka).